

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्थानीय शासन, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी इकाई है जिसमें नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग लोककल्याण के लिये करते हैं।

प्रतिलिपि ठहराव क्रमांक दिनांक उज्जैन नगरपालिक निगम

स्थगित साधारण सम्मिलन

प्रस्तावित राशि रुपये बजट वित्त वर्ष 2023-24 मा.मेयर-इन-काउंसिल/मा.निगम परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु स्थगित मेयर इन काउंसिल का ठहराव क्रमांक 57 दिनांक 21.03.2023 इस आशय का कि नगर पालिक निगम उज्जैन का पत्र क्रमांक लेखा/ वि/2023/260 दिनांक 06.03.2023 इस आशय का कि "म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 97 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक लेखा/बजट 23-24/761 दिनांक 27/09/2022 से बजट प्रस्ताव चाहे गये तदानुसार संकलित प्रस्तावित बजट 2023-24 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। (राशि रुपये लाख में)

मद का नाम	नगर निगम	पी.एच.ई.	योग
राजस्व प्राप्तियां	23096.27	6331.75	29428.02
पूंजीगत प्राप्तियां	56042.78	494.44	56537.22
योग	79139.05	6826.19	85965.24
राजस्व व्यय	28624.40	4131.00	32755.40
पूंजीगत व्यय	50464.65	2694.19	53158.84
योग	79089.05	6825.19	85914.24
कुल बचत			51.00

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित वित्त वर्ष 2023-24 की बजट पुस्तिका संलग्न है, जिस अनुसार (नगर निगम एवं पी.एच.ई.) की कुल प्रस्तावित आय रु. 85965.24 लाख एवं कुल प्रस्तावित व्यय रु. 85914.24 लाख सहित रु. 51.00 लाख की बचत का बजट प्रस्ताव एवं संलग्न बजट पुस्तिका मा.मेयर इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कष्ट करें। विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

अतः उपरोक्तानुसार बजट वर्ष 2023-24 की कुल आय (नगर निगम एवं पी.एच.ई सहित) 85615.80 लाख एवं कुल व्यय 85559.80 लाख सहित 56.00 लाख की बचत की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण मा. निगम परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जावे। विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

विचारविनिमय पश्चात सर्वानुमति से ठहराव किया गया कि सदन में विभिन्न प्रस्तावित प्रस्ताव एवं मान्य सदस्यों की चर्चा एवं भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सम्मिलित किये जाकर आय एवं व्यय में वृद्धि करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है। (राशि रु. लाख में)

बजट भाग – 1 (नगर निगम)

(अ) पूंजीगत प्राप्तियाँ

1	एम.आई.सी ठहराव क्रमांक 57 दिनांक 21.03.2023 में पृष्ठ क्रमांक 176 पर अंकित बीओटी के अंतर्गत गोपाल मंदिर पुराने नगरनिगम भवन एवं दौलतगंज सब्जी मण्डी के स्थान पर शॉपिंग काम्पलेक्स से प्राप्तियाँ एवं निगम की अन्य खुली भूमि पर शापिंग काम्पलेक्स निर्माण मद का नाम के स्थान पर "निगम स्वामित्य की खुली भूमि के विक्रय से प्राप्त आय" मद किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 4500 किया गया था। उक्त राशि को बढ़ाकर रु. 5608 लाख किया जाना उचित होगा।
2	श्रीकृष्ण कॉलोनी से नामदारपुरा तक नाला निर्माण हेतु 200 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
3	मंगल नगर मकोड़िया आम नाके से इंदिरा नगर नाले तक नाला निर्माण 70 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
4	वार्ड क्र. 42 अंतर्गत अल्कापुरी से रामीनगर धर्मशाला पुलिया तक नाला निर्माण मद 100 लाख SDRF शासन से प्राप्त अनुदान
5	वार्ड क्र. 44 अंतर्गत दशहरा मैदान व नेहरू उद्यान में बडा नाला निर्माण 65 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
6	वार्ड क्र. 35 में सुदर्शन नगर नाला निर्माण 280 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
7	वार्ड क्र. 48 महामृत्युंजय द्वार से मित्र नगर पुलिस कॉलानी तक नाला निर्माण 180 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान

8	वेदनगर कालोनी से इंदौर रोड़ आनंद भवन होते हुए ब्रम्हाकुमारी पुलिया से एम आर-2 रोड़ तक दोनों ओर आरसीसी वॉल 300 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
9	वार्ड क्र. 51 अर्चना अस्पताल से काला पत्थर तक नाला निर्माण 75 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
10	वार्ड क्र. 53 पुलिस लाईन से वसंत विहार तक नाला निर्माण 200 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
11	वार्ड क्र 11 में चालीस क्वार्टर एवं 10 क्वार्टर पर स्थित बेकलाईन नाला निर्माण 10 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान
12	वार्ड क्र. 4, 17, 18, 40, 41 अंतर्गत चिमनगंज मंडी पुलिस थाने से आयुर्वेदिक धन्वन्तरि अस्पताल, सेन्ट पॉल स्कूल के सामने से रतन एवेन्यू होते हुए पीलिया खाल तक एवं प्रजापत नगर से पीलिया खाल तक नाला निर्माण कार्य 100 लाख SDRF मद शासन से प्राप्त अनुदान

(ब) पूंजीगत व्यय

क्र	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि (लाख में)	रिमार्क
1	वार्ड क्र. 05 अन्तर्गत 03 उद्यानों का सौन्दर्यीकरण	10	निगम मद (उद्यान)
2	निकास चौराहा सौन्दर्यीकरण कार्य	50	निगम मद
3	वामनेश्वर तीर्थ विकास हेतु	25	निगम मद
4	मा. महापौर मद में राशि रु.	270	महापौर मद में यह राशि जोड़ी जाकर मद की कुल राशि 750 लाख की जाए।
5	मकोड़िया आम चौराहा सौन्दर्यीकरण	25	चौराहा विकास मद में सम्मिलित किया जावे
6	वार्ड क्र. 04 अंतर्गत खण्डेलवाल नगर में नाला निर्माण	20	कॉलोनी विकास शुल्क मद में उपलब्ध राशि के अंतर्गत
7	वार्ड क्र. 26 अंतर्गत क्षीरसागर पर नो नारायण मंदिर पर अधिक मास में मेले के आयोजन हेतु	1	निगम मद
8	वार्ड क्र. 42 अंतर्गत सांस्कृतिक भवन व वाचनालय निर्माण 36 क्वार्टर के पास रिक्त भूमि पर	20	निगम मद
9	वार्ड क्र. 44 संजीवनी अस्पताल के पास वाली गली में सीसी कार्य	2	निगम मद

10	वार्ड क्र. 44 तिवारी कालोनी में सड़क निर्माण	2	निगम मद
11	वार्ड क्र. 52 अंतर्गत रविन्द्र नगर मुख्य मार्ग पर डामरीकरण	25	मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद
12	वार्ड क्र. 39 में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	10	SBM मद अंतर्गत व्यय
13	वार्ड क्र. 39 में बेकवर्ड गली में सीसी कार्य	10	SBM मद अंतर्गत व्यय
14	वार्ड क्र. 40 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सीसी कार्य	10	मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद
15	वार्ड क्र. 35 अन्तर्गत सुदर्शन नगर में सीसी रोड़	80	गंदी बस्ती (सेवा बस्ती) उन्मूलन शासन से प्राप्त अनुदान
16	नगर में उपयुक्त स्थल पर खेल स्टेडियम एवं अन्य खेल मैदान बनाना।	500	खेल एवं युवक कल्याण मद से राशि प्राप्त होने पर
17	वार्ड क्र. 13 अन्तर्गत कमरूल कुरेशी मजिस्द से चौरासी महादेव मंदिर तक मार्ग निर्माण	10	निगम मद
18	वार्ड क्र. 12 में मोहनपुरा स्थित क्षेत्र में सी.सी. कार्य	10	निगम मद
19	त्रिवेणी विहार एवं बंसत विहार के उद्यानो का विकास कार्य	5	निगम मद
20	झोन क्र. 05 का नामकरण संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से किया जावे साथ ही झोन कार्यालय पर उपयुक्त स्थल पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना हेतु विधिवत प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।	1	निगम मद
21	वार्ड क्र. 48 में नानाखेडा गेल ऑफिस के पास अथवा उपयुक्त स्थल पर पशुराम द्वार का निर्माण कराये जाने हेतु	10	निगम मद
22	वार्ड क्र. 37 अंतर्गत संत बालीनाथ द्वारा निर्माण कराये जाने हेतु	10	निगम मद
23	वार्ड क्र. 11 में चालीस क्वार्टर एवं 10 क्वार्टर पर स्थित बेकलाईन नाला निर्माण	10	SDRF मद
24	श्रीकृष्ण कॉलोनी से नामदारपुरा तक नाला निर्माण	200	SDRF मद
25	मंगल नगर मकोड़िया आम नाके से इंदिरा नगर नाले तक नाला निर्माण	70	SDRF मद
26	वार्ड क्र. 42 अंतर्गत अल्कापुरी से रामीनगर धर्मशाला पुलिया तक नाला निर्माण	100	SDRF मद

27	वार्ड क्र. 44 अंतर्गत दशहरा मैदान व नेहरू उद्यान में बडा नाला निर्माण	65	SDRF मद
28	वार्ड क्र. 35 में सुदर्शन नगर नाला निर्माण	280	SDRF मद
29	वार्ड क्र. 48 महामृत्युंजय द्वार से मित्र नगर पुलिस कॉलानी तक नाला निर्माण	180	SDRF मद
30	वेदनगर कालोनी से इंदौर रोड़ आनंद भवन होते हुए ब्रम्हाकुमारी पुलिया से एम आर-2 रोड़ तक दोनों ओर आरसीसी वॉल	300	SDRF मद
31	वार्ड क्र. 51 अर्चना अस्पताल से काला पत्थर तक नाला निर्माण	75	SDRF मद
32	वार्ड क्र. 53 पुलिस लाईन से वसंत विहार तक नाला निर्माण	200	SDRF मद
33	वार्ड क्र. 4, 17, 18, 40, 41 अंतर्गत चिमनगंज मंडी पुलिस थाने से आयुर्वेदिक धन्वन्तरि अस्पताल, सेन्ट पॉल स्कूल के सामने से रतन एवेन्यू होते हुए पीलिया खाल तक एवं प्रजापत नगर से पीलिया खाल तक नाला निर्माण कार्य	100	SDRF मद/निगम मद

उपरोक्तानुसार आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा प्रस्तुत एवं मा.मेयर इन काउंसिल द्वारा ठहराव क्रमांक 57 दिनांक 21.03.2023 से अनुशंसित बजट वर्ष 2023-24 नगर निगम एवं पी.एच.ई सहित में उपरोक्तानुसार राजस्व एवं पूंजीगत आय में राशि रु. 2688.00 लाख की वृद्धि एवं राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में राशि रु. 2686.00 लाख की वृद्धि सहित बजट वर्ष 2023-24 हेतु कुल आय 88303.80 लाख, कुल व्यय 88245.80 लाख सहित 58.00 लाख की बचत के बजट की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार संबंधित मदों के आगे प्रस्तावों को बजट में यथासंशोधन करते हुए बजट प्रावधान किये जावे। शेष यथा प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही की जावे।

(कलावती यादव)

अध्यक्ष

उज्जैन नगर पालिक निगम

दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उज्जैन नगर पालिक निगम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निगम सचिव

उज्जैन नगर पालिक निगम

**प्रतिलिपि ठहराव क्रमांक दिनांक 21/03/2023 स्थगित सम्मिलन मेयर इन काउंसिल
उज्जैन नगर पालिक निगम उज्जैन**

प्रस्तावित राशि रुपये बजट वित्त वर्ष 2023-24 मा.मेयर-इन-काउंसिल/मा.निगम परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन का पत्र क्रमांक लेखा/वि/2023/260 दिनांक 06/03/2023 इस आशय का कि "म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 97 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक लेखा/बजट 23-24/761 दिनांक 27/09/2022 से बजट प्रस्ताव चाहे गये तदानुसार संकलित प्रस्तावित बजट 2023-24 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। (राशि रुपये लाख में)

मद का नाम	नगर निगम	पी.एच.ई.	योग
राजस्व प्राप्तियां	23096.27	6331.8	29428.02
पूंजीगत प्राप्तियां	56042.78	494.44	56537.22
योग	79139.05	6826.2	85965.24
राजस्व व्यय	28624.40	4131.00	32755.40
पूंजीगत व्यय	50464.65	2694.2	53158.84
योग	79089.05	6825.2	85914.24
कुल बचत			51.00

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित वित्त वर्ष 2023-24 की बजट पुस्तिका संलग्न है, जिस अनुसार (नगर निगम एवं पी.एच.ई.) की कुल प्रस्तावित आय रु. 85965.24 लाख एवं कुल प्रस्तावित व्यय रु. 85914.24 लाख सहित रु. 51.00 लाख की बचत का बजट प्रस्ताव एवं संलग्न बजट पुस्तिका मा.मेयर इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कष्ट करें। विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

मा.महापौर, मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, निगमायुक्त, अपर आयुक्तगण, उपायुक्तगण, अपर आयुक्त (वित्त) सहित निगम के समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ दिनांक 21/03/2023 एवं स्थगित बैठक दिनांक 25/03/2023 एवं 26/03/2023 को विस्तृत विचार-विमर्श किया जाकर सर्वानुमति से निम्नलिखित मदों में कमी / वृद्धि किये जाने की अनुशंसा कर नवीन मदें स्थापित की जाती है -:

बजट भाग – 1 (नगर निगम)

(अ) राजस्व प्राप्तियाँ

1	पृष्ठ क्रमांक 123 पर अंकित नामांतरण विलम्ब पर पेनाल्टी मद में प्रस्तावित राशि रुपये 150 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 200 लाख किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 125 पर अंकित जी.आई.एस.सर्वे हेतु शासन से अनुदान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 125 पर अंकित अधिभार/सरचार्ज (सम्पत्तिकर विभाग) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1414.62 लाख को कमकर राशि रुपये 500 लाख किया जाना उचित होगा।
4	पृष्ठ क्रमांक 126 पर अंकित अन्य फार्म फीस मद के आय-व्यय एवं प्रावधानित राशि को निरंक प्रस्तावित किया गया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 127 पर अंकित वाहनों पर पंजीयन कर मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 127 पर अंकित तीर्थयात्री कर मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 25 लाख किया जाना उचित होगा।
7	पृष्ठ क्रमांक 128 पर अंकित बाजारों से आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 500 लाख को कमकर राशि रुपये 250 लाख किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 128 पर अंकित मेलों से आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 80 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख किया जाना उचित होगा।
9	पृष्ठ क्रमांक 128 पर अंकित भवन एवं दुकान किराया मद में प्रस्तावित राशि रुपये 65 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख किया जाना उचित होगा।
10	पृष्ठ क्रमांक 129 पर अंकित रेन बसेरा मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 1 हजार किया जाना उचित होगा।
11	पृष्ठ क्रमांक 129 पर अंकित लीज रेंट मद में प्रस्तावित राशि रुपये 15 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 20 लाख किया जाना उचित होगा।
12	पृष्ठ क्रमांक 129 पर अंकित भूमि शुल्क (वाहनों से) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
13	पृष्ठ क्रमांक 129 पर अंकित वाहनों पार्किंग ठेके से आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 110 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 200 लाख किया जाना उचित होगा।
14	पृष्ठ क्रमांक 129 पर अंकित मधुशाला भूमि किराया मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 20 हजार किया जाना उचित होगा।
15	पृष्ठ क्रमांक 130 पर अंकित केबल टी.वी. शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।

16	पृष्ठ क्रमांक 133 पर अंकित प्रतिलिपि शुल्क एवं रेकार्ड अवलोकन शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 1 लाख किया जाना उचित होगा।
17	पृष्ठ क्रमांक 139 पर अंकित नीलामी एवं मुद्रस सामान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
18	पृष्ठ क्रमांक 141 पर पेट्रोल पंप से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 30 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
19	पृष्ठ क्रमांक 142 पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शासन से प्राप्त अनुदान प्रचार-प्रसार हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 1 हजार किया जाना उचित होगा।
20	पृष्ठ क्रमांक 143 पर अंकित वृक्ष कटिंग अनुमति से आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 25 लाख किया जाना उचित होगा।
21	पृष्ठ क्रमांक 147 पर अंकित जन्म / मृत्यु / विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क से आय (स्वास्थ्य विभाग) मद में उल्लेखित विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क का पृथक से नवीन मद स्थापित किये जाने इस मद से शब्द विलोपित किया जाना उचित होगा।
22	पृष्ठ क्रमांक 147 पर नवीन विवाह रजिस्ट्रेशन एवं फार्म फीस मद स्थापित कर उक्त मद में विवाह पंजीयन शुल्क राशि रुपये 450 एवं फार्म फीस राशि रुपये 50 किया जाकर इस मद में राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
23	पृष्ठ क्रमांक 147 पर अंकित आवारा पशुओं का नियमन (खिड़क) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 7 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 9 लाख किया जाना उचित होगा।
24	पृष्ठ क्रमांक 150 पर अंकित यंत्र एवं सामान किराया (सेफिट टैंक स्वास्थ्य विभाग) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 7 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 लाख किया जाना उचित होगा।
25	पृष्ठ क्रमांक 153 पर अंकित (ब) जनता से प्राप्त राशि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
26	पृष्ठ क्रमांक 153 पर अंकित (स) निजी टेलीफोन कम्पनी एवं अन्य से प्राप्त राशि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख किया जाना उचित होगा।
27	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित कम्पाउण्डिंग (समझौता शुल्क) फीस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 65 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 150 लाख किया जाना उचित होगा।
28	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित ऑन लाईन बिल्डिंग परमीशन मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 3 लाख किया जाना उचित होगा।
29	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित आवेदन फार्म शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 6 हजार किया जाना उचित होगा।
30	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित बाउन्ड्रीवाल स्वीकृति फीस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
31	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित सर्विस शुल्क राशि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 40 लाख किया जाना उचित होगा।
32	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित हाईराइज शुल्क राशि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 15 लाख किया जाना उचित होगा।

33	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित वाटर हार्वेस्टिंग चार्ज मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 30 लाख किया जाना उचित होगा।
34	पृष्ठ क्रमांक 155 पर अंकित विकास शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 75 लाख किया जाना उचित होगा।
35	पृष्ठ क्रमांक 156 पर अंकित कंस्ट्रेंट रजिस्ट्रेशन मद को संशोधित आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन मद किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
36	पृष्ठ क्रमांक 156 पर अंकित संधारण शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 लाख किया जाना उचित होगा।
37	पृष्ठ क्रमांक 158 पर अंकित कॉलोनी विकास अनुमति शुल्क (प्रोसेस फीस) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 60 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 70 लाख किया जाना उचित होगा।
38	पृष्ठ क्रमांक 158 पर अंकित बाह्य विकास शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
39	पृष्ठ क्रमांक 158 पर अंकित सुपरविजन शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 70 लाख किया जाना उचित होगा।
40	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित अवैध कॉलोनी नियमितिकरण शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख किया जाना उचित होगा।
41	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित सीवरलाईन विकास एवं उन्नयन शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 25 लाख किया जाना उचित होगा।
42	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित मद क्रमांक 7 वाटर लाईन विकास एवं उन्नयन शुल्क तथा मद क्रमांक 8 पेयजल व्यवस्था कॉलोनी सेल को एक मद किया जाकर इस मद का नाम पेयजल व्यवस्था कॉलोनी सेल किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 80 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख किया जाना उचित होगा।
43	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित अधोसंरचना विकास मद में प्रस्तावित राशि रुपये 15 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 20 लाख किया जाना उचित होगा।
44	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित आश्रय निधि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 250 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 300 लाख किया जाना उचित होगा।
45	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित खेलकूद उपकरण हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 15 लाख किया जाना उचित होगा।
46	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित उद्यान विकास मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 1 हजार किया जाना उचित होगा।
47	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित वृक्षारोपण हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 20 लाख किया जाना उचित होगा।
48	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित पाईप लाईन संधारण हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 30 लाख किया जाना उचित होगा।

49	पृष्ठ क्रमांक 159 पर अंकित आवेदन फार्म कॉलोनाईजर मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 2 लाख किया जाना उचित होगा।
50	पृष्ठ क्रमांक 161 पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शासन से प्राप्त अनुदान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
51	पृष्ठ क्रमांक 162 पर अंकित अमृत सिवरेज यूजर्स चार्जस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 50 लाख किया जाना उचित होगा।
52	पृष्ठ क्रमांक 162 पर अंकित अमृत योजना विज्ञप्ति से आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 80 लाख को कमकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
53	पृष्ठ क्रमांक 167 पर अंकित मांगलिक परिसर/जमातखाना शुल्क मद का नाम "म.प्र.नगर पालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020" किया जाना उचित होगा।
54	पृष्ठ क्रमांक 168 पर सिनेमा गृह लायसेंस से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित कर इस मद में 50 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 54 में प्रस्तावित आय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है, शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित की जाती है।

बजट भाग – 1 में प्रस्तावित राशि रुपये राजस्व प्राप्ति राशि 23096.27 लाख (दो सौ तीस करोड़ छियानवे लाख सत्तावीस हजार रुपये) में राशि 369.03 लाख (तीन करोड़ उनसत्तर लाख तीन हजार) की कमी कर राशि 22727.24 लाख (दो सौ सत्तावीस करोड़ सत्तावीस लाख चोबीस हजार रुपये) की राजस्व प्राप्तियों की अनुशंसा की जाती है।

(ब) पूंजीगत प्राप्तियाँ

1	पृष्ठ क्रमांक 169 पर अंकित ऋण से निर्मित होने वाले यूनियो से प्राप्त न्यूनतम प्रवेशाधिकारी शुल्क (प्रीमियम) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 500 लाख को कम कर राशि रुपये 400 लाख किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 169 पर अंकित निगम अस्तियों (भवन, भूमि, दुकाने गुमटी आदि) के नामांतरण से प्राप्त आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 25 लाख किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 170 पर अंकित ग्राण्ड होटल के पीछे खुली भूमि एवं अन्य भूमि विक्रय से आय मद को इस पृष्ठ से विलोपित कर पृष्ठ क्रमांक 176 में अंकित किया जाना उचित होगा।
4	पृष्ठ क्रमांक 172 पर ग्रीन बॉण्ड योजना से आय नवीन मद स्थापित कर इस मद में 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 174 पर अंकित वर्कशॉप भूमि विक्रय से आय मद को पृष्ठ क्रमांक 170 पर निगम स्वामित्व की भूमि विक्रय से आय उल्लेखित होने से इस मद को इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 175 पर अंकित सर्प उद्यान विकास हेतु प्राप्त राशि मद को इस पृष्ठ से विलोपित कर पृष्ठ क्रमांक 177 पर अंकित शिल्पज्ञ विभाग (पूंजीगत प्राप्तियाँ) मद में अंकित किया जाना उचित होगा।

7	पृष्ठ क्रमांक 176 पर अंकित बीओटी के अंतर्गत गोपाल मंदिर पुराने नगरनिगम भवन एवं दौलतगंज सब्जी मण्डी के स्थान पर शॉपिंग काम्पलेक्स से प्राप्तियाँ एवं निगम की अन्य खुली भूमि पर शापिंग काम्पलेक्स निर्माण मद का नाम के स्थान पर "निगम स्वामित्व की खुली भूमि के विक्रय से प्राप्त आय" मद किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 4500 लाख किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 176 पर अंकित पीपीपी (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट) जन निजी भागीदारी परियोजनांतर्गत व्यावसायिक काम्पलेक्स आदि से आय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
9	पृष्ठ क्रमांक 177 पर सर्प उद्यान विकास हेतु प्राप्त राशि नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 81 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
10	पृष्ठ क्रमांक 180 पर अंकित निर्वाचन केन्द्रों पर कराये जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त राशि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
11	पृष्ठ क्रमांक 180 पर अंकित जल संधारण हेतु शासन से प्राप्त अनुदान मद इस पृष्ठ से विलोपित कर इसे पृष्ठ क्रमांक 302 लोक स्वा यात्रिकी संधारण खण्ड अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में अंकित किया जाना उचित होगा।
12	पृष्ठ क्रमांक 182 पर राज्य एवं केन्द्र सरकार से अनुदान नवीन शीर्ष अंकित कर इसमें ऐलिवेटेड कॉरीडोर (नानाखेड़ा से महाकाल लोक एवं रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक) निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 3000 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
13	पृष्ठ क्रमांक 183 पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार किया जाना उचित होगा।
14	पृष्ठ क्रमांक 185 पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्राप्त भूमि के विक्रय से आय नवीन मद स्थापित कर इस मद में 460.91 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 14 में प्रस्तावित आय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है, शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

बजट भाग – 1 में प्रस्तावित राशि रुपये पूंजीगत प्राप्ति राशि 56042.78 लाख (पाँच सौ साठ करोड़ बयालीस लाख इठोत्तर हजार रुपये) में राशि 25.59 लाख (पच्चीस लाख उनसाठ हजार रुपये) की वृद्धि कर राशि 56068.37 लाख (पाँच सौ साठ करोड़ अड़सठ लाख सेतीस हजार रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियों की अनुशंसा की जाती है।

(स) राजस्व व्यय

1	पृष्ठ क्रमांक 187 पर अंकित नम्बर प्लेट संपत्तिकर चक्रकर आदि मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित वार्ड समिति क्रमांक एक स्वागत एवं सत्कार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित वार्ड समिति क्रमांक दो स्वागत एवं सत्कार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।

4	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित वार्ड समिति क्रमांक तीन स्वागत एवं सत्कार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित वार्ड समिति क्रमांक चार स्वागत एवं सत्कार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित वार्ड समिति क्रमांक पाँच स्वागत एवं सत्कार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
7	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित वार्ड समिति क्रमांक छः स्वागत एवं सत्कार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 193 पर अंकित प्रभारी सदस्य एम.आई.सी. सत्कार/विविध व्यय (प्रत्येक समिति हेतु रुपये 40000) मद में 40 हजार के स्थान पर 50 हजार कर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 4.50 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
9	पृष्ठ क्रमांक 194 पर अंकित निगम सभागृह वातानुकूलित (ए.सी.) व्यवस्था एवं निगम मुख्यालय में जनरेटर व्यवस्था मद पृष्ठ क्रमांक 245 पर अंकित होने से इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।
10	पृष्ठ क्रमांक 198 पर अंकित आनन्द विभाग मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कमकर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
11	पृष्ठ क्रमांक 203 पर अंकित लेखासंधारण तथा स्रोत पर आयकर कटौती हेतु सलाहकार, सेवाकर सलाहकार व अन्य कर सलाहकार, चाटेर्ड एकाउण्टेंट संबंधित विभिन्न व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख किया जाना उचित होगा।
12	पृष्ठ क्रमांक 203 पर अंकित लेखा समिति मद को पृष्ठ क्रमांक 193 में क्र. 15 पर राशि प्रावधानित होने से इस मद को इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।
13	पृष्ठ क्रमांक 203 पर बाण्ड जारी किये जाने हेतु चाटेर्ड अकाउण्टेंट फीस, सेमी रजिस्ट्रेशन एवं अन्य व्यय नवीन मद स्थापित किया जाकर इसमें 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
14	पृष्ठ क्रमांक 204 पर विभिन्न योजनाओं में निगम अंशदान हेतु प्राप्त राशि की ब्याज वापसी नवीन मद स्थापित कर इस मद में 1000 लाख किया जाना उचित होगा।
15	पृष्ठ क्रमांक 207 पर अंकित प्रचार कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख किया जाना उचित होगा।
16	पृष्ठ क्रमांक 207 पर अंकित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख किया जाना उचित होगा।
17	पृष्ठ क्रमांक 208 पर अंकित अमृत एवं अन्य योजनाओं हेतु प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, प्रदर्शनी बैठक आदि पर व्यय हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 15 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
18	पृष्ठ क्रमांक 208 पर अंकित स्टॉफ पारितोषिक मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख किया जाना उचित होगा।
19	पृष्ठ क्रमांक 208 पर अंकित विविध व्यय जनसम्पर्क विभाग मद में प्रस्तावित राशि रुपये 70 लाख को कम कर राशि रुपये 60 लाख किया जाना उचित होगा।

20	पृष्ठ क्रमांक 209 पर अंकित होर्डिंग एवं फ्लेक्स लगवाना मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख किया जाना उचित होगा।
21	पृष्ठ क्रमांक 209 पर अंकित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 8 लाख किया जाना उचित होगा।
22	पृष्ठ क्रमांक 210 पर अंकित अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यवस्था अंतर्गत होने वाले विविध व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
23	पृष्ठ क्रमांक 210 पर अंकित संपत्तिकर शिविर व्यवस्था हेतु टेंट माईक, फर्नीचर व अन्य विविध व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 8 लाख किया जाना उचित होगा।
24	पृष्ठ क्रमांक 210 पर अंकित विभिन्न शिविरों, मुहिम, बैठकों अन्य अवसरों पर भोजन एवं नाश्ता व्यवस्था मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 लाख को कम कर राशि रुपये 30 लाख किया जाना उचित होगा।
25	पृष्ठ क्रमांक 211 पर अंकित स्वायत्तशासी सप्ताह/नगर सम्पर्क अभियान/नगर दिवस हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
26	पृष्ठ क्रमांक 211 पर अंकित महापौर प्रतिभा प्रोत्साहन योजना मद में प्रस्तावित राशि रुपये 8 लाख को कम कर राशि रुपये 6 लाख किया जाना उचित होगा।
27	पृष्ठ क्रमांक 211 पर अंकित नगर निगम स्थापना दिवस समारोह मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख किया जाना उचित होगा।
28	पृष्ठ क्रमांक 211 पर अंकित अस्थाई नियंत्रण कक्ष/सहायक केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख किया जाना उचित होगा।
29	पृष्ठ क्रमांक 211 पर अंकित शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शिविर (जनसम्पर्क विभाग) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख किया जाना उचित होगा।
30	पृष्ठ क्रमांक 215 पर अंकित इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं फ्लेक्स द्वारा प्रचार-प्रसार मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख किया जाना उचित होगा।
31	पृष्ठ क्रमांक 215 पर अंकित अन्त्योदय एवं रोजगार मेला मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1.50 लाख को कम कर राशि रुपये 50 हजार किया जाना उचित होगा।
32	पृष्ठ क्रमांक 215 पर अंकित विविध व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2.50 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख किया जाना उचित होगा।
33	पृष्ठ क्रमांक 216 पर अंकित पंचक्रोशी यात्रा व्यवस्था हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 3 लाख किया जाना उचित होगा।
34	पृष्ठ क्रमांक 216 पर अंकित राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक त्यौहारों पर व्यय शामियाने तथा अन्य व्यवस्था हेतु प्रचार कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 15 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख किया जाना उचित होगा।
35	पृष्ठ क्रमांक 216 पर अंकित विभिन्न समुदायों के जलसे-जुलूस हेतु अनुदान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 7 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख किया जाना उचित होगा।
36	पृष्ठ क्रमांक 221 पर संत शिरोमणी रविदास गुरुगादी चरणपादुका स्थल जीर्णोद्धार हेतु मद को पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित किये जाने से इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।

37	पृष्ठ क्रमांक 221 पर श्री महाकाल ध्वज चल समारोह (गैर) हेतु अनुदान नवीन मद स्थापित कर इस मद में 51 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
38	पृष्ठ क्रमांक 222 पर अंकित श्री रामलीला महोत्सव आयोजन हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 15 लाख का कम कर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
39	पृष्ठ क्रमांक 222 पर अंकित विक्रम संवत् गुड़ी पड़वा महोत्सव हेतु (प्रतिवर्ष रुद्रसागर के समीप प्रस्तावित सम्राट विक्रमादित्य की मूर्ति के समीप आयोजित किया जावे) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख का कम कर राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
40	पृष्ठ क्रमांक 222 पर अंकित योगेश्वर टेकरी महा शिवरात्रि मेला आयोजन मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख का कम कर राशि रुपये 50 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
41	पृष्ठ क्रमांक 222 पर गंगादशमी/शिवरात्रि मेला व्यवस्था नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
42	पृष्ठ क्रमांक 222 पर रंगपंचमी पर नगर गैर आयोजन नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
43	पृष्ठ क्रमांक 222 पर आनन्द चौदस पर निकलने वाली झांकियों को पुरुस्कार नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
44	पृष्ठ क्रमांक 223 पर अंकित भारत माता पूजन कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख का कम कर राशि रुपये 50 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
45	पृष्ठ क्रमांक 223 पर अंकित महाशिव रात्रि पर्व दीपोत्सव संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएँ मद में रिमार्क के कॉलम में शासन से प्राप्त अनुदान एवं निगम मद अंतर्गत अंकित किया जाकर प्रस्तावित राशि रुपये 200 लाख का कम कर राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
46	पृष्ठ क्रमांक 223 पर अंकित नगर गौरव दिवस चैत्र प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा) मद में समस्त सम्मान समारोह शब्द जोड़ा जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 25 लाख का बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
47	पृष्ठ क्रमांक 225 पर अंकित अन्य अभिभाषक को अनुबंधित करने पर व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को कम कर राशि रुपये 25 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
48	पृष्ठ क्रमांक 228 पर अंकित वर्दी (तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी स्टाफ हेतु) मद में अग्नीशमन कर्मचारियों की वर्दी शब्द जोड़ा जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 22.50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
49	पृष्ठ क्रमांक 229 पर अंकित मुद्रण / स्टेशनरी मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
50	पृष्ठ क्रमांक 229 पर अंकित लेखन सामग्री मद में प्रस्तावित राशि रुपये 25 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
51	पृष्ठ क्रमांक 229 पर अंकित एम.आई.सी. सदस्य एवं पक्ष-विपक्ष कार्यालय में कम्प्यूटर स्थापना, स्टेशनरी एवं फोटो कापी मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
52	पृष्ठ क्रमांक 229 पर अंकित विविध भण्डार विभाग मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 12 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

53	पृष्ठ क्रमांक 231 पर अंकित किट नाशक सफाई सामान हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 15 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
54	पृष्ठ क्रमांक 231 पर अंकित कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु किये जा रहे उपायों, कार्यों में होने वाले व्यय (समस्त विभाग हेतु) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
55	पृष्ठ क्रमांक 233 पर अंकित निगम के कार्यों हेतु अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को किराये पर वाहन व्यवस्था मद में प्रस्तावित राशि रुपये 257.61 लाख को कम कर राशि रुपये 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
56	पृष्ठ क्रमांक 233 पर अंकित निर्माण/स्वास्थ्य के किराये पर वाहन व्यवस्था मद में प्रस्तावित राशि रुपये 200 लाख को कम कर राशि रुपये 80 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
57	पृष्ठ क्रमांक 233 पर अंकित निगम के वाहनों में डीजल पेट्रोल व्यय मद एवं किराये के वाहनों में डीजल पेट्रोल व्यय मद एवं अग्निशमन के वाहनों में डीजल पेट्रोल व्यय मद उपरोक्त तीनों मदों को एक कर उक्त मद का नाम समस्त प्रकार के वाहनों का डीजल, पेट्रोल व्यय मद अंकित किया जाकर इस मद में 700 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
58	पृष्ठ क्रमांक 234 पर अंकित रिपेयर मशीन वाहन आदि / निगम के समस्त वाहन मरम्मत मद में पुराने वाहन चालू करना शब्द जोड़ा जाकर प्रस्तावित राशि रुपये 294.57 लाख को कम कर राशि रुपये 150 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
59	पृष्ठ क्रमांक 234 पर अंकित पुराने वाहनों को चालू करना मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
60	पृष्ठ क्रमांक 235 पर अंकित वर्कशॉप विकास मद में प्रस्तावित राशि रुपये 200 लाख को कम कर राशि रुपये 1 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
61	पृष्ठ क्रमांक 235 पर अंकित डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
62	पृष्ठ क्रमांक 235 पर अंकित कंटेनर मरम्मत / लीटर बिन्स मरम्मत एवं स्थापना मद में प्रस्तावित राशि रुपये 28.83 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
63	पृष्ठ क्रमांक 236 पर अंकित अस्थाई अतिक्रमण हटाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा संचालित क्रैन के किराये से भुगतान हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 25 लाख को कम कर 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
64	पृष्ठ क्रमांक 236 पर पेट्रोल पंप का संचालन/संधारण पर व्यय नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 12 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
65	पृष्ठ क्रमांक 236 पर गत वर्षों के लम्बित भुगतान नवीन मद स्थापित कर इस मद में 522.18 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
66	पृष्ठ क्रमांक 237 पर अंकित डाक एवं तार व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 20 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
67	पृष्ठ क्रमांक 237 पर अंकित ई गर्वनेस सामग्री संधारण आदि हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 75 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
68	पृष्ठ क्रमांक 239 पर अंकित निगम नर्सरी हेतु पौधे, गमले, खाद्य, किटनाशक आदि कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
69	पृष्ठ क्रमांक 239 पर अंकित शहर के विभिन्न मार्गों के दोनो किनारों पर रिक्त शासकीय भूमि को तार फेंसिंग कर पौधारोपण कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

70	पृष्ठ क्रमांक 239 पर अंकित नगर निगम क्षेत्र उज्जैन के अंतर्गत समस्त वार्डों में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित वृक्षों की गणना एवं इनवेटरी तैयार करने हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
71	पृष्ठ क्रमांक 240 पर अंकित सेन्ट्रल डिवाइडर की जाली रिपेरिंग एवं अन्य डिवाइडरों का रखरखाव कार्य / सिविल कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
72	पृष्ठ क्रमांक 240 पर अंकित 75 आजादी का अमृत महोत्सव शहीद स्मृति वन (वार्ड क्र. 4) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
73	पृष्ठ क्रमांक 240 पर अंकित विशिष्ट अवसरों पर उद्यानों की साज सज्जा मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
74	पृष्ठ क्रमांक 240 पर अंकित नानाखेड़ा गणेश मंदिर से यातायात थाने तक एम.आर. 2 रोड़ पर ग्रीन बेल्ट विकास कार्य हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
75	पृष्ठ क्रमांक 241 पर अंकित उद्यानीय विशेषज्ञ / कंस्ट्रक्टर मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
76	पृष्ठ क्रमांक 241 पर गत वर्षों के लम्बित भुगतान नवीन मद स्थापित कर इस मद में 560 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
77	पृष्ठ क्रमांक 242 पर अंकित स्वीमिंग पुल (वाटर-केमिकल) सामान खरीदी (टी.सी.सी.ए.-90, पी.ए.सी. पॉवडर, नीला थोथा, ब्लीचिंग पॉवडर, एसीड) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
78	पृष्ठ क्रमांक 242 पर अंकित स्वीमिंग पुल सामान खरीदी (सीक, झाड़ू, फुल झाड़ू, डण्डा पोछा, रस्सा पोछा, वाईपर, हर्पीक, फीनाईल, लीकवीड, फीनाईल गोली) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
79	पृष्ठ क्रमांक 243 पर अंकित विद्युत शवदाह गृह मद में प्रस्तावित राशि रुपये 75 लाख को कम कर राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
80	पृष्ठ क्रमांक 244 पर अंकित बिजली के खंबे हटाने एवं नये खंबे लगाने का व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को कम कर राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
81	पृष्ठ क्रमांक 244 पर अंकित स्टेच्यु व एतिहासिक स्थलों पर विद्युतीकरण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
82	पृष्ठ क्रमांक 245 पर अंकित कार्यालय में विद्युत फिटिंग, पंखे ट्यूब लाईट, विविध मद में प्रस्तावित राशि रुपये 238 लाख को कम कर राशि रुपये 80 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
83	पृष्ठ क्रमांक 245 पर अंकित महापौर/अध्यक्ष/पार्षदों द्वारा अनुशंसित पूर्व वित्तीय वर्ष व उसके पूर्व के कार्यों के लंबित भुगतान हेतु मद में "अन्य विभागीय लम्बित देनदारिया" शब्द जोड़ा जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 810 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
84	पृष्ठ क्रमांक 245 पर अंकित शहर के समस्त उद्यानों की प्रकाश व्यवस्था हेतु नवीन इन्सटालेशन व संधारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
85	पृष्ठ क्रमांक 245 पर नगर निगम के भवनों पर सोलर सिस्टम यंत्रों की स्थापना नवीन मद स्थापित कर इस मद में राशि रुपये 25 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
86	पृष्ठ क्रमांक 246 पर अंकित वर्दी खरीदी मद को पृष्ठ क्रमांक 228 पर अंकित होने से इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।

87	पृष्ठ क्रमांक 246 पर अंकित हाईडेंट मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
88	पृष्ठ क्रमांक 246 पर अंकित फायर फायटर रीफ्रेब्रिकेशन हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 8 लाख को कम कर राशि रुपये 3 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
89	पृष्ठ क्रमांक 246 पर अंकित फोम कंपाउंडर मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
90	पृष्ठ क्रमांक 246 पर अंकित मक्खी रोड़ स्थित डीपो परिसर में नवीन फायर स्टेशन के संचालन/संधारण कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
91	पृष्ठ क्रमांक 247 पर अंकित नानाखेड़ा फायर स्टेशन के संचालन एवं संधारण कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 2 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
92	पृष्ठ क्रमांक 248 पर अंकित नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं के लिये स्वयं की गौशाला का संचालन संधारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 300 लाख को कम कर राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
93	पृष्ठ क्रमांक 250 पर अंकित निगम के रिक्त आयुर्वेदिक औषधालय या अन्य शासकीय चिकित्सालय भवनों में फिजियोथैरेपी सेंटर खोला जावे मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
94	पृष्ठ क्रमांक 251 पर अंकित सेम्पल लेने पर वस्तु का मूल्य भुगतान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
95	पृष्ठ क्रमांक 251 पर अंकित विविध व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
96	पृष्ठ क्रमांक 251 पर अंकित सामान व सेम्पलिंग बाटल खरीदी मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
97	पृष्ठ क्रमांक 252 पर अंकित विविध व्यय शिल्पज्ञ विभाग मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
98	पृष्ठ क्रमांक 252 पर अंकित विविध व्यय झोन 1 मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 25 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
99	पृष्ठ क्रमांक 252 पर अंकित विविध व्यय झोन 2 मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 25 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
100	पृष्ठ क्रमांक 252 पर अंकित विविध व्यय झोन 3 मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 25 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
101	पृष्ठ क्रमांक 252 पर अंकित विविध व्यय झोन 4 मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 25 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
102	पृष्ठ क्रमांक 253 पर अंकित विविध व्यय झोन 5 मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 25 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
103	पृष्ठ क्रमांक 253 पर अंकित विविध व्यय झोन 6 मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 हजार को बढ़ाकर राशि रुपये 25 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

104	पृष्ठ क्रमांक 253 पर अंकित सप्त सागर मेनटेन्स मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
105	पृष्ठ क्रमांक 254 पर अंकित कीचड़ निवारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
106	पृष्ठ क्रमांक 255 पर अंकित सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की मरम्मत मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
107	पृष्ठ क्रमांक 255 पर अंकित नगर में स्थित प्राचीन कुएं बावडियों की मरम्मत/संरक्षण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 15 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
108	पृष्ठ क्रमांक 255 पर अंकित शाला भवन मरम्मत एवं पुताई, फर्नीचर मरम्मत (शिक्षा उपकर की राशि से व्यय) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
109	पृष्ठ क्रमांक 256 पर अंकित निगम सम्पत्ति मरम्मत मद में प्रस्तावित राशि रुपये 80 लाख को कम कर राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
110	पृष्ठ क्रमांक 256 पर अंकित निगम स्वामित्व के शॉपिंग काम्पलेक्सों का संधारण कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
111	पृष्ठ क्रमांक 257 पर अंकित सिंहस्थ 2016 हेतु विविध व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
112	पृष्ठ क्रमांक 258 पर अंकित लघु लेखाशीर्ष राजस्व अनुदान मद में “/निगम मद” शब्द जोड़ा जाना उचित होगा।
113	पृष्ठ क्रमांक 260 पर अंकित विविध व्यय अमृत एवं अन्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
114	पृष्ठ क्रमांक 262 पर अंकित विविध व्यय/प्रचार-प्रसार प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
115	पृष्ठ क्रमांक 262 पर अंकित बी.एल.सी. चयनित बस्तियों में अधोसंरचना कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
116	पृष्ठ क्रमांक 262 पर अंकित ए.एच.पी.घटक अंतर्गत निर्माणाधीन आवासीय ईकाईयों के विक्रय हेतु मार्केटिंग एवं ब्राण्डिंग कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
117	पृष्ठ क्रमांक 264 पर अंकित पं. दीनदयाल रसोई योजना जनभागीदारी से व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 117 में प्रस्तावित व्यय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है, शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व व्यय में अनुशंसा उपरांत बजट भाग – 1 में प्रस्तावित राशि रुपये राजस्व व्यय राशि 28624.40 लाख (दो सौ छियासी करोड़ चोबीस लाख चालीस हजार रुपये) में राशि 1367.44 लाख (तैरह करोड़ सड़सठ लाख चवालीस हजार रुपये) की वृद्धि कर राशि 29991.84 लाख (दो सौ निनयानवे करोड़ इकानवे लाख चौरयासी हजार रुपये) की राजस्व व्यय की अनुशंसा की जाती है।

पूजीगत व्यय

1	पृष्ठ क्रमांक 266 पर अंकित नये वाहन क्रय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 300 लाख को कम कर राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 266 पर अंकित नवीन चलित/मॉड्यूलर शोचालय क्रय एवं संधारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 266 पर अंकित फायर ब्रिगेड हेतु नये वाहन क्रय मद के रिमार्क के कॉलम में "शासन अनुदान" शब्द अंकित किया जाना उचित होगा।
4	पृष्ठ क्रमांक 266 पर अंकित पी.एच.ई. के लिये नवीन जे.सी.बी. मय हेमर मास्टर एवं छोटी बकेट एवं वार्षिक रख रखाव हेतु मद को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड विभाग अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 323 नवीन जे.सी.बी. जीप पिकअप वेन डम्पर क्रय मद स्थापित होने से उक्त मद को इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 267 पर अंकित बैक हो लोडर/हाईड्रोलिक डम्पर/ट्रेक्टर ट्राली/हाईड्रोलिक क्रेन/स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण हटाने/उद्यान विकास आदि अन्य सिविल कार्य हेतु एवं गौ ग्रास वाहन व्यवस्था छह झोनो में वाहन संचालन मद में प्रस्तावित राशि रुपये 40 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 269 पर अंकित उद्यान उपकरण खरीदने हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
7	पृष्ठ क्रमांक 269 पर अंकित सर्प उद्यान विकास हेतु प्राप्त राशि मद को इस पृष्ठ से विलोपित कर पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 270 पर अंकित निगम प्रशासनिक भवन (कार्यालय भवन) मद में "/झोन कार्यालय" शब्द जोड़ा जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
9	पृष्ठ क्रमांक 271 पर अंकित माधव नगर खिडक विकास मद का नाम माधव नगर खिडक पर काम्पलेक्स का निर्माण संशोधित किया जाना उचित होगा।
10	पृष्ठ क्रमांक 272 पर अंकित रैन बसेरा निर्माण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 20 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
11	पृष्ठ क्रमांक 272 पर अंकित कम्प्यूनिटी हॉल निर्माण (निगम मद) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
12	पृष्ठ क्रमांक 273 पर अंकित नवीन सड़क निर्माण प्रमुख मार्ग मद पृष्ठ क्रमांक 285 पर प्रावधानित होने से इस पृष्ठ से इस मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
13	पृष्ठ क्रमांक 273 पर अंकित नवीन सड़क निर्माण वार्डों के आंतरिक मार्ग (गली मोहल्ले) मद पृष्ठ क्रमांक 285 पर प्रावधानित होने से इस पृष्ठ से इस मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
14	पृष्ठ क्रमांक 273 पर अंकित पंचक्रोशी यात्रा मार्ग व्यवस्था मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
15	पृष्ठ क्रमांक 273 पर अंकित पेवर ब्लॉक कार्य हेतु (उद्यान छोडकर) मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

16	पृष्ठ क्रमांक 274 पर शहर के विभिन्न वार्डों अंतर्गत नाली निर्माण मद पृष्ठ क्रमांक 286 पर प्रावधानित होने से इस पृष्ठ से विलोपित किया जाना उचित होगा।
17	पृष्ठ क्रमांक 275 पर अंकित निर्माण कार्य गुणवत्ता हेतु उपकरण एवं मशीन क्रय एवं लेब निर्माण मोबाईल वेन सहित मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
18	पृष्ठ क्रमांक 275 पर अंकित देव स्थलों तक पहुंच मार्गों के आस-पास सौन्दर्यीकरण कार्य मद में "नगर निगम सीमांतर्गत आने वाले 84 महादेव मंदिर" शब्द भी जोड़ा जाना उचित होगा।
19	पृष्ठ क्रमांक 275 पर अंकित चौराहों एवं तिराहों का विकास (नगर सौन्दर्यीकरण) मद के अंतर्गत शहर के 7 प्रमुख चौराहों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित होने से उक्त मद में "पुराने शहर में स्थित तैलीवाड़ा एवं कंठाल चौराहा आदि का विकास एवं सौन्दर्यीकरण" शब्द जोड़ा जाना उचित होगा।
20	पृष्ठ क्रमांक 275 पर अंकित यातायात विकास की दृष्टि से चौराहों एवं तिराहों पर मार्गदर्शक संकेतक एवं यातायात सिग्नल लगाना, प्रचार-प्रसार कार्य, केट-ऑई तथा रोड़ मार्किंग मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 15 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
21	पृष्ठ क्रमांक 276 पर अंकित ऐसे वार्ड जिनमें गाँव भी सम्मिलित है के विकास कार्य हेतु एवं पिछड़े वार्डों का विकास मद के रिमार्क के कॉलम में "मा. महापौरजी की अनुशंसा उपरांत" शब्द अंकित किया जाना उचित होगा।
22	पृष्ठ क्रमांक 276 पर अंकित औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
23	पृष्ठ क्रमांक 277 पर अंकित कार्तिक मेला ग्राउण्ड पर विकास कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
24	पृष्ठ क्रमांक 278 पर अंकित पुरानी पानी की टंकी छत्रीचौक पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स एवं ऑफिस चेम्बर निर्माण पीपी योजनांतर्गत मद का नाम "पुरानी पानी की टंकी छत्रीचौक पर फ्रुट मार्केट का निर्माण" किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 50 लाख तथा रिमार्क के कॉलम में ऋण योजना में प्रथम चरण शब्द को विलोपित कर इसके स्थान पर निगम मद अंकित किया जाना उचित होगा।
25	पृष्ठ क्रमांक 279 पर अंकित पुराना अस्पताल (डिस्पेंसरी) छत्रीचौक पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स एवं ऑफिस चेंबर निर्माण मद के स्थान पर सिटी क्लीनिक व महिला मार्केट अंकित किया जाकर रिमार्क के कॉलम में अंकित ऋण योजना में द्वितीय चरण को विलोपित कर निगम मद अंकित किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
26	पृष्ठ क्रमांक 279 पर पुराना वर्कशॉप मक्खी रोड़ के स्थान पर व्यावसायिक क्रम में आवसीय भवन निर्माण मद के रिमार्क के कॉलम में अंकित ऋण योजना में द्वितीय चरण को विलोपित कर निगम मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
27	पृष्ठ क्रमांक 280 पर मूलभूत सुविधा अनुदान से कार्य मद पृष्ठ क्रमांक 288 पर प्रावधानित होने से इस पृष्ठ से इस मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
28	पृष्ठ क्रमांक 281 पर अन्य विकास कार्य मद पृष्ठ क्रमांक 288 पर प्रावधानित होने से इस पृष्ठ से इस मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।

29	पृष्ठ क्रमांक 281 पर मा.महापौरजी की अनुशंसा से निर्माण एवं अन्य कार्य स्व विवेक से वार्डों को आवंटित किये जाने हेतु मद के रिमार्क के कॉलम में "प्रत्येक पार्षदों को समान रूप से स्थाई प्रकृति के कार्य हेतु 5-5 लाख रुपये दिये जाने से" शब्द अंकित किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 750 लाख को कम कर राशि रुपये 480 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
30	पृष्ठ क्रमांक 282 पर मा. नाम निर्दिष्ट पार्षद की अनुशंसा से निर्माण एवं अन्य कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 120 लाख को कम कर राशि रुपये 12 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
31	पृष्ठ क्रमांक 282 पर मा. वार्ड पार्षद की अनुशंसा से अपने वार्ड में निर्माण एवं अन्य कार्य प्रत्येक पार्षद राशि रु. 30 लाख की सीमा में मद के स्थान पर "मा. वार्ड पार्षद की अनुशंसा से अपने वार्ड में क्षेत्रवासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केवल स्थाई प्रकृति के कार्य हेतु राशि रु. 35 लाख की सीमा में" एवं रिमार्क के कॉलम में "मा. महापौर मद से प्रत्येक पार्षद को 5-5 लाख रुपये दिये जाने से" अंकित किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1620 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 1890 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
32	पृष्ठ क्रमांक 284 पर निगम स्वामित्व की खूली भूमि पर शापिंग काम्प्लेक्स आदि का निर्माण "जयसिंहपुरा स्थित आयुर्वेदिक औषधालय की रिक्त हुई भूमि पर कम्यूनिटी हॉल निर्माण एवं अन्य स्थानों पर शापिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण" मद में "कम्यूनिटी हॉल" शब्द विलोपित कर "सुविधा केन्द्र" शब्द जोड़ा जाना उचित होगा।
33	पृष्ठ क्रमांक 285 पर बहादुरगंज सब्जी मण्डी में आरसीसी शेड व दुकानों का नवनीकरण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
34	पृष्ठ क्रमांक 285 पर बलाई समाज की धर्मशाला की निगम स्वामित्व की जमीन बड़े पुल के पास में बेसमेंट पार्किंग, दुकाने एवं कर्मचारी निवास निर्माण कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
35	पृष्ठ क्रमांक 285 पर पटवारी स्कूल की निगम स्वामित्व की भूमि पर विकास कार्य "रैनबसेरा की भूमि पर कमर्शियल काम्प्लेक्स निर्माण एवं पार्किंग" मद में "कमर्शियल काम्प्लेक्स" के स्थान पर "किराना मार्केट" एवं "मल्टिलेवल पार्किंग" शब्द अंकित किया जा कर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 30 लाख को कम कर राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
36	पृष्ठ क्रमांक 285 पर नवीन सड़क निर्माण प्रमुख मार्ग मद में प्रस्तावित राशि रुपये 200 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
37	पृष्ठ क्रमांक 286 पर शहर के विभिन्न वार्डों अंतर्गत नाली निर्माण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1700 लाख को कम कर राशि रुपये 500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
38	पृष्ठ क्रमांक 286 पर अंकित देवास रोड़ विभिन्न स्थानों / तालाबों पर हाकर्स झोन मद के स्थान पर "नीलगंगा स्थित हाट बाजार के समीप, माधव नगर अस्पताल के समीप, इन्दिरा नगर तिराहा, इस्कॉन मंदिर के पीछे तथा बुधवारिया हॉट बाजार के पास हाकर्स झोन निर्माण" अंकित किया जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 125 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
39	पृष्ठ क्रमांक 286 पर अंकित बस स्टेण्ड विकास कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
40	पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित दौलतगंज सब्जी मण्डी को तोड़कर नवीन कमर्शियल काम्प्लेक्स निर्माण कार्य मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
41	पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित नगर निगम सीमा प्रारंभ स्थलों पर प्रवेश द्वार का निर्माण मद में " / झांकी" शब्द जोड़ा जाकर इस मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

42	पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित कुएे बवाडियों विकास कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 50 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
43	पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित शहर में सर्वसुविधायुक्त ऑडीटोरियम का निर्माण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1500 लाख को कम कर राशि रुपये 500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
44	पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित केडी गेट से ईमली तिराहा गौतम मार्ग तक रोड़ चौडीकरण विकास कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 750 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 850 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
45	पृष्ठ क्रमांक 287 पर अंकित निगम कर्मचारियों को आवासगृह उपलब्ध कराने हेतु नवीन आवासीय भवन निर्माण (झोन क्र. 4 के पीछे आवासीय परिसर भी सम्मलित) मद को विलोपित किया जाना उचित होगा।
46	पृष्ठ क्रमांक 287 पर संत शिरोमणी रविदास गुरुगादी चरणपादुका स्थल जीर्णोद्धार हेतु मद अंकित किया जाकर एवं पृष्ठ क्रमांक 221 से इस मद को विलोपित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
47	पृष्ठ क्रमांक 287 पर सर्प उद्यान विकास हेतु प्राप्त राशि मद पृष्ठ क्रमांक 269 से विलोपित कर इस पृष्ठ पर अंकित कर इस मद में 3.50 लाख का प्रावधान जाना उचित होगा।
48	पृष्ठ क्रमांक 287 पर सभी 54 वार्डों में जन सहायता केन्द्र निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 108 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
49	पृष्ठ क्रमांक 287 पर रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं महाकाल मंदिर के पास यात्री सहायता केन्द्र निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 30 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
50	पृष्ठ क्रमांक 287 पर कागज से लिफाफे बनाने का प्लांट की स्थापना नवीन मद स्थापित कर इस मद में 25 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
51	पृष्ठ क्रमांक 287 पर शहर के प्रमुख चौराहों एवं बाजारों में सशुल्क वाटर एटीएम की स्थापना नवीन मद स्थापित कर इस मद में 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
52	पृष्ठ क्रमांक 287 पर नीलगंगा तालाब विकास कार्य नवीन मद स्थापित कर इस मद में 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
53	पृष्ठ क्रमांक 287 पर सेंटपॉल से अंकपात जोड़ने वाला रोड़ निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
54	पृष्ठ क्रमांक 287 पर गुरुनानाक मार्केट का शेष निर्माण कार्य नवीन मद स्थापित कर इस मद में 65 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
55	पृष्ठ क्रमांक 287 पर महापौर चौपाटी निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
56	पृष्ठ क्रमांक 287 पर चामुण्डा माता चौराहा, तीन बत्ती चौराहा पर पैदल पुल निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 150 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
57	पृष्ठ क्रमांक 287 पर श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग का चौडीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य नवीन मद स्थापित कर इस मद में 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
58	पृष्ठ क्रमांक 287 पर निगम स्वामित्व की चयनीत भूमि पर होटल निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
59	पृष्ठ क्रमांक 287 पर नगर में विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना नवीन मद स्थापित कर इस मद में 30 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

60	पृष्ठ क्रमांक 287 पर सीएम मॉनिट अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य नवीन मद स्थापित कर रिमार्क के कॉलम में "शासन अनुदान/निगम मद" अंकित किया जाकर इस मद में 1500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
61	पृष्ठ क्रमांक 287 पर संजीवनी क्लीनिक निर्माण नवीन मद स्थापित कर रिमार्क के कॉलम में "शासन अनुदान/निगम मद" अंकित किया जाकर इस मद में 500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
62	पृष्ठ क्रमांक 287 पर दुर्गादास बस्ती में नाला निर्माण (एस डी आर एफ अंतर्गत) नवीन मद स्थापित कर इस मद में 210 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
63	पृष्ठ क्रमांक 287 पर रामप्रसाद भार्गव मार्ग स्थित सब्जी मण्डी का निर्माण नवीन मद स्थापित कर इस मद में 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
64	पृष्ठ क्रमांक 292 पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विकास कार्य मद के रिमार्क के कॉलम में "/निगम मद" शब्द जोड़ा जाना उचित होगा।
65	पृष्ठ क्रमांक 293 पर अंकित अमृत परियोजना के हरित क्षेत्र विकास अंतर्गत चकोर पार्क विकास प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत हेतु निगम निधि से व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 15 लाख को कम कर राशि रुपये 1 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक 1 लागयत 65 तक प्रस्तावित व्यय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पुंजीगत व्यय में प्रस्तावित राशि रुपये पुंजीगत व्यय राशि 50464.65 लाख (पाँच सौ चार करोड़ चौसठ लाख पैसठ हजार रुपये) में राशि 1715.88 लाख (सत्रह करोड़ पंद्रह लाख इठ्यासी हजार रुपये) की कमी कर राशि 48748.77 लाख (चार सौ सितयासी करोड़ अड़तालीस लाख सितोत्तर हजार रुपये) की अनुशंसा की जाती है।

इस प्रकार उक्त प्रस्तावित बजट वर्ष 2023-24 भाग - 1 (नगर निगम) में कुल आय 78795.61 लाख (सात सौ सितयासी करोड़ पिंच्यानवे लाख इकसठ हजार रुपये) एवं कुल व्यय 78740.61 लाख (सात सौ सितयासी करोड़ चालीस लाख इकसठ हजार रुपये) सहित रुपये 55.00 लाख (पचपन हजार रुपये) की बचत की अनुशंसा की जाती है।

बजट भाग – 2 (पी.एच.ई.)

(अ) राजस्व प्राप्तियाँ

1	पृष्ठ क्रमांक 299 पर अंकित जल उपयोग शुल्क मद में प्रस्तावित राशि रुपये 3622 लाख को कम कर राशि रुपये 1541 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
---	---

बिन्दु क्रमांक 1 प्रस्तावित आय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

बजट भाग – 2 में प्रस्तावित राशि रुपये राजस्व प्राप्तियाँ राशि 6331.75 लाख (त्रेसठ करोड़ इकत्तीस लाख पिचोत्तर हजार रुपये) में राशि 2081.00 लाख (बीस करोड़ इक्यासी लाख रुपये) की कमी कर राशि 4250.75 लाख (बयालीस करोड़ पचाल लाख पिचोत्तर हजार रुपये) की अनुशंसा की जाती है।

(ब) पूंजीगत प्राप्तियाँ

1	पृष्ठ क्रमांक 302 पर अंकित लघु लेखाशीर्ष "अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिये" के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु शासन से प्राप्त अनुदान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 250 लाख को बढ़ाकर 750 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 303 पर अंकित नर्मदा के पानी से गंभीर डेम तक पाईप लाईन विस्तार अनुदान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 0 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 700 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 303 पर उज्जैन शहर के पी.एच.ई. से उपभोक्ता द्वारा नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु नल कनेक्शन की कार्यवाही ऑनलाईन करने एवं जलकर शुल्क ऑनलाईन भुगतान नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
4	पृष्ठ क्रमांक 303 पर प्लम्बर फीस में वृद्धि से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 303 पर अवैद्य नल कनेक्शन को वैद्य करने से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 303 पर नल कनेक्शन में नाम परिवर्तन करने से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
7	पृष्ठ क्रमांक 303 पर टैंकर शुल्क से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 303 पर शहर के नालों में बहने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिये संयंत्र स्थापना नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
9	पृष्ठ क्रमांक 303 पर बोरिंग अनुमति शुल्क से प्राप्त आय नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 15 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

10	पृष्ठ क्रमांक 303 पर विभिन्न जल यंत्रालयों पर सोलर प्लांट की स्थापना (शासन/निगम मद) नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 700 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
----	---

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 10 में प्रस्तावित आय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

बजट भाग – 2 में प्रस्तावित राशि रुपये पूंजीगत प्राप्तियाँ राशि 494.44 लाख (चार करोड़ चौरयानवे लाख चवालीस हजार रुपये) में राशि 2075.00 लाख (बीस करोड़ पिचोत्तर लाख रुपये) की वृद्धि कर राशि 2569.44 लाख (पच्चीस करोड़ उनसत्तर लाख चवालीस हजार रुपये) की अनुशंसा की जाती है।

(स) राजस्व व्यय

1	पृष्ठ क्रमांक 305 पर अंकित कार्यालयीन फर्नीचर एवं टेलीफोन, स्टेशनरी का व्यय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 12 लाख को कम कर राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 305 पर अंकित कम्प्यूटर बिलिंग एवं स्टेशनरी क्रय तथा छपाई मद में प्रस्तावित राशि रुपये 25 लाख को कम कर राशि रुपये 18 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 306 पर अंकित ट्रीटमेंट प्लांट का सामान्य संधारण (पुराना) ट्रीटमेंट प्लांट का सामान्य संधारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 150 लाख को कम कर राशि रुपये 125 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
4	पृष्ठ क्रमांक 307 पर अंकित पाईप लाईन एंड स्टोर आदि का संधारण जल वितरण नालिकाओं का संधारण इत्यादि कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 275 लाख को कम कर राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 307 पर अंकित वाहनों का संधारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 75 लाख को कम कर राशि रुपये 65 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 312 पर अंकित जीप, ट्रेक्टर, टैंकर-ट्रॉली, डमपर, डीजल इंजीन आदि हेतु पी.ओ.एल. मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को कम कर राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
7	पृष्ठ क्रमांक 312 पर अंकित श्री महाकाल फिल्टर प्रेशर का संधारण मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1 लाख को कम कर राशि रुपये 10 हजार का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 314 पर अंकित उण्डासा प्लांट पर सिविल कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 5 लाख को कम कर राशि रुपये 2 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
9	पृष्ठ क्रमांक 317 पर अंकित गंभीर जलाशय के जल मानीटरिंग एवं जलापूर्ति संबंधित आवश्यक कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख को कम कर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
10	पृष्ठ क्रमांक 320 पर अंकित "शिप्रा शुद्धिकरण (पी.एच.ई. से संबंधित कार्यों हेतु)" मद में प्रस्तावित राशि रुपये 800 लाख को कम कर राशि रुपये 500 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक 1 लागयत 10 तक प्रस्तावित व्यय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

बजट भाग – 2 में प्रस्तावित राशि रुपये राजस्व व्यय रुपये 4131 लाख (इकतालीस करोड़ इकत्तीस लाख रुपये) में राशि 477.90 लाख (चार करोड़ सितोत्तर लाख नब्बे हजार रुपये) की कमी कर 3653.10 लाख (छत्तीस करोड़ त्रेपन लाख दस हजार रुपये) की अनुशंसा की जाती है।

(द) पूंजीगत व्यय

1	पृष्ठ क्रमांक 322 पर अंकित देवासगेट टंकी परिसर में नवीन ऑफिस/रिकार्ड रूम तथा अन्य निर्माण कार्य मद में प्रस्तावित राशि रुपये 100 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
2	पृष्ठ क्रमांक 323 पर अंकित नवीन जे.सी.बी. जीप पिकअप वेन डम्पर क्रय मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1 लाख को बढ़ाकर राशि रुपये 5 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
3	पृष्ठ क्रमांक 326 पर शहर के नालों में बहने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिये संयंत्र स्थापना नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 100 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
4	पृष्ठ क्रमांक 326 पर शहर के किसी एक चयनीत वार्ड में 24 घण्टे जल प्रदाय व्यवस्था नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
5	पृष्ठ क्रमांक 326 पर झोनवार बिल कलेक्शन केन्द्र की स्थापना व्यवस्था नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 10 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
6	पृष्ठ क्रमांक 326 पर विभिन्न जल यंत्रालयों पर सोलर प्लांट की स्थापना (शासन/निगम मद) नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 700 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
7	पृष्ठ क्रमांक 326 पर विविध व्यय नवीन मद स्थापित किया जाकर इस मद में राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।
8	पृष्ठ क्रमांक 327 पर गत वर्षों के लंबित कार्यों के भुगतान हेतु मद में प्रस्तावित राशि रुपये 1870 लाख को कम कर राशि रुपये 1387.90 लाख का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक 1 लागयत 8 तक प्रस्तावित व्यय राशि को बजट में यथास्थान सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। शेष यथा प्रस्तावित राशि रुपये अनुशंसित किया जाता है।

बजट भाग – 2 में प्रस्तावित राशि रुपये पूंजीगत व्यय रुपये 2694.19 लाख (छब्बीस करोड़ चोरयानवे लाख उन्नीस हजार रुपये) में राशि 471.90 लाख (चार करोड़ इकोत्तर लाख नब्बे हजार रुपये) की वृद्धि कर 3166.09 लाख (इकत्तीस करोड़ छ्छट लाख नौ हजार रुपये) की अनुशंसा की जाती है।

इस प्रकार बजट वर्ष 2023-24 भाग - 2 (पी.एच.ई.) हेतु प्रस्तावित कुल आय राशि 6820.19 लाख रुपये एवं कुल व्यय 6819.19 लाख रुपये सहित 1 लाख रुपये की बचत की अनुसंशा की जाती है।

इस प्रकार बजट वर्ष 2023-24 की कुल आय (नगर निगम एवं पी.एच.ई.सहित) 85615.80 लाख रुपये (शब्दों में आठ सौ छप्पन करोड़ पंद्रह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) एवं कुल व्यय 85559.80 लाख रुपये (शब्दों में आठ सौ पचपन करोड़ उनसाठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) सहित 56.00 लाख रुपये (शब्दों में छप्पन लाख रुपये मात्र) की बचत की स्वीकृति की अनुसंशा की जाती है।

प्रकरण माननीय निगम परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।

प्रतिलिपि क्रमांक :-

1. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मुकेश टटवाल)
महापौर एवं अध्यक्ष
मेयर ईन काउंसिल
नगर पालिक निगम उज्जैन
उज्जैन, दिनांक

निगम सचिव
नगर पालिक निगम उज्जैन

नगरपालिक निगम उज्जैन

उज्जैन शहर का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक परिदृश्य –

तीर्थराज उज्जैन भारत का प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर हैं यह नगर पॉच हजार वर्ष पुराना है। आदि ब्रह्म पुराण में पृथ्वी की सर्वोत्तम नगरी के रूप में उज्जयिनी का वर्णन है।

यह नगर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर , सप्त पुरियों में से एक मोक्षदायिनी पुरी, द्वादश व चौरासी दोनों शक्तिपीठों से सम्पन्न (गढ़कालिका एवं हरिसिद्धि) एवं पवित्र कुम्भ मेले लगने वाले चार शहरों में से एक नगर उज्जैन है।

उज्जयिनी संस्कृत शब्द हैं इसका अर्थ है उत + जयिनी अर्थात् उत्कर्ष के साथ विजय देने वाली । स्कंद पुराण में उज्जैन का विस्तृत वर्णन किया गया हैं । मंगलग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी उज्जैन को ही माना गया है।

बौद्ध साहित्य अनुसार छठी शताब्दी पूर्व अवंति क्षेत्र की राजधानी उज्जैन थी । इस समय यह उत्तरी एवं दक्षिण भारत के मध्य व्यापार का एक प्रमुख मार्ग था । यह क्षेत्र मौर्य वंश के शासक अशोक का कार्यक्षेत्र भी रहा था जो कि बाद में भारत के सम्राट हुए । मौर्य शासन के उपरांत शुंग , सातवाहन आदि द्वारा यहाँ शासन किया गया ।

लगभग 380 ई के समय उज्जैन गुप्त साम्राज्य के शासक महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी था । उन्हीं के दरबार में संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान कालिदास भी थे।

10 वीं एवं 11 वीं शताब्दी के समय उज्जैन गणित एवं ज्योतिष अध्ययन का एक प्रमुख केन्द्र था ।

मुगलों के बाद 18 वीं सदी के पूर्व यहाँ मराठों का शासन था इसके बाद सिंधिया राजघराने का यहां शासन रहा । तथा 1810 तक यह नगर सिंधिया राजघराने की राजधानी रहा । 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश के गठन के पूर्व उज्जैन मध्यभारत प्रांत अंतर्गत था ।

उज्जैन का भौगोलिक महत्व :-

मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थल श्री मंगलनाथ एवं कर्करेखा पर स्थित कर्कराज तथा देश की प्रमुख चार वैधशालाओं में से एक वैधशाला के उज्जैन शहर में स्थापित होने के कारण खगोलीय एवं भौगोलिक दृष्टि से भी उज्जैन का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

उज्जैन विंध्यांचल पर्वतश्रेणी पर , मालवा के पठार पर समुद्र से 491.74 मीटर की उंचाई पर 23.182778 अंश उत्तरी अक्षांश और 75.777222 अंश पूर्व देशांतर पर शिप्रा के सुरम्य तट पर बसा है। शिप्रा नदी के साथ – साथ उज्जैन में स्थित सप्तसागर (रूद्रसागर, पुष्करसागर , क्षीरसागर , गोवर्धनसागर , रत्नाकरसागर , विष्णुसागर , पुरुषोत्तमसागर) भी अपना भौगोलिक एवं पौराणिक महत्व रखते हैं ।

उज्जैन शहर के विकास एवं आम नागरिकों की सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्था **नगरपालिक निगम उज्जैन** का भी ऐतिहासिक महत्व है जो निम्नानुसार है :-

1. उज्जैन म्यूनिसिपल्टी की स्थापना सन् 1886 में हुई थी। तत्समय संस्था के लेखन व्यवहार की लिपि मोढ़ी तथा भाषा मराठी मान्य थी।
2. सन् 1912 में उज्जैन म्यूनिसिपल्टी को ग्वालियर म्यूनिसिपल्टी के समकक्ष प्रथम श्रेणी का घोषित किया जाकर नगर सीमा में वृद्धि की गई।
3. सितम्बर 1924 में सदस्यों की नामजदगी की गई जिसमें जनप्रतिनिधि अध्यक्ष श्री सोहराब जी थे।
4. सन् 1930 से चुनाव पद्धति द्वारा सदस्यों का निर्वाचन आरंभ हुआ।
5. सन् 1951 में उज्जैन म्यूनिसिपल्टी का क्षेत्रफल 13.47 वर्ग किलोमीटर था तथा सन् 1952 में माधवनगर म्यूनिसिपल्टी का विलिनीकरण उज्जैन म्यूनिसिपल्टी में किया गया जिससे सन् 1954 में उज्जैन म्यूनिसिपल्टी को वृहद नगरपालिका का दर्जा दिया गया। वर्तमान में नगरपालिक निगम उज्जैन की सीमा का क्षेत्रफल 92.68 वर्ग किलोमीटर है।
6. उज्जैन वृहद नगरपालिका में जनप्रतिनिधियों का प्रथम चुनाव सन् 1954 में एवं द्वितीय चुनाव सन् 1958 में हुआ।

7. 26 जनवरी, 1965 में उज्जैन वृहद नगरपालिका को नगरपालिका निगम का दर्जा दिया गया तथा सन् 1971 में उज्जैन नगरपालिक निगम का दर्जा प्राप्त हुआ।
8. नगरपालिक निगम उज्जैन की प्रथम परिषद सन् 1971, द्वितीय परिषद सन् 1979, तृतीय परिषद सन् 1994, चतुर्थ परिषद सन् 2000 , पंचम परिषद का निर्वाचन सन् 2005 में, षष्ठम परिषद का गठन वर्ष 2010 में एवम् जनप्रतिनिधियों की परिषद दिनांक 04-सितम्बर-2015 से प्रभावशील होकर परिषद की कालावधि 03-सितम्बर-2020 तक रही कोविड- 19 होने से वर्तमान तक परिषद का गठन नहीं हुआ है।
9. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगरपालिक निगम उज्जैन सीमा क्षेत्र की जनसंख्या 5,15,215 है।
10. नगर निगम सीमा क्षेत्र में भेरूगढ, शंकरपुर, पंवासा, मोरूखेडी, हामूखेडी, हरियाखेडी, शक्करवासा, गोयलाखुर्द ग्राम सम्मिलित है।
11. उज्जैन नगरपालिक निगम में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं शासन द्वारा बनाये गये नियमों/अधिनियमों/आदेशों तथा प्रचलित उपविधियों का पालन किया जाता है।
12. नगरनिगम उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर को प्रशासकीय कार्य व्यवस्था की दृष्टि से 6 झोन में विभाजित किया गया है –
 - वार्ड समिति झोन क्रमांक-1, पीपलीनाका चौराहा, उज्जैन
 - वार्ड समिति झोन क्रमांक-2, न्यू फायर ब्रिगेड परिसर, आगर रोड, उज्जैन
 - वार्ड समिति झोन क्रमांक-3, दूधतलाई, उज्जैन
 - वार्ड समिति झोन क्रमांक-4, फिंगंज, उज्जैन
 - वार्ड समिति झोन क्रमांक-5, मक्सी रोड, उज्जैन
 - वार्ड समिति झोन क्रमांक-6, वेद नगर ,नानाखेड़ा ,उज्जैन

74 वे संविधान संशोधन के पश्चात नगरीय निकायों का महत्व एवं उनके दायित्वों में बढ़ोतरी हुई है तथा वर्तमान समय में जब दैनंदिनी क्रियाकलापों के संचालन के लिये संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है तथा आधुनिक सूचना तथा तकनीक का प्रयोग करके नगर निगम की कार्यप्रणाली को सरल व पारदर्शी बनाकर जन आकांक्षाओं को पूरा करना है। देश में पहली बार केन्द्र व राज्य सरकारें शहरी विकास के महत्व को प्राथमिकता के आधार पर लेकर शहरों की बढ़ती आबादी एवं शहरों के अधोसंरचना विकास के लिये कृत संकल्पित है इसी कड़ी में केन्द्र शासन द्वारा अमृत परियोजना योजना प्रारंभ की है तथा प्रथम बार अमृत अंतर्गत मध्यप्रदेश के उज्जैन सहित 33 शहर सम्मिलित है। शहरों की अधोसंरचना विकास का महत्वपूर्ण दायित्व नगरीय निकायों के कंधों पर है तथा निगम के कार्यों से जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो तथा उत्कृष्ट नागरिक सेवा, मानवीय सरोकारों के साथ आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग, जन सहयोग, सजग नागरिक एवं नागरिकों की संतुष्टि ही आगामी वर्षों में हमारा अंगीकृत संकल्प है।

बजट का महत्व

बजट के बारे में सामान्य भ्रांति यह है कि बजट अगले वित्तीय वर्ष में खर्च करने तथा खर्च करने हेतु साधन जुटाने की सामान्य प्रक्रिया है। इस भ्रांति के कारण बजट को आम तौर पर रूटीन वार्षिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है परन्तु बजट वास्तव में इससे अलग है। किसी भी संस्था के लिये बजट मूल रूप में एक पूरे वर्ष के लिये नीति निर्धारक दस्तावेज है, जो उस संस्था के भविष्य संबंधी परिकल्पना एवं दूर दृष्टि को ठोस रूप देने का एक माध्यम तथा उपकरण है। बजट संस्थागत परिकल्पनाओं, नीतियों एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, उनके क्रियान्वयन के लिये साधन जुटाता है तथा जुटाये हुये साधनों का विभिन्न मदों में वितरण करता है। इस तरह बजट मूलतः नीति निर्धारक तथा निर्धारित नीति के क्रियान्वयन के लिये एक प्रभावशाली दस्तावेज है।

नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत लेखा नियम नहीं बनाये गये थे परन्तु जुलाई, 2007 में राज्य शासन द्वारा लेखा नियम प्रभावशील किये हैं जिसके अनुसार इस वित्तीय वर्ष में एक्रुअल बेस्ड दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर लेखाओं का संधारण किया जावेगा। प्रस्तुत बजट में बजट कोड आधारित प्रक्रिया लागू की जा रही है। बजट में उपलब्ध राशि के विरुद्ध ही व्यय किया जा सकेगा। बजट से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जा सकेगा। बजट में प्रावधानित राजस्व वसूली के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत निगरानी रखी जा सकेगी। बजट अनुशासन सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा विभिन्न कार्यों का समय सीमा में गुणवत्ता के साथ निष्पादन करने हेतु मानिट्रिंग की जा सकेगी।

स्थानीय निकाय शहर की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो आम जन के दैनंदिनी कार्यों से जुड़ी है तथा शहर की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करती है। नगरपालिक निगम अपने कार्यों का संचालन पृथक-पृथक विभागों के माध्यम से करता है। निगम निम्न विभागों के माध्यम से अपने कार्यों का संपादन करती है – संपत्तिकर विभाग, राजस्व विभाग अन्यकर, स्वास्थ्य विभाग, शिल्पज्ञ विभाग, उद्यान विभाग, सिंहस्थ प्रकोष्ठ,

निगम कार्यालय, लेखा एवं पेंशन विभाग, स्थापना, फायर ब्रिगेड, वर्कशॉप एवं निगम गैरेज, परीक्षणालय, निगम कंट्रोल रूम, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय, तरणताल, विद्युत शवदाह गृह, सम्पवेल, सामान्य प्रशासन एवं रेकार्ड विभाग, विधि विभाग, जनसंपर्क विभाग, पुस्तकालय, स्टोर विभाग, नगर शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ, नगर निवेश, कॉलोनी सेल, योजना शाखा, जन्म मृत्यु शाखा, प्रकाश विभाग, श्रमिक सेल, अमृत परियोजना।

मा. श्री मुकेश टटवाल, महापौर

मा. श्रीमती कलावती यादव, अध्यक्ष

माननीय पार्षदगण

वार्ड क्र 1 मा. श्रीमती निकिता परमानंद मालवीय

वार्ड क्र 28 मा. श्री सत्यनारायण चौहान

वार्ड क्र 2 मा. श्री हेमंत गोहलोत

वार्ड क्र 29 मा. श्री रामेश्वर दुबे

वार्ड क्र 3 मा. श्री पंकज चौधरी

वार्ड क्र 30 मा. श्रीमती नजमा बी फिरोज पठान

वार्ड क्र 4 मा. श्रीमती बबीता घनश्याम गौड

वार्ड क्र 31 मा. श्रीमती नाजिया सादिक कुरैशी

वार्ड क्र 5 मा. श्री दिलीप सिंह परमार

वार्ड क्र 32 मा. श्रीमती शमशाद मेहताब लाला

वार्ड क्र 6 मा. श्री शिवेन्द्र तिवारी

वार्ड क्र 33 मा. श्रीमती लीलाबाई वर्मा

वार्ड क्र 7 मा. श्री विजय सिंह कुशवाह

वार्ड क्र 34 मा. श्रीमती भारती विजय चौधरी

वार्ड क्र 8 मा. श्री गजेन्द्र हिरवे

वार्ड क्र 35 मा. श्री संग्राम सिंह भाटिया

वार्ड क्र 9 मा. श्रीमती सपना जितेन्द्र सांखला

वार्ड क्र 36 मा. श्रीमती दुर्गा शक्तिसिंह चौधरी

वार्ड क्र 10 मा. श्री गब्बर भाटी

वार्ड क्र 37 मा. श्री सुरेन्द्र मेहर

वार्ड क्र 11 मा. श्रीमती हाजरा बी जाहिद हुसैन

वार्ड क्र 12 मा. श्री छोटेलाल मंडलोई

वार्ड क्र 13 मा. श्री इमरान युसूफ खान

वार्ड क्र 14 मा. श्रीमती शाहीन कुरैशी

वार्ड क्र 15 मा. श्रीमती कलावती यादव

वार्ड क्र 16 मा. श्री राजेश बाथम

वार्ड क्र 17 मा. श्रीमती राखी कडेल

वार्ड क्र 18 मा. श्री रवि राय

वार्ड क्र 19 मा. श्रीमती पूनम मोहित जायसवाल

वार्ड क्र 20 मा. श्री प्रकाश शर्मा

वार्ड क्र 38 मा. श्री अनिल गुप्ता

वार्ड क्र 39 मा. श्री जितेन्द्र कुवाल

वार्ड क्र 40 मा. श्रीमती जानीबाई राठौर

वार्ड क्र 41 मा. श्री पुरुषोत्तम मालवीय

वार्ड क्र 42 मा. श्रीमती अंजली बालकृष्ण पटेल

वार्ड क्र 43 मा. श्रीमती सुरभि सुनील चावण्ड

वार्ड क्र 44 मा. श्रीमती नीलम राजा कालरा

वार्ड क्र 45 मा. श्री राजेन्द्र कुवाल

वार्ड क्र 46 मा. श्री कैलाश प्रजापत

वार्ड क्र 47 मा. श्रीमती दिव्या बलवानी

वार्ड क्र 21	मा. श्री अर्पित महेशचंद्र दुबे	वार्ड क्र 48	मा. श्रीमती अंशु गोपाल अग्रवाल
वार्ड क्र 22	मा. श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी	वार्ड क्र 49	मा. श्रीमती आभा कुशवाह
वार्ड क्र 23	मा. श्री रजत सुभाष मेहता	वार्ड क्र 50	मा. श्रीमती नवीता विकास मालवीय
वार्ड क्र 24	मा. श्री सुशील श्रीवास	वार्ड क्र 51	मा. श्रीमती आशिमा सेंगर
वार्ड क्र 25	मा. श्रीमती डॉ. योगेश्वरी राठौर	वार्ड क्र 52	मा. श्रीमती सुलेखा राजेन्द्र वशिष्ठ
वार्ड क्र 26	मा. श्रीमती प्रेमलता ओमप्रकाश रामी	वार्ड क्र 53	मा. श्रीमती निर्मला करण परमार
वार्ड क्र 27	मा. श्रीमती रूखसाना बी अनवर नागौरी	वार्ड क्र 54	मा. श्रीमती सुगनबाई बाबूलाल वाघेला

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 09/1/ग के अंतर्गत माननीय पार्षदगण

मध्यप्रदेश नगरपालिका (लोकसभा के सदस्य / विधान सभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन नियम 2000
अधिसूचना क्रमांक 28-अठारह -3-2000 दि. 27-12-2008 म. प्र. राजपत्र भाग -2 दि. 12-01-2001 में प्रकाशित

माननीय सांसद

मा. श्री अनिल फिरोजिया, सांसद (उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र) सांसद प्रतिनिधि मा. श्री

माननीय विधायक

मा. श्री पारस जैन, विधायक (उज्जैन उत्तर क्षेत्र) विधायक प्रतिनिधि मा. श्री राजेश पिता शांतिलाल सेठी
मा. डॉ मोहन यादव, विधायक (उज्जैन दक्षिण क्षेत्र) विधायक प्रतिनिधि मा. श्री नमित पिता अशोक यादव

माननीय मेयर-इन-काउंसिल

(मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 की उपधारा (1),(2) (3) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37(4) तथा मेयर इन काउंसिल प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य नियम 1998 के नियम 2 के उपनियम 7(क))

अध्यक्ष	मा. श्री मुकेश टटवाल,
सदस्य	मा. श्री शिवेन्द्र तिवारी एडवोकेट
सदस्य	मा. श्रीमती दुर्गा शक्तिसिंह चौधरी
सदस्य	मा. डॉ. योगेश्वरी राठौर
सदस्य	मा. श्री रजत मेहता
सदस्य	मा. श्रीमती सुगनबाई बाबूलाल वाघेला

माननीय झोन समिति

वार्ड समिति झोन क्रमांक –एक
अध्यक्ष – मा. श्रीमती कलावती यादव

वार्ड क्र. 15	मा. श्रीमती कलावती यादव, (अध्यक्ष)
वार्ड क्र. 1	मा. श्रीमती निकिता परमानंद मालवीय
वार्ड क्र. 2	मा. श्री हेमंत गेहलोत
वार्ड क्र. 5	मा. श्री दिलीप सिंह परमार
वार्ड क्र. 8	मा. श्री गजेन्द्र हिरवे
वार्ड क्र. 9	मा. श्रीमती सपना जितेन्द्र सांखला
वार्ड क्र. 10	मा. श्री गब्बर भाटी
वार्ड क्र. 11	मा. श्रीमती हाजरा बी जाहिद हुसैन
वार्ड क्र. 12	मा. श्री छोटेलाल मंडलोई
वार्ड क्र. 13	मा. श्री इमरान युसूफ खान

वार्ड समिति झोन क्रमांक –दो
अध्यक्ष – मा. श्री विजय सिंह कुशवाह

वार्ड क्र. 3	मा. श्री पंकज चौधरी
वार्ड क्र. 4	मा. श्रीमती बबीता घनश्याम गौड
वार्ड क्र. 6	मा. श्री शिवेन्द्र तिवारी
वार्ड क्र. 7	मा. श्री विजय सिंह कुशवाह, (अध्यक्ष)
वार्ड क्र. 14	मा. श्रीमती शाहीन कुरैशी
वार्ड क्र. 16	मा. श्री राजेश बाथम
वार्ड क्र. 19	मा. श्रीमती पूनम मोहित जायसवाल
वार्ड क्र. 20	मा. श्री प्रकाश शर्मा
वार्ड क्र. 21	मा. श्री अर्पित महेशचंद्र दुबे
वार्ड क्र. 22	मा. श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी

वार्ड समिति झोन क्रमांक –तीन
अध्यक्ष – मा. श्री सुशील श्रीवास

वार्ड क्र. 23	मा. श्री रजत सुभाष मेहता
वार्ड क्र. 24	मा. श्री सुशील श्रीवास,(अध्यक्ष)
वार्ड क्र. 25	मा. डॉ. योगेश्वरी राठौर
वार्ड क्र. 26	मा. श्रीमती प्रेमलता ओमप्रकाश रामी
वार्ड क्र. 27	मा. श्रीमती रूखसाना बी अनवर नागौरी
वार्ड क्र. 28	मा. श्री सत्यनारायण चौहान
वार्ड क्र. 29	मा. श्री रामेश्वर दुबे
वार्ड क्र. 30	मा. श्रीमती नजमा बी फिरोज पठान
वार्ड क्र. 31	मा. श्रीमती नाजिया सादिक कुरैशी
वार्ड क्र. 32	मा. श्रीमती शमशाद मेहताब लाला
वार्ड क्र. 33	मा. श्रीमती लीलाबाई वर्मा

वार्ड समिति झोन क्रमांक –चार
अध्यक्ष – मा. श्री सुरेन्द्र मेहर

वार्ड क्र. 37	मा. श्री सुरेन्द्र मेहर,(अध्यक्ष)
वार्ड क्र. 42	मा. श्रीमती अंजली बालकृष्ण पटेल
वार्ड क्र. 44	मा. श्रीमती नीलम राजा कालरा
वार्ड क्र. 45	मा. श्री राजेन्द्र कुवाल
वार्ड क्र. 46	मा. श्री कैलाश प्रजापत
वार्ड क्र. 50	मा. श्रीमती नवीता विकास मालवीय
वार्ड क्र. 52	मा. श्रीमती सुलेखा राजेन्द्र वशिष्ठ

वार्ड समिति झोन क्रमांक –पॉच
अध्यक्ष – मा. श्री पुरुषोत्तम मालवीय

वार्ड क्र. 17 मा. श्रीमती राखी कडेल
वार्ड क्र. 18 मा. श्री रवि राय
वार्ड क्र. 38 मा. श्री अनिल गुप्ता
वार्ड क्र. 39 मा. श्री जितेन्द्र कुवाल
वार्ड क्र. 40 मा. श्रीमती जानीबाई राठौर
वार्ड क्र. 41 **मा. श्री पुरुषोत्तम मालवीय,(अध्यक्ष)**
वार्ड क्र. 43 मा. श्रीमती सुरभि सुनील चावण्ड

वार्ड समिति झोन क्रमांक –छः
अध्यक्ष – मा. श्री संग्राम सिंह भाटिया

वार्ड क्र. 34 मा. श्रीमती भारती विजय चौधरी
वार्ड क्र. 35 **मा. श्री संग्राम सिंह भाटिया, (अध्यक्ष)**
वार्ड क्र. 36 मा. श्रीमती दुर्गा शक्तिसिंह चौधरी
वार्ड क्र. 47 मा. श्रीमती दिव्या बलवानी
वार्ड क्र. 48 मा. श्रीमती अंशु गोपाल अग्रवाल
वार्ड क्र. 49 मा. श्रीमती आभा कुशवाह
वार्ड क्र. 51 मा. श्रीमती आशिमा सेंगर
वार्ड क्र. 53 मा. श्रीमती निर्मला करण परमार
वार्ड क्र. 54 मा. श्रीमती सुगनबाई बाबूलाल वाघेला

निगम के महत्वपूर्ण विभागों के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

राजस्व विभाग संपत्तिकर

पूर्व में नगर निगम/ नगरपालिका शहर में स्थित संपत्तियों का किराये के आधार पर संपत्तिकर का निर्धारण करती थी। वर्ष 1997 में शासन द्वारा भवनों/भूमियों के वार्षिक भाडा मूल्य का अवधारण नियम 1997 प्रकाशित किये जिसके अनुसार संपत्तिधारक को स्व-विवरणी प्रस्तुत कर संपत्तिकर का स्व-निर्धारण कर प्रस्तुत किये जाने संबंधी नियम प्रकाशित किये गये ।

राजस्व विभाग अन्यकर

निकाय के राजस्व प्राप्ति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग राजस्व विभाग अन्यकर है जिसमें निम्न प्रकार के करों/किराया आदि से राजस्व की प्राप्ति होती है —

विभाग के अंतर्गत दुकानों, भवनों से किराया, लीज भूमि/भवन से प्रीमियम, लीज रेन्ट एवं अस्थायी बाजार टेला गुमटी आदि से दाण्डिक कर के रूप में बाजार वसूली की जाती है तथा कार्तिक मेला एवं समय समय पर लगने वाले त्यौहारी बाजार से भी नियमानुसार शुल्क की वसूली की जाती है, इसके अतिरिक्त पशु पंजीयन एवं अस्थायी वाहन पार्किंग की वसूली की जाती है साथ ही शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कार्यों के लिये विभाग के पास कार्यदक्ष स्टाफ की टीम है साथ ही इन कायो को संपादित करने के लिये विभाग के पास 2 पीक-अप वाहन (महिन्द्रा) व ट्रेक्टर मय ट्राली तथा मिनी क्रेन व 1 बोलेरो तथा 1 मार्शल वाहन है इसके अतिरिक्त इस विभाग द्वारा साहुकारी लायसेंस, विज्ञापन कर, प्रदर्शन कर की वसूली भी की जाती है।

विभाग के अंतर्गत निगम स्वामित्व की ग्राण्ड होटल का आरक्षण राजस्व विभाग अन्यकर द्वारा एवं अंबेडकर मांगलिक भवन व कम्प्यूनिटी हॉल (मांगलीक भवन) का रखरखाव एवं किराये पर दिये जाने की कार्यवाही ज्ञोन कार्यालयों द्वारा की जाती है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

नगर की जलप्रदाय व्यवस्था पूर्व में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित संधारित की जा रही थी जिसे माह नवम्बर 1996 में नगरपालिक निगम उज्जैन को हस्तान्तरित किया गया तथा जब ही से जलप्रदाय के संचालन संधारण का कार्य नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा संधारित किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य के लिये कार्यदक्ष स्टाफ द्वारा जलप्रदाय संधारण का कार्य किया जा रहा है।

सामान्य समय नगर की कुल जल की आवश्यकता 20.00 एम.जी.डी. प्रतिदिन रहती है जो निम्न विभिन्न स्रोतों से पूर्ति की जाती है –

1	गंभीर जलप्रदाय योजना द्वितीय चरण :	12.00 एम.जी.डी. (क्षमता 12.5 एम.जी.डी.) 2 एम.सी.एफ.टी.प्रतिदिन
2	गंभीर जलप्रदाय योजना तृतीय चरण	6.00 एम.जी.डी. (क्षमता 12.00 एम.जी.डी.) 1 एम.सी.एफ.टी.प्रतिदिन
3	उण्डासा जलप्रदाय योजना	1.00 एम.जी.डी. (औद्योगिक क्षेत्र / घरेलू) 0.16 एम.सी.एफ.टी.प्रतिदिन
4	पावर पंप एवं हेण्ड पंप	1.00 एम.जी.डी. 0.16 एम.सी.एफ.टी.प्रतिदिन

शहर में जलप्रदाय हेतु तीन मुख्य स्रोत है जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	स्रोत	कुल क्षमता
1	गंभीर बांध	2250 एम.सी.एफ.टी.
2	उण्डासा जलाशय	218 एम.सी.एफ.टी.
3	साहिबखेड़ी जलाशय	446 एम.सी.एफ.टी.
4	क्षिप्रा बैरेज(गउघाट / त्रिवेणी)	90 एम.सी.एफ.टी.

उज्जैन शहर की जलप्रदाय व्यवस्था मुख्य रूप से गंभीर नदी पर बने बांध पर आधारित है। वर्तमान में गंभीर बांध से उज्जैन शहर को दो भागों में क्रमशः उज्जैन पुराना शहर एवं फ्रीगंज क्षेत्र में विभाजित कर अलग अलग समय में प्रतिदिन पर्याप्त जलप्रदाय किया जा रहा है साथ ही गंभीर बांध है, जिसकी पूर्ण जल भराव क्षमता 2250 एम.सी.एफ.टी. है। इसके अतिरिक्त साहेबखेड़ी जलाशय एवं उण्डासा जलाशय तथा क्षिप्रा बैरेज से भी (जल की मात्रा उपलब्ध होने तक) जलप्रदाय किया जा रहा है। सामान्य समय में नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु लगभग 11 एम.सी.एफ.टी. जल की मात्रा 47 उच्चस्तरीय टंकियों एवं सीधे पंपिंग के माध्यम से प्रतिदिन लगभग एक घण्टा समान रूप से शुद्ध जलप्रदाय किया जाता है।

इसके अतिरिक्त नगर में सीपित कुल 1500 हेण्ड पंपो, 300 सिंगल फेस पंपो, 96 थ्री फेस पंपो एवं 20 बूस्टर पंपो में से भी प्रतिदिन जलप्रदाय किया जाता है। 35 विभागीय टैंकरो के माध्यम से भी शहर के उचाई एवं कम दबाव वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन जलप्रदाय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार शहर जलप्रदाय योजना के साथ-साथ शहर की पूर्व स्थापित सीवरेज योजना का संचालन/ संधारण विभाग द्वारा किया जाता है।

जन स्वास्थ्य विभाग

उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में 691.70 कि.मी. सडके एवं इससे लगभग दुगनी नालियां तथा 109 बड़े नाले निर्मित है। शासन द्वारा स्थापित मापदण्डों के अनुसार प्रति कामगार 650 मीटर लंबाई की सडक सफाई या 350 मीटर लंबाई में सडक एवं नाली की सफाई के मापदण्ड दिये गये है। उज्जैन शहर की सफाई व्यवस्था को सात वार्ड क्षेत्र में विभाजित किया गया है जिनमें लगने वाले वार्डों का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं	सफाई वार्ड	प्रशासनिक वार्ड	झोन क्रमांक	
1	जीवाजीगंज	संपूर्ण झोन क्षेत्र	झोन – 1	
2	जीवाजीगंज	1,2,5,8,9,10,11,15		
3	कार्तिकचौक	12,13		
4	दौलतगंज	संपूर्ण झोन क्षेत्र	झोन – 2	
5	जीवाजीगंज	3,6,7,16		
6	दौलतगंज	4,19		
7	सराफा	संपूर्ण वार्ड क्षेत्र		
8	सराफा	14,20		
9	कार्तिकचौक	21,22		
10	महाराजवाडा	संपूर्ण वार्ड क्षेत्र		झोन – 3
11	दौलतगंज	25,26,28		
12	महाराजवाडा	29,30		
13	महाराजवाडा	23,27,31		
14	महाराजवाडा	32,33		
15	सराफा	24		
16	माधवनगर 1	संपूर्ण झोन क्षेत्र	झोन – 4	
17	माधवनगर 1	37,42,44,52		
18	माधवनगर 2	45,46,50		
19	माधवनगर 2	संपूर्ण झोन क्षेत्र	झोन – 5	
20	माधवनगर 2	38,39,40,41,43		
21	दौलतगंज	17,18		

22	माधवनगर 2	संपूर्ण झोन क्षेत्र	झोन – 6
23	माधवनगर 2	35,47,48,49,51,53,54	
24	माधवनगर 1	36,	
25	महारा वाडा	34	

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत , दुकानभयप्रद एवं उद्वेजक लायसेंस, आदि करों/शुल्कों की वसूली की जाती है। है। प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक 672/पीएसयूएडी/2009 भोपाल दिनांक 07.09.2009 के द्वारा म. प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन एवं नवीकरण का कार्य श्रम विभाग, को सौंपा गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा म. प्र. , कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म. प्र. के ज्ञाप क्रमांक 3/खाद्य /2/36/2011 /9022-11 दिनांक 04.08.2011 एवं अभिहित प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक खा.सु.मा.अ./2011/494-501 दिनांक 08.08.2011 के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम /नियम 2011 दिनांक 05.08.2011 से लागू होने तथा पूर्व से लागू पी. एफ.ए. रूल्स विलोपित होने के कारण कोई भी नई अनुज्ञप्ति जारी न किये जाने के परिपालन मे नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा खाद्य लायसेंस शुल्क की वसूली बंद की जा चुकी है। वसूली कार्य हेतु स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ खाद्य निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक पदस्थ हैं ।

1. स्वास्थ्य विभाग द्वारा उज्जैन शहर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु वर्कशाप के माध्यम से निम्नांकित वाहनो का संचालन किया जाता है

– सीवर सेक्शन मशीन	04	– टेरेक्स लोडर	02
– रोड स्वीपिंग मशिन	04	– हाइड्रोलिक डम्पर	06
– जे.सी.बी. लोडर	06	– बडा डम्पर	06
– मिनी ट्रैपर	17		

2. शहर मे आवारा घुमने वाले श्वानों को पकड कर सदावल स्थिति श्वान गृह में छोडा जाता है। वहां पर पशु चिकित्सक द्वारा उनकी नसबंदी करके उन्हें पुनः उसी स्थान पर छोडा जाता है, जहां से लाया गया था ।
3. शहर मे आवारा घुमने वाले गौवंशी पशुओं का निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला में छोडा जाता है, एवं उनकी देखभाल की जाती है।
4. ग्लोबल वेस्ट मेनेजमेन्ट के द्वारा से घर-घर से प्रतिदिन पृथक्कीकृत गीला व सुखा कचरा डोर-टू-डोर 96 कचरा वाहनों के माध्यम से संग्रहण कर दो ट्रांसफर स्टेशन एम.आर.-5 एवं गरुघाट पर संग्रहित किया जाता है वहां से 14 कम्पेक्टर, 04 हुक लोडर, 08 कंटेनरों के माध्यम से लगभग 200 मेट्रिक टन गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड भेजा जाता है।
5. उज्जैन वेस्ट मेनेजमेन्ट के द्वारा गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर एकत्रीत कचरे का प्रतिदिन लगभग 200 मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग कर जैविक कचरे से खाद बनाई जा रही है एवं सुखे कचरे से आर.डी.एफ. तैयार किया जा रहा है।
6. 02 आउटसोर्स एजेंसीयों EAGLE HUNTER SOLUTIONS LTD एवं DIAMOND SECURITY PERSONNEL के माध्यम से मुख्य मार्गों एवं बाजारों की सफाई व्यवस्था हेतु लगभग 365 सफाई श्रमिक लगाये गये है।
7. डिवाइन् वेस्ट एवं ओम साईं विजन के माध्यम से उज्जैन शहर में शहर वासीयों मे स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये जन-जागरण, होम्प कम्पोस्टिंग संबंधी कार्य किया जा रहा है।
8. सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग 64 सार्वजनिक शौचालयों का संचालन करवाया जा रहा है तथा नगर निगम द्वारा 37 सामुदायिक शौचालयों का संचालन किया जा रहा है।
9. शहर के प्रमुख मंदिरों से कचरे के रूप से निकलने वाले हार, फूल व निर्माल्य सामग्रीयों से उपयोगी उत्पाद जैसे अगरबत्ती, धूपबत्ती, कण्डे इत्यादि सामग्री बनाये जाने हेतु आयुर्वेदिक महाविद्यालय मंगलनाथ रोड पर प्लांट स्थापित किया गया है।

10. शहर को पोलिथीन मुक्त (पोलिथीन की थैलियां व डिस्पोजल) रखने हेतु शहर में अमानक स्तर की पोलिथीन का उपयोग करने वालों एवं खुले में शौच/यूरिन तथा गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही एवं स्पॉट फाईन कर लगाया जाता है।
11. शनिचरी अमावस्या एवं नदी घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गये वेस्ट कपडों को संग्रहित कर निगम डिपों में स्थापित क्लोथ रि-साईकिल प्लांट में वेस्ट कपडों से थैलियां व फाईल कॅवर तैयार किये जा रहे है। इसमें निगम को मान.राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है।
12. शहर की सब्जि मंडियों से निकलने वाले सब्जियों एवं फलों के कचरे से मिथेन गैस तथा इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। इसके लिए मक्सी रोड सब्जी मंडी के पास में 05 टी.पी.डी. का प्लांट स्थापित किया गया है।

परीक्षणालय

नगरपालिक निगम उज्जैन में एक खाद्य निरीक्षक पदस्थ है जिन्हे खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के अंतर्गत सेम्पलिंग के अधिकार प्राप्त है। जिसके अंतर्गत इनके द्वारा शहर में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिये जाकर निगम के परीक्षणालय में प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में स्टाफ की कमी के कारण बंद है।

जन शिकायत निवारण कक्ष (कंट्रोल रूम)

आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं जीवन स्तर को सुधारने हेतु यह आवश्यक है कि आम नागरिकों की समस्याओं/शिकायतों का निराकरण समय पर किया जावे। आम नागरिक अपने जीवन के दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अनेकों बार नगर निगम में उपस्थित होकर शिकायत नहीं कर पाता था जिससे समस्या का निराकरण समय पर नहीं हो पाता है, इसके समाधान हेतु नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा "हर्षदूत योजना" के नाम से जन शिकायत निवारण कक्ष (निगम कंट्रोल रूम) की स्थापना 24.7.2002 की गई।

उपरोक्त कंट्रोल रूम में दूरभाष अथवा समक्ष में उपस्थित होकर स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग अन्यकर, शिल्पज्ञ विभाग, उद्यान विभाग, प्रकाश विभाग, जलप्रदाय विभाग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने पर शिकायतकर्ता को तत्काल ही शिकायत का क्रमांक एवं शिकायत के निराकरण की तिथि से अवगत कराते हुए शिकायत के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को सूचना प्रेषित की जाकर नियत अवधि में शिकायत निराकृत की जाती है। निगम आयुक्त द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है।

शिल्पज्ञ विभाग

शहर के अधोसंरचना विकास के लिये सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिल्पज्ञ विभाग है। उपरोक्त विभाग में वर्तमान में एक अधीक्षण यंत्री , कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं टाईमकीपर तथा मेन्टेनेंस कार्य हेतु प्रत्येक झोन में एक वाहन तथा 5-5 श्रमिकों की गैंग उपलब्ध है जो छोटे मोटे सुधार कार्य संपादित करती है। हाल ही में शासन द्वारा अधीक्षण यंत्री का एक पद, कार्यपालन यंत्री के 3 पद, सहायक यंत्री के 6 पद स्वीकृत किये हैं। उपरोक्त विभाग के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सिंहस्थ प्रकोष्ठ, गंदी बस्ती तथा अन्य मदों से संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु झोनवार लिपिकीय व्यवस्था संचालित है।

रूफ वाटर हार्वेस्टिंग :- वर्षा जल के व्यर्थ बहकर नदी – नालों में बहजाने से रोकने एवं भूमिगत जल स्तर को ऊँचा बनाए रखने से उद्देश्य से नगरपालिक निगम उज्जैन के स्वामित्व के भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाए जाने हेतु इस वर्ष बजट में पर्याप्त प्रावधान किया है। इस राशि से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हेतु उपयोगी कार्य कराये जा सकेंगे। शहर के समस्त व्यावसायिक भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को लगाया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को एक अभियान के तहत लिया जाकर प्रचार –प्रसार एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं जिसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप – पी.पी.पी. योजना अंतर्गत निगम द्वारा ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त कर आम नागरिकों की सुविधा हेतु योजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं जिनके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित हैं।

जन भागीदारी योजना – शासन की मंशानुसार जनभागीदारी योजना का क्रियान्वयन नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा किया जा रहा है। जनभागीदारी योजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्य की कुल लागत का 50 प्रतिशत अंश जन सहयोग से एवं शेष 50 प्रतिशत अंश शासन से प्राप्त होता है।

चक्रतीर्थ सौंदर्यीकरण एवं विकास योजना – चक्रतीर्थ स्थित शमशान स्थल पर नागरिकों की सुविधाओं एवं सौंदर्यीकरण की योजना नगर निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

शनि मंदिर (त्रिवेणी) सौंदर्यीकरण एवं विकास योजना – श्रद्धालुओं की भावनाओं एवं सुविधाओं के दृष्टिगत शनि मंदिर परिक्षेत्र में सौंदर्यीकरण, सड़क, दुकानों आदि का निर्माण एवं विकास किया गया है।

फूडकोर्ट निर्माण – शहर के नागरिकों को आमोद प्रमोद एवं मनोरंजक स्थल के रूप में तरणताल के पास इंदौर के छप्पन दुकानों की तर्ज पर फूडकोर्ट का निर्माण किया गया है।

तरण ताल :- शहर के नागरिकों की तैराकी के लिए निगम परिसर में तरणताल का निर्माण कर चालू किया जा चुका है।

सिंहस्थ प्रकोष्ठ

समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की प्राप्ति हेतु देव और दानव के बीच हुए युद्ध के दौरान अमृत कलष से छलके अमृत की बून्द क्षिप्रा नदी में गिरने के कारण उज्जैन में प्रति बारह वर्ष में (हरिद्वारा ,प्रयाग, नासिक की तरह ही) कुंभ का आयोजन होता है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। सिंहस्थ माहात्म्य के अनुसार 1. अवंतिका नगरी 2. वैशाख मास 3. शुक्ल पक्ष 4. सिंह राशि में बृहस्पति 5. मेष राशि में सूर्य 6. तुला राशि में चंद्र 7. स्वाती नक्षत्र 8. पूर्णिमा तिथि 9. व्यतिपात योग आदि इस प्रकार के योग होने पर क्षिप्रा नदी में स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जयिनी कुंभ के अवसर पर बृहस्पति ग्रह के सिंह राशि में स्थित होने से यह कुंभ 'सिंहस्थ' नाम से जाना जाता है

वर्ष 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन है जिसमें अतिथियों, श्रद्धालुओं एवं साधु सन्तों हेतु विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा नगर निगम को विभिन्न स्थायी एवं अस्थाई विकास कार्यों व साधु सन्तों के केम्पों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने के लिये लगभग राशि रूपये 551.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। निगम द्वारा उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है।

सम्पवेल विभाग

वीर दुर्गादास छत्री के पास सन् 1967-68 से स्थापित सीवेज वाटर पंपिंग स्टेशन (सम्पवेल) का संचालन उज्जैन नगरपालिक निगम द्वारा किया जा रहा है। उक्त पंपिंग स्टेशन पर तत्समय से ही 150 हार्सपावर के 2 मीटर पंप तथा 50 हार्सपावर के 2 मोटर पंप स्थापित किये जाकर पंपिंग का कार्य किया जाता था।

सिंहस्थ 1992 के समय उक्त पंपिंग स्टेशन पी.एच.ई. विभाग द्वारा संचालित किया जाकर एक 150 एवं 50 हार्सपावर मोटर पंप के फाउण्डेशन पर 275 हार्सपावर का मोटर पंप स्थापित कर नवंबर 91 से नवंबर 92 तक पंपिंग स्टेशन संचालित किया गया। वर्तमान में उक्त पंपिंग स्टेशन पर 150 हार्सपावर के 2 मोटर पंप, 50 हार्सपावर के 2 मोटर पंप तथा 3 हार्सपावर के दो मोटर पंप हैं।

सम्पवेल पंपिंग स्टेशन पर कुल 17 कर्मचारी पदस्थ होकर इनसे तीन शिफ्ट में कार्य लिया जाता है। शिफ्ट का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे से रात्री 11 बजे तक तथा तीसरी शिफ्ट रात्री 11 से सुबह 7 बजे तक निश्चित है।

प्रकाश विभाग

नगरपालिक निगम उज्जैन सीमा क्षेत्र में लगभग 45000 विद्युत पोल स्थापित है जिनमें 12000 पोल पर सोडियम फिक्चर्स 250 वाट तथा लगभग 17000 पोल पर 90वाट/120 वाट एल.ई.डी लाईट स्थापित है तथा 12500,96 वॉट एनर्जी सेविंग फिटिंग तथा 85 नग हाई मास्ट एवं लगभग 120 मीनी मास्ट के अतिरिक्त स्थलों जैसे कब्रस्तान, शमशान, चक्रतीर्थ, निगम स्वामित्व के समस्त उद्यानों में भी विद्युत पोल स्थापित है जिनका संधारण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है साथ ही शहर में स्थापित ओवर ब्रिज पर स्थापित पोलों, हाट बाजार हेतु पृथक से लगाये गये पोलों की विद्युत व्यवस्था का कार्य भी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा पथ प्रकाश व्यवस्था के संधारण हेतु नगर निगम की 7 हाईड्रोलिक वाहन, एवं दक्ष स्टाफ तैनात है, तथा संधारण कार्य एजेंसी नियुक्तकर करवाया जाता है इसके साथ-साथ 4000 पोल सेंटर लाईट हेतु स्थापित है।

वर्तमान में नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा उर्जा बचत अंतर्गत स्ट्रीट लाईट , प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत मासिक इन्सटॉलमेंट के आधार पर सोडियम / मेटल हेलाईड फिटिंग्स के स्थान पर उर्जा बचत एल.ई.डी फिटिंग लगाकर नवीकरण करना एवं सम्पूर्ण स्ट्रीट लाईट का संचालन एवं संधारण कार्य प्रकाश विभाग द्वारा लेबर (मेन पॉवर) से ही जाकर करवाया जा रहा है।

नगर निवेश विभाग

नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 से 314 भवन निर्माण अनुज्ञा, अवैध निर्माण हटाना, खतरनाक भवन तोडना तथा बिना अनुज्ञा के निर्मित भवनों के शमन के संबंध में उल्लेखित की गई है। शहर की अधोसंरचना विकास में यह एक महत्वपूर्ण विभाग है तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से समन्वय स्थापित कर शहर में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करता है साथ ही शहर में अवैध हो रहे निर्माणों को हटाने एवं स्थायी प्रकृति के अतिक्रमणों को हटाने का कार्य भी करता है इस कार्य हेतु नगरपालिक निगम उज्जैन में एक नगर निवेशक का पद स्वीकृत है। 4 सहायक उपयंत्रि भवन तथा लिपिकीय अमला एवं अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने हेतु गैंग कर्मचारी कार्यरत है जिनके पास एक वाहन तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध है इसके अतिरिक्त शहर में कालोनियों के विकास एवं अवैध कालोनियों की रोकथाम करने का कार्य भी इसी विभाग द्वारा संपादित किया जाता है।

नगर शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ

उक्त विभाग द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। **प्रमुख योजनाओं** का विवरण निम्नानुसार है –

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-

योजना अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध/निराश्रित/महिला/पुरुष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के विकलांग जो स्कूल जाते हैं, तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को राज्य शासन द्वारा 600/- रु. प्रति हितग्राही अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग हितग्राही को शासन द्वारा 600/- रु. प्रतिमाह दिये जा रहे हैं।

2- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:-

योजना अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग हितग्राही को केन्द्रीय शासन द्वारा 1-10-2016 से पेंशन दर में वृद्धि की 600/- रु. प्रति माह दिये जा रहे हैं।

3- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना:-

योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच मृत्यु होने पर 20,000/- रु. एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।

4- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:-

योजनान्तर्गत न्यूनतम 18 वर्ष की कन्या एवं 21 वर्ष का लडका दोनों में से एक उज्जैन निवासी होना अनिवार्य है। योजना में कन्या को रूपये 49000.00 प्रति जोड़े के मान से राशि दी जाती है।

5- स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार ऋण योजना:-

इस योजनान्तर्गत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु शासन द्वारा विभिन्न लाभकारी व्यवसायों के अन्तर्गत हितग्राही को 2.00 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना में हितग्राही का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में होना आवश्यक है।

6- असंगठित संनिर्माण कर्मकार पंजीयन योजना:-

असंगठित श्रमिक पंजीयन योजना जिसमें आर्थिक श्रेणी के श्रमिकों को निर्माण मजदूर में शासन द्वारा सूचित किया गया है : - जैसे राज , बढई , प्लम्बर , इलेक्ट्रिशियन , कुएं खोदने संनिर्माण कार्य से जुड़े हुये मिटटी का कार्य करने वाले आदि से है।

पंजीयन का प्रावधान :- पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए । उसे वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है। शासन के आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र में प्रदेश के समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगरीय निकाय के सभी सहयक यंत्रियों को उनकी अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत असंगठित निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

7- मुख्यमंत्री हाथठेला / सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना:- नगरनिगम के माध्यम से राज्य शासन की इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा सभी पंजीबद्ध हाथठेला एवं सायकल रिक्शा चालकों को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निर्धारित कलेक्टर दर पर छह सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि , पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि एवं प्रसूति व्यय के लिए रु 1000.00 नगद सहायता दी जाती है। पंजीबद्ध चालकों के बच्चों को 'मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप छात्रवृत्ति / मेधावी छात्र पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है । परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रु 20,000.00 की सीमा तक प्रतिवर्ष , प्रति परिवार दी जाती है। किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु रु 2000.00 की अनुग्रह सहायता

दी जाती है। तथा सभी पंजीबद्ध हाथटेला एवं सायकल रिक्शा चालकों का 'जनश्री बीमा योजना' के तहत निःशुल्क बीमा कराया जाता है। प्रीमियम राशि का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाता है।

8— इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना:— योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिला जिसका नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज है, रुपये 600.00 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

9— इंदिरा निः शक्त पेंशन योजना:— योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र के निः शक्त (विकलांग) हितग्राही को जो गरीबी रेखा सूची में दर्ज है तथा 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग है, रुपये 600.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, तथा मानसिक रूप से अविकसित एवं बहुविकलांग को 600.00 रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

12— राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):— भारत सरकार ,मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए " राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस योजना में उज्जैन सहित प्रदेश के 55 निकाय सम्मिलित किये गये हैं। सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार , स्वरोजगार कार्यक्रम , क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण , शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता पी.एम. स्वनिधि ,शहरी गरीबों के लिए आश्रय स्थल व दीनदयाल रसोई योजना(भरपेट भोजन महाकाल का प्रसाद) योजना के प्रमुख घटक हैं।

वित्त एवं लेखा शाखा

निगम के समस्त वित्तीय व्यवहार वित्त एवं लेखा शाखा के माध्यम से ही किये जाते हैं अर्थात् आर्थिक दृष्टि से लेखा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। लेखा विभाग में समस्त आय एवं व्यय तथा कर्मचारियों से संबंधित भुगतान के लेखे संधारित होते हैं। लेखा विभाग में शासन द्वारा म.प्र. वित्त सेवा के अधिकारी अपर आयुक्त (वित्त) एवं सहायक लेखाधिकारी को पदस्थ किया है। कार्यालय अधीक्षक के पद रिक्त होकर लेखापाल सहित अन्य वर्गों के दक्ष कर्मचारी कार्यरत हैं।

वर्तमान में लेखा व्यवहार दोहरा लेखा पद्धति से संधारित किये जा रहे हैं तथा माह जुलाई, 2007 में शासन द्वारा लेखा व्यवहार एक्रुअल बेस्ड लेखा पद्धति से संधारित किये जाने हेतु निर्देशित किया है जिसके क्रम में निगम में एक्रुअल बेस्ड लेखा प्रणाली का कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है। वर्तमान में लेखा विभाग के कार्यों हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेंट की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली जा रही हैं। समस्त प्रकार के भुगतान ई – नगरपालिक साफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रचलीत है।

द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली : –

लेखांकन की द्विप्रविष्टि प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय एवं आधुनिक प्रणाली है। जिसका प्रचलन भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में है। द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा प्रत्येक संव्यवहार के दोनों पक्ष (नामे तथा जमा) एक साथ अभिलिखित किये जाते हैं। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देने के दो पक्ष होते हैं – एक लेने वाला तथा दूसरा देने वाला। उदाहरण के लिए जब निकाय द्वारा जब किसी मद में कोई कार्य कराया जाता है तो भुगतान करने पर दो खातों पर प्रभाव पड़ता है एक तो मद खाते में दूसरा बैंक (रोकड) खाता में। कार्य कराने के फलस्वरूप मद में राशि डेबिट हुई तथा भुगतान हेतु बैंक खाते में रोकड जमा हुई अतः मद खाता डेबिट एवं बैंक खाता क्रेडिट हुआ। इस प्रकार इस व्यवहार के दोनों पक्षों का लेखांकन किया गया। इसी तरह यदि निकाय को किसी (आय के मद जैसे संपत्तिकर) मद में कुछ प्राप्ति होती है तो दो खाते प्रभावित होते हैं। एक तो मद खाता दूसरा बैंक खाता। प्राप्ति से मद खाता क्रेडिट हुआ और बैंक खाता डेबिट हुआ। इस प्रकार इस व्यवहार के दोनों पक्षों का लेखांकन किया गया। इसीलिए इसे दोहरा लेखाप्रणाली कहते हैं।

लेखांकन की एक्रूअल बेस्ड (संभूत आधारित) पद्धति :-

इस विधि में वित्तीय सौदों का अर्जन एवं देयता के आधार पर अभिलेखन अर्थात् आय या व्यय, सम्पत्ति या दायित्व , किसी घटना के घटित होने , समय अंतराल , सेवाओं के प्रदाय , अनुबंध की पूर्णता , मूल्य में कमी आदि के संबंध में दावों एवं देयताओं के दये होने पर चाहे धन की वास्तविक प्राप्ति या भुगतान न हुआ हो , लेखांकित किए जाते हैं। लेखांकन अवधि के संबंध में , अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय और इसी तरह प्राप्ति योग्य आय और अग्रिम आय, सम्भूति पद्धति के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में पृथक से दिखाए जाते हैं। जबकि केश सिस्टम (नगद आधारित प्रणाली) के अंतर्गत राजस्व और व्यय केवल उनकी वास्तविक नगद प्राप्ति या भुगतान पर लेखांकित किए जाते हैं , उनकी लेखांकन अवधि , जिससे वे संबंधित हैं , को विचार में नहीं लिया जाता है।

पेंशन शाखा में मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन ग्रेच्यूटी भुगतान एवं इनकी जानकारी संधारित की जाती है। पेंशन शाखा में 3 सहायक वर्ग-तीन कार्यरत है।

स्थापना विभाग

स्थापना विभाग में निगम के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी संधारित की जाती है तथा सर्विस संबंधी बुक भी संधारित की जाती है। स्थापना विभाग में 1 कार्यालय अधीक्षक, 1 सहायक वर्ग-दो, 5 सहायक वर्ग-तीन एवं 2 भृत्य के पद स्वीकृत है।

स्टोर विभाग

निगम के दैनिक कार्यों में लगने वाली सामग्री एवं जन कल्याणकारी योजनाओं /कार्यों में लगने वाली सामग्री की क्रय माध्यम से पूर्ति करने का कार्य स्टोर विभाग द्वारा किया जाता है। समय समय पर भण्डार क्रय नियम अनुसार स्टोर विभाग द्वारा नियमानुसार टेण्डर आदि माध्यम से क्रय किया जाकर मांग अनुसार सामग्री इश्यु की जाती है। स्टोर विभाग में 1 सहायक आयुक्त भण्डार, 3 सहायक वर्ग-तीन, 3 भृत्य कार्यरत है।

जनसंपर्क विभाग

इस विभाग द्वारा आम नागरिकों तक निगम से संबंधित सूचनाओं का प्रसार दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है। नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा किये गे जनकल्याणकारी कार्यों/योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से संबंधित कार्यवाही भी वर्तमान में जनसंपर्क विभाग द्वारा की जा रही है।

अमृत परियोजना

अमृत (**Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation**) केन्द्र शासन द्वारा शहरों के विकास हेतु चुने गये 500 शहरों के अमृत अंतर्गत विकसित किये जाने की योजना है। अमृत अंतर्गत मध्यप्रदेश के उज्जैन सहित 33 शहर सम्मिलित हैं। अमृत परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक रहवासी को पेयजल, सीवर प्रणाली, हरित क्षेत्र, लोक यातायात प्रणाली को नॉन मोटराईज यातायात (सायकल, पैदल चलने को प्रोत्साहित करके एवं इस हेतु फुटपाथ आदि का निर्माण करके) के प्रयोग से प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराना है।

अमृत योजनांतर्गत उज्जैन द्वारा प्रस्तुत **SLIP** के आधार पर तथा भारत सरकार द्वारा **SAAP** के अनुमोदन उपरांत , वाटर सप्लाय, सीवर प्रणाली, स्टोर्म वाटर ड्रेन, ग्रीन स्पेस, शहरी यातायात घटक स्वीकृत होकर अमृत मिशन अवधि हेतु कुल राशि रु 502.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रत्येक वर्ष इन सभी घटकों हेतु राशि रु 100.40 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

Amount Rs. In Crore

S. No.	Name of City	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Storm Water Drainage	Urban Transport / Mobility	Others and Green Spaces	Total
1	Ujjain	132.00	332.50	10.00	17.50	10.00	502.00

तथा वर्ष 2015-16 के लिए कार्यों का विवरण एवं व्यय का विभाजन निम्नानुसार है

:-

Amount Rs. In Crore

S. No.	Name of City	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Storm Water Drainage	Urban Transport / Mobility	Others and Green Spaces	Total
1	Ujjain	26.40	66.50	2.00	3.50	2.00	100.40

नगर निगम उज्जैन सीमा क्षेत्र में घोषित गंदी बस्तियाँ :-

क्रम	गंदी बस्ती का नाम	वार्ड क्रमांक	क्रम	गंदी बस्ती का नाम	वार्ड क्रमांक
1	भेरुगढ थाने के सामने	1	24	अवन्तिपुरा	7
2	भेरुगढ नाके के पास झुग्गी झोपडी	1	25	नामदारपुरा	9
3	भेरुगढ तोडी	1	26	कालियादेह गेट हम्मालवाडी	9
4	मौजमखेडी	1	27	जांसापुरा भंगी टेकरा बस्ती	9
5	आहूखाना	1	28	जांसापुरा शौचालय के आसपास	9
6	कोल्हूखेडी	1	29	जांन्सापुरा क्वार्टर के बीच में	9
7	आहूखाना (झुग्गी झोपडी)	1	30	मौलाना आजाद मार्ग मकान नं. 3	9
8	महेन्द्र मार्ग भदेड	1	31	जूना सोमवारिया, चक्रतीर्थ के पास	11
9	सांदीपनी मार्ग वाली बस्ती	2	32	दानीगेट हरिजन बस्ती	11
10	इंदिरागांधी नगर, खिलचीपुर	2	33	रघुपुरा	11
11	खिलचीपुर	2	34	सदावल	11
12	पीपलीनाका की बस्ती	2	35	मोहनपुरा	11
13	गांधीनगर	3	36	मुल्लापुरा	11
14	शक्तिनगर	3	37	सोमवारिया	11
15	मोहन नगर	3	38	सोमवारिया वीरदुर्गादास मार्ग	11
16	गांधी नगर की बस्ती	3	39	वीर दुर्गादास मार्ग, ब्रिज के पास	11
17	श्रीकृष्ण कालोनी	4	40	वीर दुर्गादास मार्ग, हरिजन बस्ती	11
18	भेरुनाला तिलकेश्वर क्षेत्र	5	41	सिद्धसेन मार्ग नदी रपट	11
19	वृंदावनपुरा	5	42	फाजलपुरा रा.प्र.नि. कालोनी	24
20	तिलकेश्वर बस्ती	5	43	फाजलपुरा गली नं. 4	24
21	भेरुनाला	5	44	दुर्गा कालोनी, नगरकोट	24
22	कामदारपुरा	6	45	दुर्गा कालोनी, ईदगाह	25
23	छमिया कब्रस्तान बस्ती	6	46	कमल कालोनी	25

क्रम	गंदी बस्ती का नाम	वार्ड क्रमांक	क्रम	गंदी बस्ती का नाम	वार्ड क्रमांक
47	विष्णु कालोनी	25	70	छुम-छुम बाबा बस्ती	37
48	अंकपात क्षेत्र की बस्ती	25	71	शांतिनगर झुग्गी झोपडी	37
49	हीरामिल की चाल	26	72	शांतिनगर लेट्रिन के पास	37
50	संजय नगर	27	73	कमलानेहरू नगर नानाखेडा	38
51	राजीवनगर सेंटपॉल स्कूल के पीछे	27	74	काला पत्थर आजाद नगर सांवेर रोड	38
52	राजेन्द्र नगर कालोनी	27	75	नागेश्वर नगर	38
53	विनोद मिल की चाल बस्ती	28	76	नीलगंगा जबरन कालोनी	38
54	बम्मनवाडा टी.बी. अस्पताल के पीछे	28	77	नानाखेडा गांधीनगर कालोनी	38
55	अर्जुन नगर आर.टी.ओ. कार्यालय के सामने	38	78	बंगाली रिफ्यूजी कालोनी	39
56	सारवानों की बस्ती के पास	32	79	रामपुरा देसाई नगर के पास की बस्ती	50
57	बेगमबाग नाले के किनारे	33	80	पंचमपुरा	41
58	कहारवाडी	35	81	नानाखेडा	42
59	नृसिंहघाट, झुग्गी झोपडी	35	82	होमगार्ड कैम्प के पीछे इंजीनियरिंग कालेज रोड वाली बस्ती	43
60	महाकाल प्रसुतिगृह के पास	35	83	वाल्मिकी नगर , माधवनगर	46
61	जोगीपुरा गौंडसमाज बस्ती	35	84	दुर्गा कालोनी, माधवनगर	46
62	गौंडसमाज स्कूल बस्ती के पास	35	85	वाल्मिकी नगर कालोनी, झुग्गी झोपडी	46
63	महाकाल मार्ग प्रसुतिगृह के पास झुग्गी झोपडी	35	86	विष्णुपुरा	48
64	जोगीपुरा पाटीदार समाज मंदिर के पास	35	87	देसाईनगर	49
65	हरिफाटक राजीव नगर	36	88	कंचनपुरा	49
66	आदर्ष राजीव नगर हरिफाटक के पास	36	89	दमदमा	52
67	अंबर कालोनी	37	90	विक्रमनगर रेल्वे स्टेशन	52
68	शांतिनगर चूने के भट्टे के पास	37	91	विक्रमनगर रेल्वे स्टेशन झुग्गी झोपडी	53
69	शांतिनगर	37	92	गांधीनगर नागझिरी	53

क्रम	गंदी बस्ती का नाम	वार्ड क्रमांक	
93	न्यू इंदिरा नगर नानाखेडा	53	
94	इंदिरानगर कालोनी, नागझिरी	53	
95	राजीवगांधी नगर मालनवासा	53	
96	गोयलाखुर्द	53	
97	शक्करवासा	53	
98	मालनवासा	53	
99	हर्नियाखेडी	53	
100	हामूखेडी	53	
101	नागझिरी	53	
102	इंदिरानगर नागझिरी झुग्गी झोपडी	53	
103	बजरंग पुरा नीमनवासा	54	
104	श्रीराम नगर नीमनवासा	54	
105	शंकरपुरा पावर हाउस के पास	54	
106	रघुपुरा	54	
107	मोरूखेडी	54	
108	माधवपुर	54	
109	शंकरपुर	54	
110	नीमनवासा	54	
111	पंवासा	54	
112	पाण्डयाखेडी	54	
113	श्रीरामनगर चकोर पार्क के पास	54	

नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 83 (3) के अनुसार अचल सम्पत्ति संबंधी लेख संग्रह :-

क्रम	भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अनुमानित मूल्य	क्रम	भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अनुमानित मूल्य
1	सोमवारिया नाले के पास	4490	4939000	21	कालीदास उद्यान	420	462000
2	कालीदास उद्यान	2400	2640000	22	कालीदास उद्यान	3140	3454000
3	कालीदास उद्यान	1880	2068000	23	कालीदास उद्यान	3140	3454000
4	कालीदास उद्यान	940	1034000	24	कालीदास उद्यान	630	693000
5	कालीदास उद्यान	1050	1155000	25	कालीदास उद्यान	310	341000
6	कालीदास उद्यान	1780	1958000	26	कालीदास उद्यान	730	803000
7	कालीदास उद्यान	2190	2409000	27	कालीदास उद्यान	210	231000
8	कालीदास उद्यान	2100	2310000	28	कालीदास उद्यान	520	572000
9	कालीदास उद्यान	2410	6062100	29	कालीदास उद्यान	2300	2530000
10	कालीदास उद्यान	2090	2299000	30	कालीदास उद्यान	1880	2068000
11	कालीदास उद्यान	940	1034000	31	उद्यान	210	231000
12	कालीदास उद्यान	730	803000	32	उद्यान	1460	1606000
13	कालीदास उद्यान	210	231000	33	उद्यान	2620	2882000
14	कालीदास उद्यान	630	693000	34	कालीदास उद्यान	2090	2299000
15	कालीदास उद्यान	2300	2530000	35	कालीदास उद्यान के नीचे की ओर	1990	2189000
16	कालीदास उद्यान	1450	1595000	36	कालीदास उद्यान के नीचे की ओर	5120	5632000
17	कालीदास उद्यान	520	572000	37	कालीदास उद्यान के नीचे की ओर	2090	2299000
18	कालीदास उद्यान	940	1034000	38	कालीदास उद्यान के नीचे की ओर	1150	1265000
19	कालीदास उद्यान	100	110000	39	कालीदास उद्यान के नीचे की ओर	1150	1265000
20	कालीदास उद्यान	1880	2068000	40	कालीदास उद्यान के नीचे की ओर	520	572000

क्रम	भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अनुमानित मूल्य	क्रम	भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अनुमानित मूल्य
41	कालीदास उद्यान के नीचे की	2090	2299000	61	ट्रेचिग ग्राउण्ड	2820	2256000
42	नगरकोट माता मन्दिर गणेश	8360		62	ट्रेचिग ग्राउण्ड	6270	5016000
43	नगरकोट मंदिर मैदान	210	210000	63	ट्रेचिग ग्राउण्ड	15470	12376000
44	नगरकोट मंदिर मैदान	520	520000	64	ट्रेचिग ग्राउण्ड	29470	23576000
45	नगरकोट मंदिर मैदान	1050	1050000	65	ट्रेचिग ग्राउण्ड	21630	17304000
46	नगरकोट मैदान	7320	7320000	66	ट्रेचिग ग्राउण्ड	36280	29024000
47	नगरकोट मैदान	5320	5320000	67	ट्रेचिग ग्राउण्ड	1670	1336000
48	नगरकोट मैदान	11290	11290000	68	ट्रेचिग ग्राउण्ड	1150	920000
49	नगरकोट मैदान	1250	1250000	69	ट्रेचिग ग्राउण्ड	1250	1000000
50	नगरकोट मैदान	730	730000	70	ट्रेचिग ग्राउण्ड	51010	40808000
51	ट्रेचिग ग्राउण्ड	7730	6184000	71	ट्रेचिग ग्राउण्ड	13060	10448000
52	ट्रेचिग ग्राउण्ड	1050	840000	72	ट्रेचिग ग्राउण्ड	520	416000
53	ट्रेचिग ग्राउण्ड	20180	16144000	73	ट्रेचिग ग्राउण्ड	11500	9200000
54	ट्रेचिग ग्राउण्ड	17030	8224000	74	ट्रेचिग ग्राउण्ड	730	584000
55	ट्रेचिग ग्राउण्ड	4390	3512000	75	हरिफाटक नई रोड	1150	10005000
56	ट्रेचिग ग्राउण्ड	5640	4512000	76	हरिफाटक नई रोड	730	6351000
57	ट्रेचिग ग्राउण्ड	37410	299228000	77	हरिफाटक नई रोड	2820	24534000
58	ट्रेचिग ग्राउण्ड	10660	8528000	78	हरिफाटक नई रोड	4490	39063000
59	ट्रेचिग ग्राउण्ड	3030	2424000	79	हरिफाटक नई रोड	940	8178000
60	ट्रेचिग ग्राउण्ड	52460	41968000	80	मेलाक्षेत्र	3030	26361000

क्रम	भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अनुमानित मूल्य	क्रम	भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी	अनुमानित मूल्य
81	मेलाक्षेत्र	100	870000	101	हरसिद्धि तालाब	4180	36366000
82	मेलाक्षेत्र	420	3654000	102	हरसिद्धि तालाब	6480	56376000
83	मेलाक्षेत्र	100	870000	103	हरसिद्धि तालाब	1780	15486000
84	मेलाक्षेत्र	2400	20880000	104	हरसिद्धि तालाब	3970	34539000
85	मेलाक्षेत्र	1990	17313000	105	हरसिद्धि तालाब	1150	10005000
86	मेलाक्षेत्र	840	7308000	106	हरसिद्धि तालाब	4080	35496000
87	हरसिद्धि तालाब	10450	90915000	107	हरसिद्धि तालाब	3870	33669000
88	हरसिद्धि तालाब	37950	330165000	108	हरसिद्धि तालाब	5230	45501000
89	हरसिद्धि तालाब	91980	800226000	109	हरसिद्धि तालाब	6480	56376000
90	हरसिद्धि तालाब	8780	76386000	110	हरसिद्धि तालाब	2510	21837000
91	हरसिद्धि तालाब	1050	9135000	111	हरसिद्धि तालाब	1050	9135000
92	हरसिद्धि तालाब	840	7308000	112	हरसिद्धि तालाब	23090	200883000
93	हरसिद्धि तालाब	3240	28188000	113	हरसिद्धि तालाब	3140	27318000
94	हरसिद्धि तालाब	1570	13659000	114	हरसिद्धि तालाब	730	6351000
95	हरसिद्धि तालाब	3140	27318000	115	हरसिद्धि तालाब	1570	13659000
96	हरसिद्धि तालाब	6570	57159000	116	हरसिद्धि तालाब	1570	13659000
97	हरसिद्धि तालाब	2820	24534000	117	हरसिद्धि तालाब	3660	31842000
98	हरसिद्धि तालाब	3870	33669000	118	हरसिद्धि तालाब	5540	48198000
99	हरसिद्धि तालाब	1150	10005000	119	हरसिद्धि तालाब	4180	36366000
100	हरसिद्धि तालाब	3970	34539000	120	ग्राम गोन्दिया	8	2928000
				121	परेड ग्राउण्ड दषहरा मैदान	1	59000000

क्रम	लीज भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी में	किसे लीज पर दी गई है	क्रम	लीज भूमि	क्षेत्रफल वर्ग मी	किसे लीज पर दी गई है
1	कल्पवृक्ष कार्यालय के पास नई सडक	85	बाबूलाल-गिरधारीलाल	20	दुग्धेश्वर कुण्ड के पास दुधतलाई	45	बाबूलाल-लक्ष्मण जी
2	किशनपुरा उज्जैन	550	बैरवा समाज पारमार्थिक	21	माधवनगर गोपाल मंदिर के पास	45	भगवतीप्रसाद छोगालाल
3	दुध तलाई उज्जैन	580	आफिस मैनेजर गुरु	22	84 आजाद नगर के पास	180	धर्मपाल-महेन्द्र जैन
4	कुशलपुरा उज्जैन	800	भारतीय ग्रामीण महिला	23	57 आजाद नगर	300	खदीजाबाई-जाकिर हुसैन
5	20 स्थानों पर गुमटी रखने हेतु	200	म.प्र.दुग्ध विकास निगम	24	67 रविशंकर नगर कालोनी	180	बंधीधर मेहरवाल
6	धन्वन्तरि मार्ग माधवनगर उज्जैन	80	दुर्गादास सूर्यवंशी	25	माधवनगर उज्जैन	39	दुर्गादास भगवानदास
7	दशहरा मैदान माधवनगर उज्जैन	98	सुरेन्द्रसिंह सिसौदिया	26	देवासगेट की दुकानों के उपर ओपन टेरेस	200	प्रेम यादव
8	दशहरा मैदान उज्जैन	98	एस.सी.गोयल		छत्री चौक कपडा मार्केट		
9	तिवारी कालोनी	98	कैलाष चंद्र-हीरालाल	27	छत्री चौक कपडा मार्केट	500	सिंधी मार्केट
10	पत्रकार कालोनी	108	मानसिंह राही	28	नगर कोट मंदिर के पास	500	हरियाणा गौड ब्राह्मण
11	दुध तलाई	98	अखण्ड	29	नलिया बाखल	4647	निगम कर्मचारी 40 प्लाट
12	माधवनगर	108	रणछोड़दास-गोपाल	30	वर्कशॉप नर्सरी के पीछे	1394	निगम कर्मचारी 10 प्लाट
13	भतवाल टाकिज के सामने	500	भतवाल टाकिज	31	ज्योतिनगर	4647	निगम कर्मचारी 50 प्लाट
14	तिवारी कालोनी	300	आर. एस. विद्यार्थी	32	गणेश वाटिका	2091	निगम कर्मचारी 8 प्लाट
15	दुध तलाई	180	मो. हनीफ-मो. इकबाल	33	जूना सामेवारिया	1394	निगम कर्मचारी 5 प्लाट
16	नगरकोट मैदान स्थित भुवश्नेवरी	500	स्वामी स्वरूपानंद जी	34	विवेकानंद नगर	1394	निगम कर्मचारी 5 प्लाट
17	कमल टाकिज के सामने			35	देसाई नगर	1394	निगम कर्मचारी 9 प्लाट
18	देवास रोड बैंक कालोनी के पास	300	सुरेन्द्रसिंह अरोरा	36	अशोक नगर	4647	निगम कर्मचारी 20 प्लाट
19	कुशलपुरा उज्जैन	180	माणकबाई	37	शास्त्री नगर	743.50	निगम कर्मचारी 8 प्लाट

क्रम	उद्यान का नाम	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित मूल्य
1	जगजीवनराम उद्यान	फ़्रीगंज ओव्हर ब्रीज	40 वमी	252000
2	अम्बेडकर उद्यान	टॉवर के सामने	40 वमी	252000
3	शास्त्री उद्यान	फ़्रीगंज ओव्हर ब्रीज	1000 वमी	6500000
4	शहीद पार्क	फ़्रीगंज ओव्हर ब्रीज	500 वमी	3250000
5	राजस्व नगर उद्यान	राजस्व कॉलोनी	800 वमी	4160000
6	भक्त नगर उद्यान	भक्त नगर कॉलोनी	500 वमी	1750000
7	नेहरू उद्यान	दशहरा मैदान	400 वमी	2520000
8	टैगोर उद्यान	कोठी रोड़	400 वमी	2520000
9	निगम उद्यान नर्सरी	देवास रोड़	400 वमी	2520000
10	आजाद नगर उद्यान(डॉ. षिवमंगल सिंह उद्यान)	डॉ.प्रधान साहब के घर के सामने	700 वमी	4270000
11	ऋषि नगर उद्यान	ऋषि नगर	800 वमी	2880000
12	ज्योति नगर उद्यान	सेठी नगर के पास	800 वमी	400000
13	ऋषि नगर उद्यान	यूनियन बैंक के पास	10000 वमी	36000000
14	वृंदावन उद्यान	देवास रोड़ बैंक,महाष्वेता नगर	10000 वमी	19000000
15	चन्द्रशेखर आजाद उद्यान	इंदौर रोड़ सिंधी कॉलोनी के आगे	2000 वमी	9000000
16	संतनगर उद्यान क्र.-2	चर्तुवेदी साहब के मकान के सामने	2500 वमी	13000000
17	बागपुरा उद्यान क्र.-1	इंदौर रोड़,बागपुरा	2500 वमी	3000000
18	बागपुरा उद्यान क्र.-2	इंदौर रोड़,बागपुरा	3000 वमी	3600000
19	गिड़वानी उद्यान	सिंधी कॉलोनी यंत्रमहल रोड़	4000 वमी	7600000
20	शास्त्री नगर उद्यान	अलखधाम के पास	10000 वमी	21000000
21	कंचनपुरा उद्यान	मक्सी रोड़,कंचनपुरा	300 वमी	360000
22	कम्युनिटी हॉल उद्यान	देसाई नगर	5000 वमी	10500000
23	लक्ष्मी नगर उद्यान	लक्ष्मी नगर,जैन मंदिर के पास	5000 वमी	13000000
24	चकोर पार्क उद्यान	मक्सी रोड़,पिलिया खॉल के पास	15000 वमी	7500000
25	गॉंधी उद्यान	क्षीरसागर स्टेडियम के पास	5000 वमी	25500000

क्रम	उद्यान का नाम	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित मूल्य
26	फव्वारा चौक उद्यान	फव्वाराचौक ,दौलतगंज चौराहा के पास	1500 वर्ग मी	26400000
27	योगेश्वर टेकरी उद्यान	क्षीरसागर कांप्लेक्स रोड़	5000 वर्ग मी	11500000
28	केशव नगर उद्यान	हरिफाटक ओवरब्रिज के नीचे	1500 वर्ग मी	3450000
29	रविन्द्र उद्यान	रविन्द्र नगर कॉलोनी	200 वर्ग मी	700000
30	रुद्र सागर परि. उद्यान	महाकाल से हरसिद्धि के बीच	200 वर्ग मी	200000
31	नूसिंह घाट उद्यान	संतोषी माता मंदिर के पीछे रोड पर	2500 वर्ग मी	2500000
32	मुल्लापुरा गॉंधी उद्यान	मुल्लापुरा चौराहा,बड़नगर रोड़	50 वर्ग मी	40000
33	कालीदास उद्यान	बड़नगर रोड़,बडा पुल के पास	500 वर्ग मी	400000
34	चक्रतीर्थ उद्यान	चक्रतीर्थ के पास	500 वर्ग मी	400000
35	भगतसिंह उद्यान	सिंहपुरी,मगरमोहा के पास	300 वर्ग मी	1890000
36	पुस्तके उद्यान	ऋषि नगर वार्ड आफिस के पास	500 वर्ग मी	1080000
37	छत्री चौक उद्यान	गोपाल मंदिर के सामने	500 वर्ग मी	9100000
38	बावनकुण्ड उद्यान	अवंतिपुरा ,वामनेष्वर महादेव मंदिर के पास	500 वर्ग मी	550000
39	भैरुगढ़ उद्यान	भैरुगढ़ जेल के साईड में	200 वर्ग मी	360000
40	अरविन्द्र नगर उद्यान	अरविन्द्र नगर	1000 वर्ग मी	3600000
41	सुदामा नगर उद्यान	हीरामील की चाल के पास	800 वर्ग मी	2000000
42	ऋषि नगर उद्यान क्र.-4	नागमंदिर के सामने	400 वर्ग मी	1440000
43	तिलक उद्यान वेदनगर	वेदनगर	800 वर्ग मी	3440000
44	श्रृंगेरी भारती उद्यान	महाकाल से हरसिद्धि के बीच महाराजवाडा,	300 वर्ग मी	1080000
45	कालीदास नगर उद्यान(भक्तनगर)	भक्तनगर	800 वर्ग मी	1840000
46	स्व.राधेलाल व्यास उद्यान(सुदामानगर)	सुदामानगर	300 वर्ग मी	150000
47	विनोद मिल उद्यान	चामण्डामाता मंदिर के सामने पी.एच.ई.टंकी	400 वर्ग मी	400000
48	सांदीपनी नगर उद्यान क्र.1,2,3	ढाँचाभवन-1	1200 वर्ग मी	2760000
49	ग्रांड होटल उद्यान	ग्रांडहोटल परिसर	1500 वर्ग मी	15750000

क्रम	उद्यान का नाम	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित मूल्य
50	हरसिद्धीमाता चौराहा उद्यान	हरसिद्धी मंदिर के सामने	10 वमी	87000
51	निकास चौराहा	निकास चौराहा	15 वमी	148500
52	तिवारी कॉलोनी उद्यान	तिवारी कॉलोनी	300 वमी	1560000
53	इंदिरानगर कॉलोनी उद्यान	पूर्व विधायक के सामने	500 वमी	1100000
54	रविन्द्र नगर उद्यान	रविन्द्र नगर	400 वमी	1400000
55	मुदंडा कॉलोनी उद्यान	मुदंडा कॉलोनी	200 वमी	1080000
56	मुनी नगर कॉलोनी उद्यान	मुनीनगर	500 वमी	1750000
57	चर्चत्रिकोण फार्म	देवासरोड़	15 वमी	99000
58	टैगोर त्रिकोण प्लेट फार्म	देवास रोड़	200 वमी	1320000
59	दशहरा मैदान त्रिकोण प्लेट फार्म	सिसौदिया पूर्व विधायक के सामने	20 वमी	126000
60	कंट्रोलरूम के सामने	कंट्रोलरूम के सामने	10 वमी	69000
61	सी.पी.षाह पेट्रोल पंप के सामने	तीनबत्ती चौराहा	10 वमी	52000
62	बसस्टेण्ड नानाखेड़ा प्लेट फार्म	नानाखेड़ा बसस्टेण्ड के सामने	15 वमी	78000
63	घण्टा घर चौराहा प्लेट फार्म	घण्टा घर चौराहा	15 वमी	157500
64	सुभाष मार्ग	सुभाष मार्ग तिराहा	15 वमी	88500
65	इंदिरानगर कॉलोनी उद्यान	डॉ.सिसौदिया के सामने	15 वमी	43500
66	किशनपुरा उद्यान	किशनपुरा	150 वमी	180000
67	संतरविदास उद्यान	सत्तु ठेकेदार के सामने	300 वमी	1200000
68	विवेकानंद उद्यान	पलावर मील के पीछे	500 वमी	2550000
69	गोर्धनधाम उद्यान	इकबाल गॉधी के सामने	400 वमी	2440000
70	अलखधाम उद्यान	अंकूर स्कूल के सामने	600 वमी	3660000

क्रम	भवन का विवरण	अवस्थिति / प्रयोजन	क्षेत्रफल	अनुमानित मूल्य
1	गुरुनानक मार्केट के सामने स्थित निगम भवन दुकाने ऊपरी मंजिल के कमरे व हॉल	माधव नगर	530 वर्गमीटर	26818000
2	सांवेर रोड़ शापिंग काम्पलेक्स की दुकाने			
3	माधवनगर ग्राण्ड होटल में एनेक्सी भवन हॉल युको बैंक	सांवेर रोड़	1200 वर्गमीटर	17400000
4	माधवनगर मीट मार्केट झटका व हलाल की दुकानें	ग्राण्ड होटल	2700 वर्गमीटर	136620000
5	नाका मक्सी रोड़	वाल्मिकी नगर घासमंडी के सामने	500 वर्गमीटर	1500000
6	दमदमा भवन रेडक्रास	चकोर पार्क	50 वर्गमीटर	60000
7	भिक्षुक गृह,जयसिंहपुरा	दमदमा	100 वर्गमीटर	760000
8	देवासगेट बसस्टेण्ड स्थित दुकानें विहारलॉज	जयसिंहपुरा	600 वर्गमीटर	2940000
9	नवनिर्मित दुकाने बसस्टेण्ड	देवासगेट बसस्टेण्ड के सामने	557.41 वर्गमीटर	28149205
10	यात्रीगृह की दुकानें	राजाभाऊ महाकाल बसस्टेण्ड	125 वर्गमीटर	6312500
11	माधव कालेज की दुकाने	निगम सराय	350 वर्गमीटर	17675000
12	क्षीरसागर स्टेडियम गोडाउन	देवासगेट	सडक में	सम्मिलित
13	शापिंग काम्पलेक्स की दुकाने	स्टेडियम के निचे	400 वर्गमीटर	6880000
14	आर्य समाज की दुकाने	यागेष्वर महादेव मंदिर के पास	200 वर्गमीटर	5380000
15	शहीद राजाभाऊ महाकाल बस स्टेण्ड	आर्य समाज मंदीर के सामने	150 वर्गमीटर	3105000
16	बुधवारिया चौराहे की दुकान कपड़ा मार्केट	देवासगेट	3532 वर्गमीटर	178366000
17	निकास चौराहा की दुकान के ऊपर निर्मित कमरें	व्यवसायिक		
18	ग्राण्ड होटल आवास गृह	व्यवसायिक	180 वर्गमीटर	5184000
19	लोहे के पुल की दुकानें	आवास	750 वर्गमीटर	7875000
20	फायर ब्रिगेड परिसर के क्वार्टर	व्यवसायिक	90 वर्गमीटर	3834000
21	नवीन फायर ब्रिगेड भवन	आवास	300 वर्गमीटर	3270000
22	मंगल भवन एवं अवंतिका प्लाजा	कार्यालय	800 वर्गमीटर	23040000
23	नजरअली मिल प्रशासनिक भवन	कार्यालय	4000 वर्गमीटर	115200000

क्रम	भवन का विवरण	अवस्थिति / प्रयोजन	क्षेत्रफल	अनुमानित मूल्य
24	नगरपालिक निगम भवन एवं दुकानें एवं कपड़ा मार्केट,	व्यवसायिक	3850.57 वर्गमीटर	194838842
25	उप.कार्यालय भवन माधव नगर कन्या मा.विद्यालय के सामने	आवास		1416000
26	मक्सी रोड़ स्थित उप.कार्यालय	—		13800000
27	वर्कशाप मक्सी रोड़	—		13800000
28	पिपलीनाका बस स्टेण्ड भवन	—	500 वर्गमीटर	2650000
29	दुधतलाई गल्ला बाजार सुदामा मार्केट	व्यवसायिक	300 वर्गमीटर	12630000
30	मक्सी रोड़ नगर निगम दुकानें	व्यवसायिक	2500 वर्गमीटर	17250000
31	आगनवाडी वृन्दावनपुरा	—	100 वर्गमीटर	610000
32	बालवाड़ी बिलोटीपसु	—	100 वर्गमीटर	380000
33	पुष्कर बावड़ी	—	50 वर्गमीटर	530000
34	खादठिया बहादुरगंज	—	2988 वर्गमीटर	61851600
35	हिजडे की खाई संपवेल	—	300 वर्गमीटर	900000
36	योगेश्वर की टेकरी की दुकान	व्यवसायिक	100 वर्गमीटर	1520000
37	भेरूगड़ नाका बगिचा	—	30 वर्गमीटर	54000
38	वार्ड कार्यालय कार्तिक चौक	—	20 वर्गमीटर	182000
39	वार्ड कार्यालय अषोक टॉकिज के पास	—	200 वर्गमीटर	1260000
40	तरणताल देवास रोड़	—	700 वर्गमीटर	1820000
41	जाल बाउन्ड्री सब्जी मण्डी	व्यवसायिक	4000 वर्गमीटर	12000000
42	दौलतगंज सब्जी मण्डी	व्यवसायिक	586 वर्गमीटर	29593000
43	रामप्रसाद भार्गव मार्ग सब्जी मण्डी	व्यवसायिक	5000 वर्गमीटर	207000000
44	लालबाई फूलबाई मार्ग खिड़क	—	200 वर्गमीटर	640000
45	विद्युत शवदाहगृह	—	700 वर्गमीटर	770000
46	गाड़ी खाना लक्कडगंज	—	300 वर्गमीटर	870000
47	संपवेल वीरदुर्गादास मार्ग	—	100 वर्गमीटर	110000
48	वीरदुर्गादास की छत्री	—	20 वर्गमीटर	220000

क्रम	भवन का विवरण	अवस्थिति / प्रयोजन	क्षेत्रफल	अनुमानित मूल्य
49	कुत्ता घर सोमवारिया मटन मार्केट	—	20 वर्गमीटर	220000
50	के.डी. गेट हलाल	व्यवसायिक	300 वर्गमीटर	1230000
51	मटन मार्केट के. डी. गेट	—	300 वर्गमीटर	1230000
52	मटन मार्केट गुदरी	—	150 वर्गमीटर	1815000
53	रेन बसेरा फूल मण्डी	—	1500 वर्गमीटर	63150000
54	कुत्ता घर पुराना अंनतपेठ	—	20 वर्गमीटर	22000
55	महाराज वाडा व मेन्टेनेष कार्यालय	—	100 वर्गमीटर	870000
56	साई कृपा अषोक नगर फिंगंज की दुकाने	विक्रम मार्ग पर स्थित	450 वर्गमीटर	22770000
57	मवेशी पशु हॉट शेड	नगरकोट मातामंदिर मैदान में	1000 वर्गमीटर	1000000
58	जयसिंहपुरा हारपीटल	जयसिंहपुरा	139 वर्गमीटर	236300
59	कुशलपुरा द्रविड मार्ग दुकानें	जिला चिकित्सालय के पीछे	1263 वर्गमीटर	18313500
60	मछली मार्केट, नगर कोट मैदान	फाजलपुरा	500 वर्गमीटर	500000
	सामुदायिक भवन			
1	सामुदायिक भवन	सुदामानगर	128.50 वर्गमीटर	321250
2	सामुदायिक भवन	विनोद मिल की चाल	45 वर्गमीटर	45000
3	सामुदायिक भवन	देसाई नगर	500 वर्गमीटर	2650000
4	सामुदायिक भवन	अनन्त पेठ	300 वर्गमीटर	1140000
5	सामुदायिक भवन	लक्कड़ गंज	—	—
6	सामुदायिक भवन	हीरामिल की चाल	—	—
7	सामुदायिक भवन	अरविंद नगर	—	—
8	सामुदायिक भवन	पटेल नगर	—	—
9	सामुदायिक भवन	किशनपुरा मक्सी रोड़	—	—
10	सामुदायिक भवन	भेरुनाला हरिजन बस्ती	—	—
11	सामुदायिक भवन	किशनपुरा गंदी बस्ती	—	—
12	सामुदायिक भवन	दमदमा गंदी बस्ती	—	—

वाहनों का विवरण :-

क्रम	वाहन क्रमांक	वाहन मेक	वर्ष
1	MOU 1422	WATER Lory	1990
2	MP 13 4970	TATA DUMPJER	1990
3	MP 13 C 2053	HYDROLEQ PLATEFORM TRUCK TATA 407	1992
4	MP 13 A 4797	SWARAJ MAZDA DUMPHER	1990
5	MP 13 C 5562	TOYOTA QUALIS	2004
6	MP 13 C 5563	TATA MAXI CAB TATA SPACIO	2004
7	MP 13 C 5564	MAHINDRA FESTAR A2WD MAXI CAB	2004
8	MP 13 C 5237	MAHINDRA MARSHAL	2003
9	MP 13 A 0253	ROYAL DX 2WD	2003
10	MP 13 A 0251	EICHER 1075 EHSD	2003
11	MP 13 A 0252	EICHER 1075 EHSD	2003
12	MP 13 A 0250	EICHER 1075 EHSD	2003
13	MP 13 AA 0751	EICHER TRACTOR TROLLY	2003
14	MP 13 AA 0752	EICHER TRACTOR TROLLY	2003
15	MP 13 AA 0753	EICHER TRACTOR TROLLY	2003
16	MP 13 AA 0754	EICHER TRACTOR TROLLY	2003
17	JCB 3	BACK HO LODER	2003
18	MP 13 E 2170	EICHER 1075 EHSD	2003
19	MP 13 E 2173	EICHER 1075 EHSD	2003
20	MP 13 E 2178	EICHER 1075 EHSD	2003
21	MP 13 E 2192	CANTER GARBEJ TIPPER	2003
22	MP 13 E 2194	CANTER GARBEJ TIPPER	2003
23	MP 13 E 2177	EICHER 1075 EHSD	2003

24	JCB 4	BACK HO LODER	2007
25	MP 13 CA 1218	MAHINDRA SCORPIO	2008
26	MP 13 CA 1197	MAHINDRA SCORPIO	2008
27	MP 13 DA 299	EICHER 1075 ERHD	2011
28	MP 13 DA 0298	EICHER 1075 ERHD	2011
29	MP 13 DA 0203 JCB 5	TEREX VECTRA BACK LODER	2010
30	MP 13 DA 0204 JCB 6	TEREX VECTRA BACK LODER	2010
31	MP 13 MJ 1002	TATA SAFARI BX	2010
32	MP 13 MJ 0001	TATA SAFARI BX	2010
33	MP 13 AA 9934	EICHER TRACTOR TROLLY	2010
34	MP 13 AA 9935	EICHER TRACTOR TANKER	2011
35	MP 13 CA 3174	MAHINDRA CATEL LIFTER/CL 550 MDI	2010
36	MP 13 DA 0701 JCB 9	JCB BACK LODER	2014
37	MP 13 DA 0702 JCB 7	JCB BACK LODER	2014
38	MP 13 DA 0703 JCB 8	JCB BACK LODER	2014
39	MP 13 DA 0704 JCB 10	JCB BACK LODER	2014
40	MP 13 GA 5877	MAHINDRA GENIO DC 2WDBS111 PICKUP	2015
41	MP 13 GA 5875	MAHINDRA GENIO DC 2WDBS111	2015
42	MP 13 SE 0536	SONALIKA 750 TRUCTOR	2015
43	MP 13 DA 0792	EICHER TERRA 16XPE CAB TIPPER	2015
44	MP 13 DA 0793	EICHER TERRA 16XPE CAB TIPPER	2015
45	MP 13 DA 0794	EICHER TERRA 16XPE CAB TIPPER	2015
46	MP 13 DA 0796	EICHER TERRA 16XPE CAB TIPPER	2015
47	MP 13 DA 0797	EICHER TERRA 16XPE CAB TIPPER	2015
48	MP 13 GA 5636	ASHOK COMPACTOR 1616 IL/4	2015
49	MP 13 GA 6078	TATA LP 407/31	2015

50	MP 13 CB 7298	TOYOTA ENNOVA CRY SV	2016
51	MP 13 CB 7302	TOYOTA ENNOVA CRY SV	2016
52	MP 13 L 1193	SUIPER ACE 475 TCICE3	2013
53	MP 13 L 1194	SUIPER ACE 475 TCICE3	2016
54	MP 13 L 1159	MAHINDRA MAXXIMO (MINI HP)	2014
55	MP 13 L 1160	MAHINDRA MAXXIMO (MINI HP)	2014
56	MP 13 GA 6079	TATA LPT 909/38	2016
57	MP 13 AC 2209	NEW HOLLAND TRACTOR TROLLY	2016
58	MP 13 AC 2211	NEW HOLLAND TRACTOR TROLLY	2016
59	MP 13 DA 5593	ASHOK SIVER MACHINE 6000 LTR	2016
60	MP 13 DA 5595	TATA SIVER MACHINE 3000 LTR	2016
61	MP 13 DA 5601	TATA SIVER MACHINE 3000 LTR	2016
62	MP 13 DA 5594	TATA SIVER MACHINE 3000 LTR	2016
63	MP 13 GA 5963	EICHER 20.16 TERRA 16RHDE BS111	2016
64	MP 13 GA 5948	EICHER 20.16 TERRA 16RHDE BS111	2016
65	MP 13 L 1574	CLEANLAND (MINI ROD SWEEPER) 01	2016
66	MP 13 L 1575	CLEANLAND (MINI ROD SWEEPER) 02	2016
67	MP 13 GA 2711	MAHINDRA PICKUP WAN SWAN VAHAN	2011
68	MP 13 L 1035	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
69	MP 13 L 1039	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
70	MP 13 L 1071	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
71	MP 13 L 1077	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
72	MP 13 L 1087	ACE FACELIFT DICOR DECK LBODY	2015
73	MP 13 L 1073	ACE FACELIFT DICOR DECK LBODY	2015
74	MP 13 L 1088	ACE FACELIFT DICOR DECK LBODY	2015
75	MP 13 L 1092	ACE FACELIFT DICOR DECK LBODY	2015

76	MP 13 L 1050	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
77	MP 13 L 1054	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
78	MP 13 L 1078	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
79	MP 13 L 1082	TATA ACE DICOR NA BS111	2015
80	MP 13 L 1090	ACE FACELIFT DICOR DECK LBODY	2015
81	MP 13 L 1208	MAHINDRA ALFA+PICKUP VAN BS111	2016
82	MP 13 L 1209	MAHINDRA ALFA+PICKUP VAN BS111	2016
83	MP 13 L 1210	MAHINDRA ALFA+PICKUP VAN BS111	2016
84	MP 13 L 1211	MAHINDRA ALFA+PICKUP VAN BS1112	2016
85	MP 13 L 1214	MAHINDRA ALFA+PICKUP VAN BS111	2016
86	MP 13 CA 3517	NEW ENNOVA TYOTA	2017
87	MP 13 GA 7843	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
88	MP 13 GA 7845	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
89	MP 13 GA 7841	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
90	MP 13 GA 7847	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
91	MP 13 GA 7840	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
92	MP 13 GA 7846	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
93	MP 13 GA 7844	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
94	MP 13 GA 7848	MAHINDRA BOLERO CAMPER PS 2WD BS4	2018
95	MP 13 1121 JCB 11	JCB BACK LODER	2018
96	MP 13 GA 8635	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2018
97	MP 13 GA 8639	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2018
98	MP 13 GA 8636	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2018
99	MP 13 GA 8644	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2019
100	MP 13 GA 8647	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2019
101	MP 13 GA 8637	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2018

102	MP 13 GA 8640	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2018
103	MP 13 GA 8634	ASHOK TIPPER/DOST+RLS	2018
104	MP 13 AD 2292	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
105	MP 13 AD 2288	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
106	MP 13 AD 2291	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
107	MP 13 AD 2295	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
108	MP 13 AD 2283	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
109	MP 13 AD 2284	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
110	MP 13 AD 2282	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
111	MP 13 AD 2290	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
112	MP 13 AD 2294	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
113	MP 13 AD 2289	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
114	MP 13 AD 2285	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
115	MP 13 AD 2286	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
116	MP 13 AD 2293	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
117	MP 13 AD 2287	SONALIKA TRACTOR 745 TROLLY	2019
118	MP 13 GB 0122	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
119	MP 13 GB 0125	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
120	MP 13 GB 0127	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
121	MP 13 GB 0124	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
122	MP 13 GB 0128	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
123	MP 13 GB 0119	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
124	MP 13 GB 0129	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
125	MP 13 GB 0130	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
126	MP 13 GB 0118	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
127	MP 13 GB 0117	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019

128	MP 13 GB 0120	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
129	MP 13 GB 0126	ASHOK MINI DUMPHER/PARTNER MES	2019
130	MP 13 GB 0759	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
131	MP 13 GB 0760	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
132	MP 13 GB 0766	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
133	MP 13 GB 0767	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
134	MP 13 GB 0768	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
135	MP 13 GB 0879	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
136	MP 13 GB 0874	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
137	MP 13 GB 0883	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
138	MP 13 GB 0884	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
139	MP 13 GB 0885	ASHOK MINI TIPPER/DOST +RLS	2020
140	MP 13 AD 6622	ESCORTS TRACTOR	2021
141	MP 13 AD 6620	ESCORTS TRACTOR	2021
142	MP 13 AD 6624	ESCORTS TRACTOR	2021
143	MP 13 AD 6619	ESCORTS TRACTOR	2021
144	MP 13 AD 6621	ESCORTS TRACTOR	2021
145	MP 13 AD 6618	ESCORTS TRACTOR	2021
146	MP 13 AD 6623	ESCORTS TRACTOR	2021
147	MP 13 DA 1384 JCB 12	JCB BACK LODER	2021
148	NEW POKLENB 205	JCB -205 NXT (EXCAVATOR)	2021
149	MP 13 DA 1402	BOBCAT SKID STEEL LODER	2021
150	MP 13 DA 1403	BOBCAT SKID STEEL LODER	2021
151	MP 13 DA 1404	BOBCAT SKID STEEL LODER	2021
152	MP 13 DA 1405	BOBCAT SKID STEEL LODER	2021
153	MP 13 CA 1279	MAHINDRA ESCORPIO	2021

पी.एच.ई वाहनों की सूची :-

क्रम	वाहन क्रमांक	वाहन मेक	वर्ष
1	MP 13 E 1774	TRUCK TANKER	1999
2	MP 13 E 1775	TRUCK TANKER	1999
3	MP 13 AC 2150	TRATOR	2015
4	MP 13 AC 2151	TRATOR	2015
5	MP 13 AC 2152	TRATOR	2015
6	MP 13 AC 2701	TRATOR	2016
7	MP 13 AC 2702	TRATOR	2016
8	MP 02-7232	TRATOR	1991
9	MP 02-7233	TRATOR	1991
10	MP 02-7262	DUMPER	1991
11	MP 02- 4388	JEEP	1999
12	MP 13 GA 5918	CAMPER	

फायर ब्रिगेड वाहनों की सूची :-

क्रम	वाहन क्रमांक	वाहन मेक	वर्ष
1	MP 13 KC 3224	BIG FIRE FIGHTER	2000
2	MP 13 KC 3225	BIG FIRE FIGHTER TATA AC 1613	2000
3	MP 13 KC 3226	TATA LPT 1613/42/697	1992
4	MP 13 E 0035	BIG FIRE FIGHTER AC 1210/42	1992
5	MP 13 B 9265	S FIRE FIGHTER TATA 407/31	2014
6	MP 13 DA 0790	BIG FIRE FIGHTER LPT 1613/42/697	2015
7	MP 13 DA 0791	BIG FIRE FIGHTER MAXXIMOPLUS	2015

8	MP 13 DA 0834	BIG FIRE FIGHTER LPT 1613/42/697	2015
9	MP 13 DA 0806	S FIRE FIGHTER SFC 709 EX/38	2015
10	MP 13 DA 0807	S FIRE FIGHTER SFC 709 EX/38	2015
11	MP 13 DA 0809	S FIRE FIGHTER SFC 709 EX/38	2015
12	MP 13 DA 1103	BIG FOME TENDER FIGHTER LPT 1613/42/697	2018
13	MP 13 DA 1144	BIG BOOSTER FIGHTER ASHOK LEYLAND 1618 BS4	2018
14	MP 13 GA 5842	WATER LORRY PRO 1110 GCAB HSD BS111	2016
15	MP 13 GA 1495	WATER LORRY EICHER 1090	2003
16	MP 13 GA 1855	WATER LORRY EICHER WATER TANKER	2003
17	MP 13 B 4900	SHAV WAHAN/EICHER 1090 KCWC STD RHDAB	1991
18	MP 13 DA 0103	SHAV WAHAN TATA LPT 709/38	2006
19	MP 13 DA 1094	SHAV WAHAN TATA LPT 407EX2	2008
20	MP 13 DA 0109	SHAV WAHAN EICHER	1995
21	MP 13 DA 0370	SHAV WAHAN EICHER 1075 E-RHD	2012
22	MP 13 CC 2495	BOLERO GEEP/BOLERO POWER+SLE BSIV	2018
23	MP 13 EN 3518	WATER MIST BIKE	2016
24	MP 13 EN 3519	WATER MIST BIKE	2016

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

आय की विभिन्न मदों हेतु दरें
वर्ष 2023-24

1 राजस्व विभाग सम्पत्तिकर

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिक (भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के नियम 8 के अनुसार मा. प्रशासक महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित सम्पत्तिकर की दरें निम्नानुसार रहेंगी:-

- 1 सम्पत्तिकर की दर वर्ष 2022-23 के लिये " नगरनिगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर, यात्रीगृह, होटल एवं लॉज से वार्षिक भाड़ा मूल्य का 9% अवधारित किया जाकर **शेष के लिए** वार्षिक भाड़ा मूल्य के 8% की दर से अवधारित की गई है।
- 2 वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम 1997 के नियम 5 प्रयोजन से भवन/भूमियों को प्रति वर्ग फूट वार्षिक दर पर उनकी गुणवत्ता उपयोग व अवस्थिति को क्षेत्रानुसार निर्धारित की गई है।
- 3 उज्जैन नगरपालिक निगम सीमा क्षेत्र को मध्य प्रदेश नगरपालिक (भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्यों का अवधारण नियम 1997 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार) को 5 परिक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार है :-

परिक्षेत्र क्रमांक.-1

अरविन्द नगर कालोनी, अशोक मार्ग, अमरसिंह मार्ग, ओरा पा कालोनी, आजाद नगर, अलखधामनगर, अशोक विहार, अंजूश्री (नागझिरी), अलखनंदा नगर, अपनाघर कालोनी, आदर्श विक्रम नगर, अलकापुरी, अग्रसेन नगर, अर्जुन नगर, आर्यसमाज मार्ग, इन्दौर देवास रोड़ स्थित एम.आर. -2 के समस्त भवन/भूमि, इन्द्रपुरी कालोनी, इंजीनियरिंग कालेज, हाउसिंग बोर्ड के समस्त भवन/भूमि, उदयन मार्ग (माधवनगर), उदयन मार्ग (तेलीवाड़ा), कन्हैयालाल मनाना मार्ग व गली क्र. 1 व 5, कमला नेहरू मार्ग, कालिदास मार्ग जीरो पाइंट तक दोनों ओर के भवन/भूमि व गलियां (15 से 19 तक) कंचन विहार (यंत्रमहल मार्ग पर स्थित), कालिदास नगर, कमरी मार्ग, ख्वाजहां मार्ग भवन क्रमांक 5 तक, गीता कालोनी, प्राधिकरण के मकान सहित, मदनलाल शर्मा मार्ग (युवराज लायब्रेरी की गली को छोड़कर) गोरधन नगर, गोवत्सधाम नगर, घटकरपर मार्ग, चिमनगंज मंडी परिसर व मंडी परिसर व रोड़ के भवन/भूमि, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, क्षणक मार्ग, क्षणक मार्ग पथ व अनुपूरक योजना, क्षीरसागर कालोनी, छाया नगर, क्षिप्रांजलि नगर, जवाहर मार्ग व समस्त गली व पथ (व्यायामशाला की गली व मोदी की गली व मगरमुआ गली परमानंद डेरी तक के भवन को छोड़कर), ज्योति नगर, जवाहर नगर, ज्ञान नगर, तिलक मार्ग व गली- 4, 5, 7, 12, तात्याटोपे मार्ग घासमण्डी तक दोनों ओर के भवन/भूमि, तिवारी कालोनी, तृप्ति विहार, तृप्ति परिसर अन्य संलग्न कालोनियां, द्रविड़ मार्ग, धनवंतरी मार्ग व उसकी गलियां, नानाखेड़ा बस स्टेण्ड एवं यात्री गृह व एम.आर.-2 स्थित भवन/भूमि, नजरअली मार्ग के समस्त भवन/भूमि, पटेल नगर कालोनी व ई.एस.आई. कालोनी, परवाना नगर, बख्तावर मार्ग व उसकी गलियां, विद्यानगर कालोनी, विद्यापति नगर, वेद नगर, विक्रमादित्य मार्केट, विश्वविद्यालय मार्ग 1 व 2 भवन एक से पाईप फ़ैक्ट्री तक दोनों ओर के भवन/ भूमि, बैंक कालोनी देवासरोड़, मालनवासा, बेताल मार्ग, वररुचि मार्ग, वराहमिहिर मार्ग, विक्रम मार्ग व उसकी गलियां, विवेकानंद नगर कालोनी, वैशाली नगर, वल्लभभाई पटेल मार्ग, के.डी. गेट से रामप्रसाद भार्गव मार्ग चौराहे तक, बादशाह नगर, भोज मार्ग व उसकी गलियां, भक्त नगर, भरतपुरी स्थित प्रशासकीय भवन, कार्यालय तथा विकास प्राधिकरण एवं हाऊसिंग बोर्ड की समस्त योजनाएं तथा उसमें निर्मित भवन/भूमि, मूंदड़ा कालोनी, मुनिनगर, महावीर नगर (सांवेर रोड़), महाकाल सिंधी कालोनी, मिर्जानईम बेग मार्ग, मुंज मार्ग, मक्सीरोड़ स्थित म.प्र. विद्युत मंडल के

भवन/ भूमि, महाश्वेता नगर, महानन्दानगर, मंगल कालोनी, मित्र नगर (सांवेर रोड), महेश नगर, मोतीलाल नेहरू पा, महाकाल मार्ग, महाशक्ति नगर, रामप्रसाद भार्गव मार्ग व गली 1, व 2 ऋषिनगर बहुमंजिला एक्सटेंशन, राजस्व कालोनी, रामकृष्ण कालोनी, रविन्द्र नगर, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, लोक निर्माण नगर, लक्ष्मीबाई मार्ग, शंकराचार्य मार्ग व गली 1, 2, शंकु मार्ग, शिवाजी पा कालोनी, संत नगर, साईनाथ नगर, साकेत नगर, सुभाष नगर व बैंक कालोनी, स्नेह नगर, सुभाष मार्ग व पथ, सत्यम अपार्टमेन्ट, सेठी नगर, साईनाथ कालोनी आदि, सती मार्ग, सांवरिया परिसर, संतराम सिंधी कालोनी, यंत्रमहल मार्ग व गली 1 से 5, सार्थक नगर (सेक्टर सी सहित), सूरज नगर, छाया नगर कालोनी, श्रीपाल मार्ग के प्रारंभ से व्यायामशाला की गली तक के दोनों ओर के भवन/भूमि, हरिफाटक ब्रिज मुख्य मार्ग से महाकाल तक के दोनों ओर के भवन/भूमि, रविशंकर नगर कालोनी, मालनवासा स्थित विकास प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के भवन/भूमि, विश्वविद्यालय मार्ग पाईप फैक्ट्री के दोनों ओर के भवन/ भूमि तथा विकास प्राधिकरण व हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के भवन/भूमि, सती मार्ग व गलियां,अंकपात मार्ग कंठाल से गायत्री शक्ति पीठ तक के दोनों ओर के भवन/भूमि, लाला लाजपतराय मार्ग, हरिफाटक रिंगरोड के समस्त भवन व भूमि, मिर्जा नईम बेग मार्ग की समस्त गलियां, प्रकाश नगर, जैन कॉलोनी, श्रीपाल मार्ग, श्री गंगानगर, श्रीराम कालोनी, दीप्ति विहार, दीप्ति परिसर, कीर्ति नगर, श्रीराम नगर, स्वाति विहार, शिवम परिसर, साईधाम व सावेर रोड पर निर्मित एवं निर्माणाधीन समस्त भूमि व भवन, आदिनाथ, आकांक्षा परिसर, फ्रेण्डस कालोनी, अभिषेकनगर, महेश विहार, जयंत परिसर, वृन्दावन धाम, स्वाति नगर, कमल परिसर, आनंद दीप, हरि विहार, अर्पिता इन्कलेविन, रामी नगर, जिनेन्द्र विहार, श्रीनगर मक्सी रोड, अंजूश्री मक्सी रोड, गोपालपुरा मक्सी रोड, शिवालय परिसर, शिव परिसर।

परिक्षेत्र क्रमांक-2

इंदिरा नगर कालोनी (मकोडिया आम), इशाक बेग की चाल, सुदामा नगर कालोनी, शास्त्री नगर कालोनी, अंकपात मार्ग 52 कुंड के आगे से दोनो ओर भवन/भूमि, अशोक नगर (तात्याटोपे मार्ग स्थित), अभिलाष नगर, अशोक मंडी मार्ग से सेंट पॉल स्कूल तिराहे तक के दोनो ओर भवन/भूमि (चिमनगंज मंडी को छोड़कर) आर्य समाज की समस्त गलियां, अशोक नगर सांवेर रोड़, अंकपात मार्ग गली 1, 2, 3, गोपाल मंदिर स्थित युवराज लायब्रेरी की गली, गोपालपुरा, राजेन्द्र नगर (शान्तिनगर के पास), गायत्री नगर, गौतम मार्ग, कन्हैयालाल मनाना मार्ग की गली (क्र. 1 व 5 को छोड़कर), कालिदास मार्ग जीरो पाईट से रेलवे क्रासिंग के दोनों ओर के भवन/भूमि (कंचनपुरा, गणेशपुरा, किशनपुरा को छोड़कर), कमरी मार्ग के पथ, हीरामील मार्ग, हाउसिंग बोर्ड के समस्त भवन, रामप्रसाद भार्गव मार्ग (गली नं. 1 व 2 को छोड़कर), रामरतन शर्मा मार्ग, राधा नगर (उदयन मार्ग माधवनगर), लक्ष्मीनगर कालोनी, नगर निगम कर्मचारी कालोनी, पुष्पांजलि नगर, प्रजापति कालोनी, पंचमपुरा, दादाभाई नौरोजी मार्ग, दमदमा, हरसिद्धी मार्ग, चौंसठ योगिनी मार्ग, चौबीस खम्बा मार्ग, छत्तीस क्वार्टर, जवाहर मार्ग व्यायामशाला की गली व मोदी की गली व मगरमुआ गली परमानंद डेरी से आगे के भवन, विश्वबैंक कालोनी ढांचा भवन, आनन्द नगर- नानाखेडा झुगगी झोपडी, पार्थ परिसर, अशोक मण्डी मार्ग स्थित बाफना पा कालोनी, आनन्द नगर(हिरा मिल के पास), देसाई नगर (देसाईनगर गंदी बस्ती को छोड़कर), लक्ष्मीबाई मार्ग के पथ व गलियां, बेगमबाग वैध कालोनी, श्रीपाल मार्ग की समस्त गलियां, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग पथ व गलियां, नजर अली मार्ग की समस्त गलियां, गौतम मार्ग, राजाभाऊ महाकाल मार्ग पथ व गलियां, रामचंद्र बाबा श्रेवणी मार्ग, अम्बाप्रसाद तिवारी मार्ग, गायत्रीनगर, सांदीपनिनगर, नागेश्वर धाम।

परिक्षेत्र क्रं. -3

विक्रम नगर, हाथीपुरा, त्रिवेदी कालोनी, तात्याटोपे मार्ग की गलियां, (अशोक नगर की गलियां व क्रमांक 11 को छोड़कर) गणेश टेकरी (नगरकोट मंदिर के पीछे), राजेन्द्र नगर, गांधी नगर (चिमनगंज मंडी के पास), गांधी नगर (सांवेर रोड़), गणेश नगर, भगतसिंह मार्ग, अशोक मण्डी मार्ग (सेन्टपाल स्कूल तिराहे से तिराहे तक) उसके पथ 1, 2 व 3 छोड़कर ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड पथ व गलियां (बाफना पा कालोनी को छोड़कर), अंकपात मार्ग के पथ व गलियां, अवन्तिपुरा, अंकपात मार्ग से पीपलीनाका मार्ग, अहिल्याबाई मार्ग व उसकी गलियां, आनन्द नगर झुग्गी झोपड़ी, अम्बापुरा, अशोक नगर (इन्दौर रोड़), जंतर-मंतर, जयसिंहपुरा मार्ग, दादाभाई नौरोजी मार्ग के पथ व गलियां, दुर्गा नगर, द्रविड़ मार्ग की समस्त गलियां, एम.आर.5 के दोनों ओर के भवन/भूमि, मकोड़ियाआम क्षेत्र, मोहन नगर, महावीर नगर, मौलाना आजाद मार्ग, उसके पथ व गलियां, अंकपात मार्ग गली 1, 2 व 3, गलियां, महादजी मार्ग व उसकी गलियां, महाकाल मार्ग की गलियां, मंगलनाथ मार्ग, विनोद मिल की चाल, विष्णु कालोनी (अंकपात मार्ग), बजरंग नगर, बेगमबाग अवैध कालोनी व उसके पास बने भवन, नाले के पास बने भवन, बेगमपुरा मार्ग व गलियां, वाल्मिकी नगर, विश्वविद्यालय स्थित पुलिस कालोनी, विष्णुपुरा पुराना, बागपुरा, कमल कालोनी, कमरी मार्ग की गलियां व उसके पथ की गलियां, कालिदास मार्ग, रेलवे फाटक से पुराने नाके तक व कालिदास मार्ग की गली 1 से 14 तक। पाण्ड्याखेड़ी, पंचमपुरा, शिवशक्ति नगर कालोनी, श्रीकृष्ण कालोनी, सिद्धसेन मार्ग, संजय नगर, संत बालीनाथ कालोनी, खिड़वरकर मार्ग की गलियां, खुर्रमशाहजहां मार्ग व उसकी समस्त गलियां, खुदीरामबोस मार्ग व उसकी गलियां, ख्वाजहां मार्ग की गलियां। ईदगाह मार्ग, रामरतन शर्मा मार्ग की समस्त गलियां, रामघाट मार्ग व उसकी गलियां, राजेन्द्र नगर (आगर रोड़), चौंसठ योगिनी मार्ग की गलियां, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग के पथ व गलियां, चौबीसखम्बा मार्ग के पथ व गलियां, लालबाई फूलबाई मार्ग व उसकी गलियां, लाला लाजपतराय मार्ग की गलियां, नारायणपुरा, मालनवासा, शकरवासा, गोयलाखुर्द स्थित सम्पूर्ण नवविकसित कालोनियां, प्रभुनगर देवास रोड़, महावीरनगर, वीर दुर्गादास मार्ग के पथ व गलियां, मंछामन गणेश नगर, पार्थ परिसर एवं सांवेर रोड़ पर अन्य निर्माणाधीन कालोनियां, प्रीतिनगर, सिद्धवट मार्ग स्थित हरिनगर कालोनी, मोतीनगर, जानकीनगर, झरण कालोनी, मंगलनगर (आगर रोड़), कंचनपुरा, गणेशपुरा, किशनपुरा, देसाईनगर (गंदी बस्ती)।

परिक्षेत्र क्रं. -4

खिलचीपुर, ख्वाजहां मार्ग भवन क्रमांक-5 से आगे, राजीव नगर रघुपुरा, राजीव नगर झुग्गी झोंपड़ी, रणजीत हनुमान, रविदास नगर, यादव नगर, भद्रबाहु मार्ग, भेरूपुरा, भतृहरि मार्ग, मोहनपुरा, मुल्लापुरा, महेन्द्र मार्ग व उसकी गलियां, मंगलनाथ मार्ग की गलियां, मोजमखेड़ी, मोरूखेड़ी, जियापुरा, जयसिंहपुरा मार्ग की गलियां, सदावल मार्ग, शान्तिमार्ग व उसमें नये भवन, चित्रगुप्त मार्ग, चौंसठ योगिनी मार्ग के पथ व गलियां, चिन्तामणी मार्ग, गढ़कालिका मार्ग व समस्त गलियां, कालियादेह मार्ग व गलियां, सिद्धवट मार्ग व पथ एवं गलियां, दत्त अखाड़ा मार्ग, दुर्गा नगर, इन्द्रानगर (अवैध कालोनी), हामूखेड़ी, नीमनवासा, नानाखेड़ा गांव, पाला मार्ग, ग्राम पंवासा, तिलकेश्वर मार्ग, बलाई बाखल, एग्रीकल्चर मार्ग, ओखलेश्वर मार्ग, शंकरपुरा, मोहनपुरा।

क्र निर्माण का प्रकार	परिक्षेत्र-1				परिक्षेत्र-2				परिक्षेत्र-3				परिक्षेत्र-4			
	आवासीय		वाणिज्यिक		आवासीय		वाणिज्यिक		आवासीय		वाणिज्यिक		आवासीय		वाणिज्यिक	
	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.

क्र निर्माण का प्रकार	परिक्षेत्र-1				परिक्षेत्र-2				परिक्षेत्र-3				परिक्षेत्र-4			
	आवासीय		वाणिज्यिक		आवासीय		वाणिज्यिक		आवासीय		वाणिज्यिक		आवासीय		वाणिज्यिक	
	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.	प्रति व. फी	प्रति व.मी.
1.पक्का भवन जो सीमेन्ट कांक्रीटया चूने से बना हो																
(अ) आर.सी.सी., आर. बी.सी. या पत्थर की छत युक्त पक्का भवन	24	258	70	753	20	215	45	485	15	162	35	377	14	151	25	269
(ब) सीमेन्ट लोहे की चदर या कवेलू टाईल्स युक्त पक्के भवन	20	215	45	485	15	162	35	377	14	151	25	269	11	118	20	215
2 कच्चा भवन जो सीमेन्ट, कांक्रीट या चूने से बना हुआ नहीं हो।	12	129	30	323	11	118	25	269	10	108	20	215	09	97	15	162
3 खुली भूमि	04	43	12	129	03	32	10	108	02	22	08	86	02	22	06	65

परिक्षेत्र क्रमांक-5

आगर रोड स्थित उद्योगपुरी, मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी, देवास रोड स्थित उद्योगपुरी, एफसीआई के गोदाम, दुग्ध संघ व उसके समस्त भवन, श्री सिंथेटिक्स एवं उसके भवन, माडर्न फैक्ट्री, सोयाबीन प्लांट, पाइप फैक्ट्री व उसके समस्त भवन, नियम-5 के अधीन भवनों एवं भूमियों का वार्षिक भाड़ा मूल्य के अवधारण करने के प्रयोजन हेतु भवनों एवं भूमियों के निर्माण की गुणवत्ता, उपयोग व अवस्थिति के आधार पर प्रति वर्ग फुट / प्रति वर्ग मीटर वार्षिक दर गत वर्षानुसार निम्नानुसार वसूली योग्य है :-

क्र.	स्थान	आर.सी.सी., आर.बी.सी. या पत्थर की छत युक्त पक्का भवन/शेड		सीमेन्ट लोहे की चद्दर या कवेलू टाईल्स युक्त पक्के भवन		खुली भूमि	
		प्रति वर्ग फीट	प्रति वर्ग मीटर	प्रति वर्ग फीट	प्रति वर्ग मीटर	प्रति वर्ग फीट	प्रति वर्ग मीटर
1	आगर रोड़	25	269	20	215	02	22
2	मक्सीरोड़	20	215	15	162	02	22
3	देवास रोड़	20	215	15	162	02	22

भवन/भूमि स्वामियो द्वारा विवरणी सहित सम्पत्तिकर, समेकितदर, शिक्षा उपकर की राशि का भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक करना अनिवार्य होगा। 31 दिसम्बर 2022 तक विवरणी तथा सम्पत्तिकर, समेकितदर, शिक्षा उपकर की राशि जमा नही करने पर 1% मासिक अधिभार देय होगा। अधिभार की गणना वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ अर्थात माह अप्रैल 2022 से की जावेगी एवं अधिभार की गणना अधिकतम 24% तक कर स्थिर रखी जावेगी। करदाताओं द्वारा वर्ष 2022-23 का सम्पत्तिकर दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक जमा करने पर सम्पत्तिकर पर 6% की छूट एवं दिनांक 1 मई 2022 से 31 मई 2022 तक जमा करने पर सम्पत्तिकर पर 5% की छूट व दिनांक 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक सम्पत्तिकर जमा करने पर 4% की छूट दी जावेगी।

बहुमंजिला भवन के वार्षिक भाडा मूल्य की गणना हेतु तालिका में जो दर निर्धारित की गई है। यह तल मंजिल हेतु यथावत रखी जाकर उसके पश्चात प्रत्येक मंजिल को वार्षिक भाडा मूल्य, तल मंजिल हेतु निर्धारित दर में 3 /-रूपये प्रति वर्ग फुट या 32/- रु. प्रति वर्ग मीटर कम करके गणना की जावेगी। तृतीय मंजिल के बाद जितनी भी मंजिल होगी उसका वार्षिक भाडा मूल्य तृतीय मंजिल हेतु निर्धारित दर से गणना की जावेगी। भवन के तल पर (बेसमेन्ट) का वार्षिक भाडा मूल्य प्रथम मंजिल हेतु निर्धारित के मान से गणना की जावेगी। जिन भवनो/भूमियो के विषय में झोन परिक्षेत्र में स्पष्ट उल्लेख होने से छूट गया हो उसका वार्षिक भाडा मूल्य निर्धारण निकटस्थ परिक्षेत्र के भवन/भूमि के संबंध में दी गई दर से होगा, इस संबंध में आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 (5) (क) (ख) के अन्तर्गत समेकित दर अवधारित करने के संबंध में गत वर्ष 2016-17 अनुसार ऐसे भवन/भूमि जिन पर सम्पत्तिकर देय नही है उनसे समेकित कर 180/- रूपये वार्षिक किन्तु बी.पी.एल. सर्वे सूची में अंकित परिवारों के भवन/भूमि स्वामियों को समेकित कर पूर्वानुसार 90/- वार्षिक देय है एवं जिन भवन/भूमि पर सम्पत्तिकर देय है उनसे भी समेकित दर 180/-

रूपये वार्षिक उदगृहित किया जावेगा। उपरोक्त प्रचलित दर के साथ-साथ गतवर्ष अनुसार ऐसे भवन/भूमियों के सम्पत्तिकर पर निम्नानुसार प्रतिशत समेकित दर अवधारित किया जाना उचित है :-1.ऐसे भवन/भूमि जिनका वार्षिक सम्पत्तिकर रूपये 400/- से 1000/- तक का है से समेकित दर वार्षिक रूपये 180/- + सम्पत्तिकर का 6% राशि अतिरिक्त समेकित दर देय होगा। 2.ऐसे भवन/भूमि जिनका वार्षिक सम्पत्तिकर रूपये 1000/- से अधिक है से समेकित दर वार्षिक रूपये 180/- +सम्पत्तिकर का 10% राशि अतिरिक्त समेकित दर देय होगा।

शिक्षा उपकर ऐसे भवन/भूमि जो सम्पत्तिकर से मुक्त है, को छोड़कर शिक्षा उपकर की वसूली वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये गतवर्ष अनुसार ही देय सम्पत्तिकर का 3% वसूल किया जावेगा।

म.प्र. नगरीय विकास उपकर (संग्रहण) नियम 2007 के अंतर्गत राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2007 के संशोधन अनुसार ऐसे भवन/भूमि स्वामी जिनसे यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण या संपत्तिकर अधिनियम से संबंधित विधि के उपबंधों के अधीन संपत्तिकर उदगृहणीय नहीं है को छोड़कर ऐसे भवन / भूमि स्वामी जिनके द्वारा भवन/भूमि को किराये पर दी गई है, उनसे वार्षिक भाड़ा मूल्य का 2% तथा ऐसे भवन/भूमि स्वामी जिनके द्वारा भवन/भूमि का उपयोग स्वयं के लिये किया जाता हो उनसे वार्षिक भाड़ा मूल्य का 1% नगरीय विकास उपकर वसूल किया जावेगा।

ऐसे भवन / भूमि जिन पर टेलीफोन/मोबाइल टावर स्थापित हैं उनके सम्पत्तिकर के लिए गणना किये जाने वाले वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर में ठहराव क्र. 77 दिनांक 27.8.2009 की स्वीकृति अनुसार 108/- रुपये प्रति मीटर (10/- रुपये प्रति फीट) अतिरिक्त जोड़कर सम्पत्तिकर की गणना की जावेगी।

ठहराव क्रमांक 185 दिनांक 18.7.2002 से जब्त सामान छोड़ने की दरें

क्रमांक	वस्तु का प्रकार	दर
1.	किसी भी प्रकार की गुमटी	250/- प्रति गुमटी
2.	माल से लदी हाथ गाड़ी, ठेला एवं चौपहिया ठेला एवं चौपहिया ठेला	75/- प्रति ठेला
3.	खाली हाथ गाड़ी, ठेला एवं चौपहिया ठेला	50/- प्रति ठेला
4.	सायकल रिक्शा	40/- प्रति रिक्शा
5.	सायकल	15/- प्रति सायकल
6.	तांगा बैलगाड़ी	50/- प्रति वाहन
7.	मोटर सायकल, स्कूटर व अन्य यंत्र चलित 2 पहिया वाहन	50/- प्रति वाहन
8.	आटो रिक्शा, टेम्पो व अन्य यंत्र चलित 3 पहिया वाहन	100/- प्रति वाहन
9.	कार, जीप व अन्य चौपहिया यंत्र चलित	350/- प्रति वाहन
10.	ट्रक, मोटर लारी, बस, ट्रैक्टर ट्राली व अन्य छः पहिया या उससे अधिक पहिया का यंत्र चलित वाहन	500/- प्रति वाहन
11.	विज्ञापन बोर्ड मय स्ट्रक्चर के	200/- प्रति नग
12.	विज्ञापन बेनर झंडिया (2 मीटर तक)	10/- प्रति नग
13.	विज्ञापन बेनर झंडियां (2 मीटर से बड़े)	15/- प्रति नग
14.	झूले चक्री (छोटे)	100/- प्रति नग
15.	झूले चक्री (बड़े)	250/- प्रति नग
16.	लोहा सामग्री या उससे निर्मित सामान	4/- प्रति किलो
17.	प्लास्टिक सामग्री या उससे निर्मित सामान	5/- प्रति नग
18.	पानी के ड्रम (प्लास्टिक) 500 लीटर तक	10/- प्रति नग
19.	पानी के ड्रम/टंकी (प्लास्टिक) 500 लीटर से अधिक	20/- प्रति नग
20.	इमारती लकड़ी	0.50/- प्रति किलो
21.	लकड़ी का बना सामान जैसे टेबल, कुर्सी, स्टूल, बैंच आदि	5/- प्रति नग
22.	लकड़ी का बना सामान जैसे दरवाजा, खिड़की, अलमारी, पलंग, सोफे आदि	25/- प्रति नग
23.	इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं बहुमूल्य विद्युत उपकरण जैसे टी.वी., सी.डी., फ्रीज, कूलर, ए.सी. आदि	मूल्य का 1 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 50 रुपये

नोट :- जब्त की गई दिनांक को 100 प्रतिशत तत्पश्चात द्वितीय दिवस से 50 प्रतिशत वसूल किया जावेगा ।
संकल्प क्रमांक 49 दिनांक 10.3.2000 से अस्थाई आधिपत्य, रचना, निर्माण एवं बढ़ाव दर

क्रमांक	वस्तु का प्रकार	दर
1.	अनुक्रमांक 1 (अ), मण्डप, द्वार, चांदनी क्षेत्रफल 3 बाय 3=9 वर्ग मीटर। 1. फर्स्ट क्लास 2. सेकण्ड क्लास 3. थर्ड क्लास 4. अन्य किसी स्थान पर (दर प्रति सप्ताह या उससे कम अवधि के लिये)	50.00 40.00 30.00 20.00
2.	अनुक्रमांक 2-1 (ब) इमारती मलबा या सामान रखने के लिये क्षेत्रफल 3 बाय 3=9 मीटर। 1. फर्स्ट क्लास 2. सेकण्ड क्लास 3. थर्ड क्लास 4. अन्य किसी स्थान पर (दर प्रति सप्ताह या उससे कम अवधि के लिये)	35.00 25.00 20.00 15.00
3.	अनुक्रमांक 3 (1), सार्वजनिक सड़क की अनुपयोगी भूमि आबादी के अंदर 3 बाय 3=9 वर्ग मीटर अथवा उसके अंश के लिये प्रतिमाह या उससे कम अवधि के लिये।	30.00
4.	अनुक्रमांक 3 (2) सार्वजनिक सड़क की अनुपयोगी खुली भूमि आबादी के बाहर 3 बाय 3=9 वर्ग मीटर अथवा उसके अंश के लिये प्रतिमाह या उससे कम अवधि के लिये।	15.00
5.	अनुक्रमांक 4 गटरों के पीछे या गटरों के ऊपर या भूमि के ऊपर किसी प्रकार के लच्छेदार अथवा टेकेदार पटियां अथवा तोडा पट्टी के लिये प्रति वर्ग मीटर अथवा उसके अंश के लिये प्रतिमाह :- 1. फर्स्ट क्लास (व्यवसायिक क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग हेतु) 2. सेकण्ड क्लास (आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग हेतु) 3. थर्ड क्लास (गैर व्यवसायिक उपयोग हेतु)	45.00 15.00 05.00

क्रमांक	वस्तु का प्रकार	दर
6.	अनुक्रमांक 6(1) सड़क की भूमि पर गाड़ियां रखना जिसमें सब प्रकार के मोटर व ट्रक शामिल हैं— 1. प्रतिदिन 2. मासिक	6.00 150.00
7.	अनुक्रमांक 7 (क) सड़क, पटरी व सड़क के बाजू, गटर के पीछे की पटरी की भूमि प्रतिदिन 1 बाय 2=2 वर्ग मीटर या उसके अंश पर।	10.00
8.	अनुक्रमांक 7 (ख) सड़क, पटरी व सड़क के बाजू गटर के पीछे की पटरी की भूमि— प्रतिदिन 1 बाय 1=1 वर्ग मीटर या उसके अंश पर	3.00
9.	अनुक्रमांक 7 (ग) सड़क अथवा सड़क की पटरी पर लगने वाले प्रतिदिन 1. प्रति कुर्सी, गुड़डा, स्टूल 2. प्रति बेंच, टेबल 3. प्रति भट्टी	1.00 2.00 2.00
10.	सार्वजनिक बाजार में सड़क पर फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले चौहिया ठेलों से प्रतिदिन	5.00
11.	सार्वजनिक सड़क के किनारे या बाजू में अथवा गटर के पास या पीछे दिनभर खड़े रहने वाले दाण्डिक ठेलों से प्रतिदिन	10.00
12.	सार्वजनिक सड़क के किनारे या बाजू में अथवा गटर के पास या पीछे स्थायी रूप से खड़े रहने वाले दाण्डिक ठेलों से प्रतिदिन	15.00
13.	सार्वजनिक सड़क के किनारे या बाजू में अथवा गटर के पास या पीछे स्थित दाण्डिक गुमटी 1 बाय 1=1 वर्ग मीटर या उसके अंश पर प्रतिदिन	7.00
14.	सार्वजनिक सड़क के किनारे या बाजू में अथवा गटर के पास या पीछे स्थित दाण्डिक गुमटी 1 बाय 2=2 वर्ग मीटर या उसके अंश पर प्रतिदिन।	10.00
15.	सार्वजनिक सड़क के किनारे या बाजू में अथवा गटर के पास या पीछे स्थित दाण्डिक गुमटी 2 बाय 2=4 वर्ग मीटर	15.00

ठहराव क्रमांक 47 दिनांक 03.04.2006 से विज्ञापन होर्डिंग्स की दर

क्र.	होर्डिंग्स द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन करने का स्थान/क्षेत्र का नाम	होर्डिंग्स दर प्रति वर्ग मीटर
1.	चामुण्डा माता चौराहे से इन्दौर गेट तक	200/-
2.	चामुण्डा माता चौराहे से ग्राण्ड होटल होते हुए टावर चौक तक	200/-
3.	चामुण्डा माता चौराहे से एम.पी.ई.बी. आफिस से टावर तक	200/-
4.	सम्पूर्ण टावर चौक फ्रीगंज क्षेत्र	200/-
5.	टावर चौक से तीन बत्ती चौराहे तक	200/-
6.	टावर चौक से घास मण्डी चौराहा	200/-
7.	तीन बत्ती चौराहे से भरतपुरी आर.टी.ओ. तक	200/-
8.	तीन बत्ती चौराहे से लोटि स्कूल तक	100/-
9.	तीन बत्ती चौराहे से इंदौर रोड त्रिवेणी तक	200/-
10.	चामुण्डा माता चौराहे से पुराना नाका आगर रोड तक	200/-
11.	गोपाल मंदिर क्षेत्र	200/-
12.	कोयला फाटक गाड़ी अड्डा से बियाबानी होते हुए मुल्लापुरा तक	75/-
13.	निकास चौराहे से मंगलनाथ तक	75/-
14.	निकास चौराहे से इंदौरगेट तक	100/-
15.	नानाखेडा बस स्टैण्ड से बायपास होते हुए हरिफाटक ब्रिज से महाकाल मंदिर एवं हरसिद्धि, चारधाम तक सम्पूर्ण क्षेत्र	100/-
16.	भरतपुरी आर.टी.ओ. आफिस से नागझिरी तक	75/-
17.	एम.पी.ई.बी. आफिस से जीरो पाइंट होते हुए श्री सिंथेटिक्स तक	75/-
18.	पीपलीनाका से भेरुगढ़ तक	75/-
19.	पीपलीनाका से मुल्लापुरा तक	75/-
20.	इंदौर रोड से हरिफाटक ब्रिज तक	75/-
21.	हरिफाटक ब्रिज से चिन्तामण तक	75/-

अन्य विज्ञापन माध्यमों हेतु निम्नानुसार दरें हैं

क्र.	विज्ञापन माध्यम	दर
1.	इलेक्ट्रानिक मेगा स्क्रिन / प्रोजेक्टर	500 /- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
2.	बेलून एयर स्पेस	1000 /- प्रति नग प्रति वर्ष
3.	अस्थाई विज्ञापन गेट	500 /- प्रति नग प्रति दिवस
4.	विज्ञापन वाहन	200 /- प्रति दिन प्रति वाहन
5.	ग्लोसाइन बोर्ड (ठहराव क्र.43 दि. 31.03.2011 से स्वीकृत)	300 /- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
6.	निओनसाइन बोर्ड (ठहराव क्र.43 दि. 31.03.2011 से स्वीकृत)	300 /- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
7.	कियोस्क बोर्ड (पोल पर) (ठहराव क्र.43 दि. 31.03.2011 से स्वीकृत)	300 /- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
8.	दुकानों के बोर्ड के अतिरिक्त डीलर बोर्डस (अप्रकाशित)	50 /- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
9.	दुकानों के बोर्ड के अतिरिक्त डीलर बोर्डस (प्रकाशित)	100 /- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
10.	विज्ञापन बेनर (सादा)	3 माह के लिये 10 /-, 6 माह के लिये 15 /-, 9 माह के लिये 20 /-, 12 माह के लिये 25 /- (प्रति वर्ग मीटर)
11.	विज्ञापन बेनर (फ्लेक्स)	3 माह के लिये 20 /-, 6 माह के लिये 30 /-, 9 माह के लिये 20 /-, 12 माह के लिये 50 /- (प्रति वर्ग मीटर)
12.	सनकेट शीट्स / तख्तियां / पोस्टर	5 /- प्रति माह प्रति वर्ग मीटर
13.	वाल पेंटिंग	3 माह के लिये 10 /-, 6 माह के लिये 15 /-, 9 माह के लिये 25 /-, 12 माह के लिये 30 /- (प्रति वर्ग मीटर)

नोट :-

ठहराव क्र.43 दि. 31.03.2011 से प्रत्येक होर्डिंग के लिए प्रति पोल (गार्डर/बल्ली) 250/- रूपये वार्षिक वसूल सडक संधारण (गड्ढा शुल्क) स्वीकृत है।

प्रदर्शन कर :-

1. मनोरंजन कर 6 लाख से अधिक होने की स्थिति में 10/- प्रति शो
2. मनोरंजन कर 4 लाख से 6 लाख तक होने की स्थिति में 6/- प्रति शो
3. मनोरंजन कर 4 लाख से कम होने की स्थिति में 5/- प्रति शो

साहूकारी पंजीयन :-

साहूकारी पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क रुपये 3000/- वार्षिक

(मा. निगम परिषद ठहराव क्रमांक 63 दिनांक 04.10.2016)

ग्राण्ड होटल कमरे एवं लान किराया की दरें

(मा. निगम परिषद ठहराव क्रमांक 12 दिनांक 27.03.2017)

क्र.	विवरण	वर्तमान प्रचलित दर प्रतिदिन	प्रस्तावित दर	रिमार्क
1.	कमरा क्र. 101 (ए.सी.)	1600/-	2500/-	प्रति दिन
2.	कमरा क्र. 102 से 106 तक	1000/-	2500/-	प्रति कमरा, प्रतिदिन
3.	कमरा क्र. 201 (ए.सी. डीलक्स)	2000/-	2500/-	प्रति कमरा, प्रतिदिन
4.	कमरा क्र. 202 से 206 तक	1000/-	2500/-	प्रति कमरा, प्रतिदिन
5.	एन.एक्स.सी. भवन (कमरा क्र. 301 से 310 तक)	400/-	800/-	प्रति कमरा, प्रतिदिन डबल बेड
6.	लॉन (ग्राउण्ड)	30,000/-	50,000/-	-
7.	ग्राण्ड होटल सभागृह (मिटिंग हॉल)		3,000/-	प्रति सभा (अधिकतम 3 घण्टे हेतु)
नोट :- सफाई शुल्क (लॉन) 1500/-प्रतिदिन				

मांगलिक भवन को आवंटित हेतु स्वीकृत किराया :-

1. अम्बेडकर मांगलिक भवन को आवंटित हेतु स्वीकृत किराया :-

रूपये 1500-00 प्रतिदिन सामान्य वर्ग हेतु
रूपये 750-00 प्रतिदिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु
रूपये 500-00 थोड़े समय (केवल 2 या 3 घण्टे)के लिए किराये से लिये जाने हेतु

2. किशनपूरा मांगलिक भवन को आवंटित हेतु स्वीकृत किराया :-

एक दिवस (प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन 8 बजे तक)				
क्र.	विवरण	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए	निगम के स्थायी कर्मचारी (स्वयं/पुत्र/पुत्री हेतु)	अन्य के लिए
1	तल मंजिल	3000/-	3000/-	6000/-
2	प्रथम मंजिल	2000/-	2000/-	4000/-
3	छत	1000/-	1000/-	2000/-

अल्प अवधि हेतु (अधिकतम 6 घंटे के लिए)				
क्र.	विवरण	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए	निगम के स्थायी कर्मचारी (स्वयं/पुत्र/पुत्री हेतु)	अन्य के लिए
1	तल मंजिल	1500/-	1500/-	2000/-
2	प्रथम मंजिल	1000/-	1000/-	1500/-
3	छत	750/-	750/-	1000/-

निगम स्वामित्व की भूमि को अस्थाई रूप से आवंटित किये जाने की दिनांक 1.4.11 से प्रभावशील दरें :-

भूमि का विवरण	धार्मिक आयोजन	समूहिक विवाह हेतु	विवाह व अन्य कार्यक्रम	व्यावसायिक उपयोग हेतु	राजनैतिक उपयोग हेतु	
कार्तिक मेला नदी के पास का ग्राउण्ड	500-00	500-00	1000-00	2000-00	500-00	
कार्तिक मेला झूला क्षेत्र	500-00	500-00	1000-00	2000-00	500-00	
कार्तिक मेला मेर रोड के दोनों तरफ का क्षेत्र	500-00	500-00	1000-00	2000-00	500-00	
नजर अली मिल कम्पाउण्ड फायर ब्रिगेड के पीछे	2000-00	10000-00	15000-00	10000-00	2000-00	
दशहरा मैदान परेड ग्राउण्ड	2000-00	15000-00	15000-00	15000-00	2000-00	

- 1 उपरोक्त आयोजन के आयोजनकर्ता से प्रतिदिवस 200-00 सफाई चार्ज अतिरिक्त से देय होगा ।
- 2 उपरोक्त दर के अतिरिक्त प्रचलित दर अनुसार सर्विस टेक्स पृथक से देय होगा ।

अन्य मदें राजस्व विभाग अन्यकर :-

क्रमांक	मद का नाम	दर	रिमार्क
1	पशु रजिस्ट्रेशन	पशु हाट बुधवारिया	मा. निगम परिषद के ठहराव क्रमांक 22 दिनांक 20-03-2013 से स्वीकृत
1	भैंस	200.00 प्रति मवेशी	
2	पाड़ा-पाड़ी	100.00 प्रति मवेशी	
3	गाय (देसी)	100.00 प्रति मवेशी	
4	गाय(जर्सी / होस्टाइल)	200.00 प्रति मवेशी	
5	बैल	100.00 प्रति मवेशी	
6	केड़ा / केड़ी	50.00 प्रति मवेशी	
7	बकरा / बकरी / भेड़ / भेड़ा	50.00 प्रति मवेशी	
8	बकरा / बकरी / भेड़ / भेड़ा के बच्चे	30.00 प्रति मवेशी	
9	गधा / गधी	50.00 प्रति मवेशी	
10	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मवेशी	250.00 प्रति मवेशी	
11	ग्राउण्ट रेंट	रूपये 10.00 प्रतिमवेशी	
12	ठीया शुल्क		
	ए. तीन पहिया वाहन	100.00 प्रतिवाहन	
	बी. चार पहिया वाहन	200.00 प्रतिवाहन	
	सी. चार पहिया या उससे अधिक पहिया वाहन	300.00 प्रतिवाहन	
नोट:- बिना रसीद पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पशु स्वामी से उपरोक्त स्वीकृत दर से 5 गुना राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जावेगी ।			
2	तीर्थ यात्रीकर रेल्वे	पैसे 6 प्रतियात्री उज्जैन से विक्रय टिकट पर	

3 सामान्य प्रशासन विभाग :-

क्रमांक	मद का नाम	दरें	रिमार्क
1	रेकार्ड एवं प्रतिलिपि शुल्क	10.50 रूपये प्रति पृष्ठ	
2	सूचना के अधिकार अंतर्गत सूचना	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अनुसार	

4

स्वास्थ्य विभाग :-

1. खिड़क :-

खिड़क में निरुद्ध मवेशियों को छुड़ाने के संबंध में निम्नानुसार दरें प्रभावशील हैं-

क्र.	नाम मवेशी	खिलाने का प्रभार	जुर्माना	कुल राशि
1.	हाथी	250 / -	500 / -	750 / -
2.	ऊंट	150 / -	250 / -	400 / -
3.	भैंस, भैंसा, घोड़ा, खच्चर	100 / -	200 / -	300 / -
4.	गाय, बैल, केड़ा, केड़ी	100 / -	200 / -	300 / -
5.	भेड़, भेड़ा, बकरी, बकरा	50 / -	50 / -	100 / -
6.	गधा, सूअर, टट्टू	100 / -	100 / -	200 / -

2. खाद्य पदार्थ व शीतल पेय उपविधि के अन्तर्गत शुल्क धर्मशाला एवं उत्सव शुल्क :-

क्रं	विवरण	शुल्क वर्ष 2016-17
	धर्मशाला सराय उपविधि	
	1. धर्मशाला	500.00
	2. लॉज	1000.00
	3. मांगलिक परिसर	5000.00
	(सरचार्ज 25 प्रतिशत अलग से देय)	

(सरचार्ज 25 प्रतिशत 30 जून उपरांत देय)

3. अर्थदण्ड :-

क्रं	उल्लंघन	अर्थदण्ड राशि
1	सार्वजनिक स्थानों पर थूकना	400.00
2	सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करना	1000.00
3	सार्वजनिक स्थानों पर शौच करना	2000.00
4	अधिसूचित क्षेत्र से इतर क्षेत्रों में पशु पालन करना या पशु को आवारा छोड़ना	4000.00
5	सार्वजनिक स्थानों पर रसायनिक अवशिष्ट डालना	4000.00
6	सार्वजनिक स्थानों पर हानिकारक द्रव्य बहाना	4000.00
7	सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार से गंदगी फैलाना	1000.00

(ठहराव क्र. 18 दिनांक 28.03.2018)

* प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक 672/पीएसयूएडी/2009 भोपाल दिनांक 07.09.2009 के द्वारा म. प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन एवं नवीकरण का कार्य श्रम विभाग, को सौंपा गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा म. प्र. , कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म. प्र. के ज्ञाप क्रमांक 3/खाद्य /2/36/2011 /9022-11 दिनांक 04.08.2011 एवं अभिहित प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक खा.सु.मा.अ./2011/494-501 दिनांक 08.08.2011 के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम 2011 दिनांक 05.08.2011 से लागू होने तथा पूर्व से लागू पी. एफ. ए. रूल्स विलोपित होने के कारण कोई भी नई अनुज्ञप्ति जारी न किये जाने के परिपालन में नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा खाद्य लायसेंस शुल्क की वसूली बंद की जा चुकी है।

भयप्रद एवं उत्तेजक व्यापार विनियम

कारखाना उपविधि 1978

क्रं	मद व्यापार	रकम	क्रं	मद व्यापार	रकम
1	नाई की दुकान	5.00		पी.वी.सी.पाईप फुटकर	100.00
	दोना पत्तल	5.00		प्लास्टिक सामान	100.00
	कोयला फुटकर	10.00		होजयरी	100.00
2	कागज रददी	10.00		प्रिटींग प्रेस	100.00
	नारियल रस्सी	25.00		तारपीन का तेल	100.00
	बारदान रस्सी	25.00		वरनीस	100.00
3	गैस वैल्विंग	25.00		कपडे की दुकान फुटकर	100.00
	काटन वेस्ट	25.00		सायकिल विक्रेता	100.00
	तम्बाखू	25.00		इलेक्ट्रानिक उपकरण	100.00
	शीत गृह	25.00		रेडियो, टीवी, वीसीआर	100.00
	अगरबत्ती फुटकर	25.00		आदि रिपेयरिंग	
	बीडी सिगरेट	25.00		वीडियो कैसेटस	100.00
	कर्मशाला (वर्कशॉप)	25.00		लायब्रेरी	100.00
4	इलेक्ट्रिक वैल्विंग	35.00		फोटो स्टूडियो, वीडियो शूटिंग	100.00
	कीटनाशक औषधि	35.00		मुर्गे का मांस	100.00
	इलेक्ट्राप्सेटस	35.00		मुर्गी के अण्डे	100.00
	रबर टायर ट्यूब	35.00		छाता निर्माण एवं विक्रय	100.00
	ऑटो गैरेज	35.00		हार्डवेअर व्यवसाय	100.00
	कलर स्प्रे मशीन	50.00		टेलर व्यवसाय	100.00
5	ड्रायक्लीनर्स (लॉड्री)	50.00		चमडी, चमडै का कार्य	100.00
	साईजिंग प्लांट	50.00		फोटो कापी व्यवसाय	100.00

क्रं	मद व्यापार	रकम	क्रं	मद व्यापार	रकम
	बाबीन मशीन	50.00		स्टील फर्नीचर, लकड़ी फर्नीचर	100.00
	कटर मशीन	50.00		डेकोरेशन, फलावर	100.00
	स्टोन कटर	50.00		पुस्तके स्टेशनरी	100.00
	केमिकल्स	50.00		कांच व कांच के उपकरण	100.00
	आटा चक्की	50.00		बर्तन विक्रेता	100.00
6	रूई पिंजीने की मशीन	75.00		घड़ी विक्रेता	100.00
7	पुशु आहार कारखाना पावरलूम	100.00		अगरबत्ती कारखाना निर्माण	125.00
	बीडी, सिगरेट, माचिस	100.00		एवं विक्रय	
	साबून	100.00		गैस भट्टी	200.00
	साबुन थोक / फुटकर	100.00		डीजल भट्टी	200.00
	माचिस थोक	100.00		भोजनालय	200.00
	मोमबत्ती थोक / फुटकर	100.00		आतिशबाजी	200.00
	तेल व तेल के बीज	100.00		जडी, बूटी देशी विदेशी दवाईयां	200.00

क्रं	मद व्यापार	रकम	क्रं	विवरण	रकम
1	सीमेट फुटकर	200.00		आरा मशीन	2500.00
	बेकरी	200.00		बरफ कारखाना	2500.00
	केवल आईल पेंट	250.00		आईस्क्रीम निर्माण	2500.00
2	धातु ढलाई	250.00		सिनेमा	2500.00
	इलेक्ट्रानिक मोटर वाईडिंग	250.00		बीडी निर्माण	5000.00
	सोना चांदी के विक्रेता	250.00		गैस गोडाउन	5000.00
3	गाडर, सरिया, लोहा	250.00		नर्सिंग होम ओटी	5000.00
	सेनेटरी सामान	250.00		पेट्रोल पम्प	5000.00

क्रं	मद व्यापार	रकम	क्रं	विवरण	रकम
	कोयला डीपो थोक	250.00		फीजर	25.00
	पीवीसी पाईप थोक	300.00		राशनकार्ड नया	5.00
	स्किमड मिल्क	350.00		राशनकार्ड पुराना	15.00
	टायपिंग कम्प्यूटर ग्राफिक्स	500.00		सेप्टिकटैंक सफाई घर की	500.00
	टाईल्स निर्माण विक्रय	500.00		सेप्टिकटैंक सफाई प्रति ट्रीप	
4	फर्सी, गिटटी, रेत	500.00		निगम सीमा क्षेत्र के बाहर	4000.00
	टेन्ट हाउस	500.00		शासकीय / अर्धशासकीय संस्थान	900.00
	प्लास्टिक कारखाना	500.00		हलाल होने वाले बकरा, बकरी	10.00
	लकड़ी की टाल	500.00		झटका होने वाले बकरा, बकरी	10.00
	लेथ मशीन	500.00		कुत्ता लायसेंस	25.00
	कपडे का थोक विक्रय	500.00			
5	दवाईयां थोक	500.00			
	पेथालाजी लेब	500.00			
	दो पहिया वाहन विक्रय	500.00			
	वाहन उपकरण	500.00			
	सीमेट थोक	500.00			
	आईल पेट के साथ में एक से	750.00			
	अधिक वस्तु होने पर				
6	आईल मिल	1000.00			
7	दाल कारखाना	1000.00			
	पोहा परमल कारखाना	1000.00			
	पीठा लकड़ी का	1000.00			
	बीडी, सिगरेट थोक	1000.00			
	तीन पहिया वाहन विक्रय	1000.00			

क्रं	मद व्यापार	रकम	क्रं	विवरण	रकम
	टायर रिमोल्ट	1000.00			
	साबुन कारखाना	1000.00			
	नर्सिंग होम	2000.00			

(सरचार्ज 25 प्रतिशत अलग से देय)

राशन कार्ड 5 रुपये प्रति राशन कार्ड
सेप्टिक टैंक सफाई चार्ज : रुपये 500-00 प्रति गाड़ी

5 उद्यान विभाग :-

क्र.	मद का नाम	दर		रिमाक		
1	उद्यान से किराया					
1	नरसिंह घाट उद्यान	100.00 + 18% GST सहित		प्रतिदिन 20 व्यक्ति से कम		
		200.00 + 18% GST सहित		प्रतिदिन 20 व्यक्ति से अधिक		
		1100.00 + 18% GST सहित	किराया	प्रतिदिन	सामूहिक विवाह या बड़े कार्यक्रम हेतु	
		200.00	सफाई शुल्क			
		410.00	बर्तन किराया			20 व्यक्ति से कम
		480.00	बर्तन किराया			20 व्यक्ति से अधिक आवश्यकतानुसार
2	चकोर पार्क प्रवेश शुल्क	15.00 + 18% GST सहित		प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति		
3	पौधे बिक्री	10.00		प्रति पौधा		
4	पेड़ कटाई अनुमति शुल्क	500.00		प्रति पेड़		
नोट :- उक्त शुल्क में GST टेक्स , प्रचलित दर अनुसार अतिरिक्त देय हैं						

6 शिल्पज्ञ विभाग :-

क्रम	आय की मदें	दर रूपये में	रिमार्क
1	सड़क खुदाई		
	मिटटी / मुरम	202.00	प्रतिवर्ग मीटर
	डब्ल्यू बी एम	384.00	
	हॉट मिक्स डामर	1283.00	
	सीमेंट कांकीट रोड	2040.00	
2	निविदा प्रपत्र		
	निविदा राशि रूपये 20.00 करोड़ अधिक	50000.00	
	निविदा राशि रूपये 10.00 करोड़ से 20.00 करोड़	30000.00	
	निविदा राशि रूपये 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़	20000.00	
	निविदा राशि रूपये 2.00 करोड़ से 05.00 करोड़	15000.00	
	निविदा राशि रूपये 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़	12500.00	
	निविदा राशि रूपये 50.00 लाख से 1.00 करोड़	10000.00	
	निविदा राशि रूपये 20.00 लाख से 50.00 लाख	5000.00	
	निविदा राशि रूपये 2.00 लाख से 20.00 लाख	2000.00	
	निविदा राशि रूपये 2.00 लाख तक	1000.00	

7 जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन :-

विवाह पंजीयन :-

विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क 450/- मा. मेयर इन काउंसिल का ठहराव क्र. 57 दिनांक 21.03.2023 शुरू किया गया।

फार्म शुल्क 50/- आवेदक द्वारा दिया जा रहा है।

जन्म - मृत्यु पंजीयन :-

आवेदन पत्र -	रु. 10/- प्रति आवेदन-पत्र
जन्म प्रमाण पत्र .	रु. 10/- प्रति
मृत्यु प्रमाण पत्र .	रु. 10/- प्रति

8. लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संधारण खण्ड नगरपालिक निगम उज्जैन :-

क्रम	श्रेणी	कनेक्शन साईज	जलदर प्रतिमाह	रिमार्क	
1	घरेलू	8 एम.एम.	120-00	मीटर लगे होने पर 5 रुपये प्रतिहजार लीटर	मा.निगम परिषद के ठहराव क्रमांक 41 दिनांक 31.03.2011
		15 एम.एम.	200-00		
		20 एम.एम.	375-00		
		8 एम.एम. विकलांग	60-00		
2	अघरेलू	8 एम.एम.	720-00	मीटर लगे होने पर 24 रुपये प्रतिहजार लीटर	
		15 एम.एम.	960-00		
		20 एम.एम. औद्योगिक	1800-00		
		15 एम.एम.	1800-00		
		25 एम.एम. औद्योगिक	2375-00		
		50 एम.एम. औद्योगिक	2750-00		
3	औद्योगिक	8 एम.एम.	900-00	मीटर लगे होने पर 30 रुपये प्रतिहजार लीटर	
		15 एम.एम.	1250-00		
		20 एम.एम.	2350-00		

9. स्टोर विभाग :-

फार्म विक्रय की दरें :-

क्रमांक	फार्म का नाम	वर्तमान प्रचलित दर रूपये में प्रतिफार्म
1	चालान फार्म	2.00
2	कर्जा फार्म (जी.पी.एफ.फण्ड हेतु)	2.00
3	कम्युनिटी हॉल बुकिंग फार्म	5.00
4	सेप्टिक टैंक सफाई हेतु फार्म	5.00
5	प्रतिलिपी फार्म	10.00
6	भवन निर्माण हेतु आवेदन फार्म	25.00
7	नमांतरण आवेदन फार्म	25.00
8	जप्त सामान छोडने संबंधित फार्म	25.00
9	आपत्ती आवेदन फार्म	50.00
10	कान्ट्रेक्टर बिल फार्म	100.00
11	सहुकारी लायसेन्स हेतु आवेदन फार्म	100.00
12	ग्राण्ड होटल बुकिंग हेतु आवेदन फार्म	100.00
13	जन्म पंजीयन आवेदन फार्म	10.00
14	मृत्यु पंजीयन आवेदन फार्म	10.00
15	सम्पत्तिकर विवरणी फार्म	10.00

10. कॉलोनी सेल द्वारा लागू दरें :-

- 1 **कालोनी विकास अनुमति (प्रोसेस शुल्क)** – मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 7 का खण्ड (2) में प्रावधान अनुसार आवेदित व्यपवर्तित भूमि के कलेक्टर गाईड लाईन में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन सभी उपबंधों को छोड़कर संबंधित अवधि के लिए निर्धारित बाजार मूल्य का 0.50 प्रतिशत की दर से।
- 2 **सुपरविजन शुल्क** – मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 15 का खण्ड (क) अनुसार कालोनी के आंतरित विकास पर उपगत होने वाली प्राक्कलित लागत का दो प्रतिशत की दर पर।
- 3 **अधोसंरचना शुल्क** – माननीय निगम परिषद के ठहराव क्रमांक 20 दिनांक 31.03.2023 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रस्तावित कालोनी के प्रति प्लॉट एरिया पर 05/- प्रति वर्ग फुट की दर पर।
- 4 **आश्रय शुल्क** – प्रस्तावित कालोनी में कालोनाइजर के द्वारा निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के भूखण्ड/भवन आरक्षित नहीं रखने के विकल्प का चयन करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 10 का उपनियम (4) (एक) के प्रावधान अनुसार ऐसी कालोनियों की दशा में जिसमें भूखण्डों का विकास किया गया है, भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) के कलेक्टर मार्गदर्शन सिद्धान्त के अधीन आवधारित बाजार मूल्य के गुणनफल का 5 प्रतिशत की दर से।
नियम 10 का उपनियम (4) (दो) के प्रावधान अनुसार ऐसी कालोनियों की दशा में जिसमें समूह आवास के रूप में विकसित की गई हो, भूखण्डों के कुल निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) के उत्पाद के कलेक्टर मार्गदर्शन सिद्धान्त के अधीन आवधारित निर्मित भवनों के बाजार मूल्य के गुणनफल का 5 प्रतिशत की दर से।
ऐसी कालोनी जिसमें निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए भूखण्ड/भवन आरक्षित किए गए हैं उप नियम (4) के अनुसार आश्रय शुल्क संदत्त करने के अतिरिक्त कालोनाइजर निम्न दरों पर अतिरिक्त आश्रय शुल्क का भुगतान भी करेगा:-
नियम 10 का उपनियम (5) (एक) ऐसी कालोनियों की दशा में जिसमें भूखण्डों का विकास किया गया है, भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) के कलेक्टर मार्गदर्शन सिद्धान्त के अधीन आवधारित बाजार मूल्य के गुणनफल का 1 प्रतिशत।
नियम 10 का उपनियम (5) (दो) के प्रावधान अनुसार ऐसी कालोनियों की दशा में जिसमें समूह आवास के रूप में विकसित की गई हो, भूखण्डों के कुल निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) के उत्पाद के कलेक्टर मार्गदर्शन सिद्धान्त के अधीन आवधारित निर्मित भवनों के बाजार मूल्य के गुणनफल का 1 प्रतिशत की दर से।

11. नगरनिवेश विभाग हेतु लागू दरें :-

नगर निवेश विभाग मुख्यालय से संबंधित वास्तुविद, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक तथा नगर योजनाकार की अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. संचचना इंजीनियर, इंजीनियर तथा नगर योजनाकार के लिए :- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 26 में निहित प्रावधान अनुसार शुल्क रू. 1500/- की दर से।
2. पर्यवेक्षक के लिए :- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 26 में निहित प्रावधान अनुसार शुल्क रू. 750/- की दर से।

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा , पर्यवेक्षक लायसेंस एवं अन्य दरें :-
(मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 से उद्धृत)

बजटीय एवं वित्तीय सुधार

वित्तीय प्रबंधन के एक अहम हिस्से के रूप में बजटीय सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया है। विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति के समय वित्तीय सुधार कार्य योजना को समस्त नगरीय निकायों पर लागू किया गया था। नगर निगम उज्जैन द्वारा दूरगामी सोच के साथ सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है जिसके तहत उचित एवं लेखा सुधार की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

उज्जैन नगर निगम के द्वारा उज्जैन शहर विकास योजना (सिटी डेवलपमेंट प्लान) के अनुसार अपने बजट में प्रावधान किये जाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य उन विकास कार्यों में धन का निवेश करना है जिससे कि शहर को योजनाबद्ध एवं स्थाई परिणाम प्राप्त हो सकें। मुख्य रूप से धन का निवेश अधोसंरचनात्मक कार्यों में किया जाने का प्रस्ताव है ताकि, इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति की जा सके।

राजस्व प्राप्ति के नवीन तरीकों को अपनाया गया है, जिसमें पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत देयक, लेखांकन एवं एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बजटीय सुधार

बजट को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गये मध्यप्रदेश नगर पालिक लेखा मेन्युअल, जुलाई 2007, के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि, बजट को एक आंकड़ों का दस्तावेज मात्र ना समझा जाकर, वित्तीय प्रबंधन के औजार के रूप में उपयोग किया जा सके।

बजट लेखा शीर्ष

बजट के अन्दर लेखा शीर्षों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है कि उससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, जैसे विभिन्न कार्यकर्ताओं की जवाबदारी दर्शित हो एवं सम्भूति आधारित दोहरी लेखा प्रणाली भी अपनाई जा सके। मुख्य रूप से बजट शीर्षों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :-

प्राप्तियां		व्यय	
मुख्य लेखाशीर्ष	लेखा शीर्ष का विवरण	मुख्य लेखाशीर्ष	लेखा शीर्ष का विवरण
1	राजस्व प्राप्तियाँ	2	राजस्व व्यय
3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	4	पूंजीगत व्यय

1 राजस्व प्राप्तियां

इसके अंतर्गत नगर निगम की समस्त कर एवं गैर-कर प्राप्तियों को रखा जाता है, जिसमें शुल्क, अधिभार, अनुदान, एवं शासन से प्राप्त क्षतिपूर्ति अनुदान शामिल है। प्राप्तियों के विभिन्न मद निम्नानुसार हैं:-

- कर से आय
- क्षतिपूर्ति अनुदान एवं निर्दिष्ट राजस्व
- निगम संपत्तियों के किराये से आय
- शुल्क एवं अधिभार
- राजस्व अनुदान, अंशदान आदि
- निवेश से आय
- जमा पर ब्याज
- अन्य आय

2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय निम्नानुसार मुख्य मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किये जा सकते हैं :-

- स्थापना व्यय, वेतन, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ
- प्रशासनिक व्यय
- परिचालन एवं संधारण व्यय
- प्रतिभूति एवं वित्तिय व्यय
- आयोजन व्यय
- अन्य व्यय

पूंजीगत आय

निगम की पूंजीगत आय को उनके स्रोत्र के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- ईयर मार्क फण्ड
- अनुदान, चिन्हांकित मदों हेतु अंशदान
 - केन्द्र सरकार – अनुदान/अंशदान
 - राज्य सरकार – अनुदान/अंशदान
- अन्य स्रोत्र – अनुदान/अंशदान, आदि
- अप्रत्याभूत ऋण
- प्रत्याभूत ऋण

पूंजीगत व्यय

निगम की पूंजीगत व्यय को उनके स्रोत्र के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- भूमि एवं भूमि विकास के कार्य जैसे – पार्क, खेल मैदान, स्टेडियम आदि
- भवन
- पुल, पुलिया, फ्लाईओवर
- यातायात सड़कें
- वर्षा जल निकासी नालियां
- मार्गों की प्रकाश व्यवस्था
- मशीनें एवं उपकरण
- वाहन
- फर्नीचर एवं उपकरण